लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

मंगलवार, 21 जुलाई, 2015/30 आषाढ़, 1937 (शक)

संख्या 91

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. राष्ट्रगान

राष्ट्रगान की धुन बजाई गई।

पूर्वाह्न 11.01 बजे

2. लोक सभा की सदस्यता के त्यागपत्र

अध्यक्ष ने सभा को सूचित किया कि उन्हें तेलंगाना राज्य के वारंगल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित सदस्य श्री कडियम श्रीहरि द्वारा लोक सभा की सदस्यता से त्यागपत्र दिए जाने के संबंध में दिनांक 11 जून, 2015 का एक पत्र प्राप्त हुआ है और यह कि उन्होंने 11 जून, 2015 से उनका त्यागपत्र स्वीकार कर लिया है।

पूर्वाह्न 11.02 बजे

3. निधन संबंधी उल्लेख

अध्यक्ष ने श्री दिलीप सिंह भूरिया, लोक सभा के वर्तमान सदस्य; श्री इस्माइल हुसैन, सदस्य, 15वीं लोक सभा; श्री डेंजिल बी. एटकिंसन, नामनिर्दिष्ट सदस्य, 13वीं लोक सभा; श्री शेषराव देशमुख, सदस्य, छठी लोक सभा; श्री राणा वीर सिंह, सदस्य, 7वीं और 8वीं लोक सभा; श्री मनोरंजन भक्त, सदस्य, छठी से 12वीं और 14वीं लोक सभा; श्रीमती शीला कौल, सदस्य, 5वीं, 7वीं और 8वीं लोक सभा; श्री शशि प्रकाश, सदस्य, 10वीं लोक सभा;

श्री चांद राम, सदस्य, छठी और 9वीं लोक सभा; श्री राजकेशर सिंह, सदस्य, छठी और 11वीं लोक सभा; श्री प्रताप सिंह शंकर राव मोहिते पाटील, सदस्य, 13वीं लोक सभा; श्री एस.एम. भट्टम, सदस्य, 8वीं लोक सभा; श्री मोरेश्वर सावे, सदस्य, 9वीं और 10वीं लोक सभा; और श्री नामदेव हरबाजी दिवाथे, सदस्य, 11वीं और 13वीं लोक सभा के निधन के बारे में उल्लेख किया।

दिवंगत आत्माओं के सम्मान में, सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे और तत्पश्चात् सभा पूरे दिन के लिए स्थगित हुई।

4. प्रश्न

चूंकि सभा निधन संबंधी उल्लेख के पश्चात् स्थगित हो गई, तारांकित प्रश्नों को मौखिक उत्तर के लिए नहीं लिया जा सका। अत: आज की कार्य-सूची में सम्मिलित तारांकित प्रश्न संख्या 1—20 को अतारांकित माना गया और उनके उत्तर अतारांकित प्रश्न संख्या 1—230 के उत्तरों के साथ आज के कार्यवाही-वृतांत में मुद्रित किए जाएंगे।

पूर्वाह्न 11.17 बजे

(लोक सभा बुधवार, 22 जुलाई, 2015 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

अनूप मिश्र
महासचिव

GMGIPMRND—1626LS(S3)—21.07.2015.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

बुधवार, 22 जुलाई, 2015/31 आषाढ़, 1937 (शक)

संख्या 92

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. अध्यक्ष द्वारा उल्लेख

अध्यक्ष ने निम्नलिखित के बारे में उल्लेख किया—

(एक) 13 जून, 2015 को राजस्थान के टोंक जिले में एक बस पर बिजली का तार गिरने के कारण 15 यात्रियों की मृत्यु होने और 31 अन्य व्यक्तियों के घायल होने;

(दो) 21 जून, 2015 को उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में एक बस के गहरी खाई में गिरने के कारण 12 व्यक्तियों की मृत्यु होने और 22 अन्य व्यक्तियों के घायल होने;

(तीन) 1 जुलाई, 2015 को दार्जिलिंग में लगातार वर्षा के कारण भूस्खलन में 32 व्यक्तियों की मृत्यु होने और कई अनेक व्यक्तियों के घायल होने;

(चार) गुजरात में आई हालिया बाढ़ में कथित तौर पर 70 व्यक्तियों की मृत्यु होने और कई व्यक्तियों के घायल होने तथा लापता होने जिसके कारण संपत्ति और फसल को भारी क्षति और नुकसान भी हुआ; मध्य प्रदेश, असम और देश के अन्य भागों में भारी वर्षा के कारण आई हालिया बाढ़ से संपत्ति, फसल और मवेशियों की भारी क्षति होने;

(पांच) 14 जुलाई, 2015 को आंध्र प्रदेश के राजमुंदरी में ''गोदावरी पुष्करम'' त्यौहार के दौरान मची भगदड़ में 29 लोगों के मारे जाने;

(छह) 1 जून, 2015 को चीन में यांगत्से नदी में एक क्रूज पोत के डूब जाने के कारण 440 से ज्यादा लोगों के मारे जाने;

(सात) 4 जून, 2015 को मणिपुर के चंदेल जिले में एक सैन्य दल पर आतंकवादी हमले में 20 सैन्यकर्मियों के मारे जाने और 11 अन्य के घायल होने;

(आठ) 22 जून, 2015 को अफगानिस्तान की संसद पर भी आतंकवादियों द्वारा किए गए हमले, जिसे अफगान राष्ट्रीय सुरक्षा बलों के कार्मिकों ने निष्फल करके एक भयावह त्रासदी को टाल दिया गया; और

(नौ) 26 जून, 2015 को लियोन, फ्रांस में एक रासायनिक कारखाने में हुए विस्फोट में एक व्यक्ति की मृत्यु होने; कुवैत में एक मस्जिद में हुए एक हमले में अनेक निर्दोष लोगों के मारे जाने और अनेक श्रद्धालुओं के घायल होने, जिनमें भारतीय भी शामिल था; और टयुनिशिया में एक अन्य आतंकवादी हमले में, विभिन्न राष्ट्रों के 39 लोगों की मौत होने तथा कई व्यक्तियों के घायल होने के बारे में।

तत्पश्चात्, सदस्यगण दिवंगत आत्माओं के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

2. प्रश्न

सभा में व्यवधान के कारण, तारांकित प्रश्न मौखिक उत्तर के लिए नहीं लिए जा सके। अतः आज की कार्य-सूची में सम्मिलित तारांकित प्रश्न संख्या 21—40 को अतारांकित माना गया और उनके उत्तर अतारांकित प्रश्न संख्या 231—460 के उत्तरों के साथ आज के कार्यवाही वृत्तांत में मुद्रित किए जायेंगे।

(*व्यवधान के कारण, लोक सभा पूर्वाह्न* 11.09 *बजे स्थगित हुई और मध्याह्न* 12.00 *बजे पुन:समवेत हुई।*)

मध्याह्न 12.00 बजे

3. अध्यक्ष द्वारा बधाई

अध्यक्ष ने सभा की ओर से निम्नलिखित को बधाई दी—

(एक) सानिया मिर्जा को 11 जुलाई, 2015 को बिंबल्डन टेनिस प्रतियोगिता में महिला युगल खिताब जीतकर भारत की पहली महिला टेनिस खिलाड़ी बनने पर;

(दो) लिएंडर पेस को 12 जुलाई, 2015 को बिंबल्डन में मिश्रित युगल खिताब जीतने पर और 17 वर्षीय सुमित नागल को बिंबल्डन में जूनियर युगल खिताब जीतने पर; और

(तीन) 10 वर्षीय शुभम जगलान को 17 जुलाई, 2015 को सैन डिएगो, संयुक्त राज्य अमेरिका में विश्व जूनियर गोल्फ चैंपियनशिप जीतने पर।

अपराह्न 12.02 बजे

4. अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी

अध्यक्ष ने निम्नलिखित टिप्पणी की—

माननीय सदस्यों, ज्यो ही आज सभा समवेत् हुई, सभा में विद्यमान स्थिति तथा सभा की कार्यवाही संबंधी शुचिता को ध्यान में रखते हुए मैंने शुरुआत में ही यह टिप्पणी की थी कि सदस्यों को काले झंडे, प्लाकार्ड प्रदर्शित करने तथा अन्य असंयमित आचरण से बचना चाहिए। इसके बावजूद, मैं यह देखकर अत्यंत चिंतित हूं कि कई सदस्य नारे लगाते हुए प्लाकार्डों को दिखाते हुए तथा सभा की कार्यवाही को बाधित करते हुए सभा के बीचोंबीच आ गए जिसके कारण मुझे सभा की कार्यवाही को मध्याह्न 12.00 बजे तक स्थगित करना पड़ा।

सभा में अनुशासन और मर्यादा बनाए रखना संसद की विश्वसनीयता और गरिमा बनाए रखने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके संबंध में सदस्यों द्वारा पालन किए जाने वाले आचरण संबंधी सुस्थापित मानदंड विद्यमान हैं जो प्रक्रिया तथा सभा में कार्य संचालन के नियमों के अंतर्गत प्रदत्त है। इन नियमों को निरपवादत: समाचार भाग-2 के विभिन्न पैराओं के माध्यम से भी माननीय सदस्यों के ध्यान में लाया जाता है। उदाहरण के लिए नियम 349 के अंतर्गत सदस्यों द्वारा सभा में पालन किए जाने वाले शिष्टाचार के मानदंडों तथा नियमों संबंधी मानकों का प्रावधान है। नियम 351 में सभा को सम्बोधित करने की रीति तथा नियम 352 में सभा में बोलते समय सदस्यों द्वारा पालन किए जाने वाले नियमों का उल्लेख किया गया है। इसके अलावा नियम 350 के अनुसार केवल उसी सदस्य को सभा में बोलने का हक है जिसे अध्यक्ष द्वारा ऐसा करने के लिए पुकारा गया हो। वहीं नियम 361 में अध्यक्ष के आसन से खड़े होने संबंधी प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। मैं सदस्यों का ध्यान समय-समय पर इन उपबंधों की तरफ आकर्षित करती रही हूं। परन्तु, मुझे यह कहते हुए अत्यंत दु:ख हो रहा है कि शिष्टाचार के उक्त मानदंडों में से किसी भी मानदंड का पालन सदस्यों द्वारा नहीं किया जा रहा है और वस्तुत: इनका खुला उल्लंघन किया जा रहा है। मैंने सभा के सभी वर्गों को सामयिक विषयों को उठाने का पर्याप्त अवसर दिया है बशर्ते उसके संबंध में सदस्यों द्वारा उचित नोटिस दिया गया हो और वे इन मामलों को नियमों तथा शिष्टाचार के मानकों की परिधि के अंतर्गत उठाना चाहते हों। मैं यहां इस बात पर भी विशेष रूप से जोर देना चाहती हूं कि अमर्यादित आचरण किए जाने की स्थिति में मुझे दोषी सदस्यों के विरुद्ध समुचित अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। मैं आशा करती हूं कि सभी सदस्य सभा में अनुशासन तथा मर्यादा बनाए रखने संबंधी शिष्टाचार तथा व्यवहार के स्थापित मानदंडों का पालन करेंगे।

जो सदस्य यहां प्लाकार्ड तथा अन्य सामग्री को प्रदशिर्त कर रहे हैं मेरा उन सभी से अनुरोध है कि वे तत्काल ऐसा करना बंद कर दें।

अपराह्न 12.06 बजे

5. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखें गए—

(1) (एक) अर्नेट इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) अर्नेट इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार (संशोधन) दूसरा अध्यादेश, 2015 (2015 का संख्यांक 5) के प्रख्यापन द्वारा तत्काल विधान बनाए जाने के कारणों को दर्शाने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) संविधान के अनुच्छेद 123(2)(क) के अंतर्गत निम्नलिखित अध्यादेशों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(1) राष्ट्रपति द्वारा 30 मई, 2015 को प्रख्यापित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार (संशोधन) दूसरा अध्यादेश, 2015 (2015 का संख्यांक 5)।

(2) राष्ट्रपति द्वारा 15 जून, 2015 को प्रख्यापित परक्राम्य लिखत (संशोधन) अध्यादेश, 2015 (2015 का संख्यांक 6)।

(5) केन्द्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003 की धारा 14 की उपधारा (3) के अंतर्गत केन्द्रीय सतर्कता आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) संविधान के अनुच्छेद 320(5) के अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) संशोधन विनियम, 2015 जो 15 जून, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 491(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मंडी, मंडी के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मंडी, मंडी के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

6. राज्य सभा से संदेश

महासचिव ने राज्य सभा से प्राप्त इस संदेश की सूचना दी कि राज्य सभा ने 21 जुलाई, 2015 को हुई अपनी बैठक में पराक्राम्य लिखित अधिनियम, 1881 के बारे में निम्नलिखित प्रस्ताव स्वीकृत किया है:—

''कि यह सभा लोक सभा से सिफारिश करती है कि लोक सभा, 13 मई, 2014 को लोक सभा द्वारा पारित और उसी दिन राज्य सभा के पटल पर रखे गए पराक्राम्य लिखित अधिनियम, 1881 में आगे और संशोधन करने वाले विधेयक को वापस लिए जाने के लिए राज्य सभा द्वारा अनुमति दिए जाने से सहमत हो।''

7. विधेयकों पर अनुमति

(एक) महासचिव ने सभा में इससे पूर्व 24 अप्रैल, 2015 को इस आशय की सूचना दिए जाने के पश्चात् 16वीं लोक सभा के चौथे सत्र के प्रथम भाग के दौरान संसद की दोनों सभाओं द्वारा पारित और राष्ट्रपति द्वारा अनुमति प्राप्त निम्नलिखित 8 विधेयक सभा पटल पर रखे:—

1. विनियोग (रेल) संख्यांक 2, विधेयक, 2015
2. प्रादेशिक ग्रामीण बैंक (संशोधन) विधेयक, 2015
3. विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2015
4. संदाय और निपटान प्रणाली (संशोधन) विधेयक, 2015
5. निरसन और संशोधन (दूसरा) विधेयक, 2015
6. वित्त विधेयक, 2015
7. कंपनी (संशोधन) विधेयक, 2015 और
8. काला धन (अप्रकटित विदेशी आय और आस्तियां) और कर अधिरोपण विधेयक, 2015

(दो) महासचिव ने संसद की दोनों सभाओं द्वारा पारित और राष्ट्रपति द्वारा अनुमति प्राप्त राज्य सभा के महासचिव द्वारा विधिवत अधिप्रमाणित निम्नलिखित तीन विधेयकों की प्रतियां भी सभा पटल पर रखीं:—

1. भण्डागारण निगम (संशोधन) विधेयक, 2015

2. निरसन और संशोधन विधेयक, 2015; और

3. संविधान (एक सौवां संशोधन) विधेयक, 2015

8. रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री आनंदराव अडसुल ने रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

(1) रसायन और उर्वरक मंत्रालय (उर्वरक विभाग) की अनुदानों की मांगों (2014-15) के बारे में तीसरे प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी आठवां प्रतिवेदन।

(2) रसायन और उर्वरक मंत्रालय (भेषज विभाग) की अनुदानों की मांगों (2014-15) के बारे में दूसरे प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी नौवां प्रतिवेदन।

(3) रसायन और उर्वरक मंत्रालय (रसायन और पेट्रोरसायन विभाग) की अनुदानों की मांगों (2014-15) के बारे में पहले प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी दसवां प्रतिवेदन।

9. विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्रीमती वसंती एम॰ ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:—

(1) पंजाब-लुधियाना और अमृतसर के टियर-II शहरों में प्रदूषण के बारे में 261वां प्रतिवेदन।

(2) 'ताज पर प्रदूषण के प्रभाव' के बारे में 262वां प्रतिवेदन।

(3) 'पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रशासित विभिन्न अधिनियमों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय समिति का प्रतिवेदन' के बारे में 263वां प्रतिवेदन।

(4) 'मुंबई और विशाखापत्तनम में पर्यावरणीय मुद्दे' के बारे में 264वां प्रतिवेदन।

10. विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति के समक्ष दिया गया साक्ष्य

श्रीमती वसंती एम॰ ने 'पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रशासित विभिन्न अधिनियमों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय समिति का प्रतिवेदन' के बारे में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति के 263वें प्रतिवेदन के संबंध में समिति के समक्ष दिया गया साक्ष्य सभा पटल पर रखा।

11. भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2015 पर संयुक्त समिति का प्रतिवेदन—समय बढ़ाए जाने के बारे में प्रस्ताव

श्री एस॰एस॰ अहलुवालिया ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया—

''कि यह सभा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2015 पर संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय संसद के वर्तमान सत्र (मानसून सत्र 2015) के तीसरे सप्ताह के पहले दिवस तक बढ़ाती है।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(*व्यवधान के कारण, लोक सभा अपराह्न* 12.10 *बजे स्थगित हुई और अपराह्न* 2.00 *बजे पुन: समवेत हुई*)

अपराह्न 2.00 बजे

12. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे—

(1) श्री जगदम्बिका पाल द्वारा संविधान की आठवीं अनुसूची में भोजपुरी भाषा को शामिल किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(2) एडवोकेट नरेन्द्र केशव सवाईकर द्वारा पोंडा, गोवा में ऐतिहासिक आन्दोलनों को दर्शाए जाने के लिए भूमि आवंटित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(3) श्री पी॰सी॰ मोहन द्वारा देश में खाद्यान्नों के भंडारण की पर्याप्त सुविधाएं स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(4) श्री अर्जुन लाल मीणा द्वारा उदयपुर, राजस्थान में झीलों तथा आयड़ नदी के पुनरुद्धार के लिए निधियां प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(5) श्री निशिकांत दुबे द्वारा देवघर, झारखंड में प्रस्तावित एम्स जैसा संस्थान खोले जाने की आवश्यकता के बारे में।

(6) श्री अशोक महादेवराव नेते द्वारा महाराष्ट्र में रहने वाले बंगाली समुदाय के सभी पात्र लोगों को अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(7) श्री चन्द्र प्रकाश जोशी द्वारा राजस्थान के सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य में वनस्पति तथा वन्य जीवों के संरक्षण और सुरक्षा के लिए विस्तृत योजना बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(8) श्री सुमेधानन्द सरस्वती द्वारा जैविक कृषि उत्पादों को दूरदराज के बाजारों तक पहुंचाने हेतु राजस्थान के सीकर जिले के किसानों को राजसहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(9) श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश द्वारा सूरत और वाराणसी के बीच नई रेल सेवा शुरू किए जाने तथा इन दो शहरों के बीच वर्तमान रेल सेवाओं में सुधार के लिए उपाय किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(10) श्री डी॰के सुरेश द्वारा कर्नाटक के बंगलौर ग्रामीण संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(11) श्री एस॰ राजेन्द्रन द्वारा तमिलनाडु के विलुप्पुरम जिले में केन्द्रीय विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता के बारे में।

(12) श्री के॰ परसुरमन द्वारा तमिलनाडु में कल्लानी बांध के पुनरुद्धार हेतु राज्य सरकार के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(13) डॉ॰ कुलमणि सामल द्वारा पारादीप में डॉपलर वैदर रेडार को स्थापित और प्रचालित करने संबंधी कार्य में तेजी लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(14) मोहम्मद फैज़ल द्वारा एंड्रौट द्वीप, लक्षद्वीप में यात्री तथा पोत प्रचालन को सुगम बनाए जाने के लिए ब्रेकवॉटर स्ट्रक्चर के निर्माण कार्य को किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(15) श्री राजू शेट्टी द्वारा ढांगर जाति को अनुसूचित जनजाति की सूची में सम्मिलित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(व्यवधान के कारण लोक सभा पूरे दिन के लिए स्थगित हुई)

अपराह्न 2.02 बजे

(*लोक सभा गुरुवार,* 23 *जुलाई,* 2015 *के पूर्वाह्न* 11.00 *बजे तक के लिए स्थगित हुई।*)

अनूप मिश्र
महासचिव

GMGIPMRND—1666LS(S3)—22.07.2015.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

गुरुवार, 23 जुलाई, 2015/1 श्रावण, 1937 (शक)

संख्या 93

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 41 का लोप किया गया।

तारांकित प्रश्न संख्या 42 को मौखिक उत्तर के लिए लिया गया परंतु तारांकित प्रश्न का मौखिक उत्तर नहीं दिया जा सका। तद्नुसार, आज की कार्य-सूची में सम्मिलित तारांकित प्रश्न संख्या 42—60 को अतारांकित माना गया और उनके उत्तर अतारांकित प्रश्न संख्या 461—690 के उत्तरों के साथ आज के कार्यवाही-वृतांत में मुद्रित किए जाएंगे।

(सभा में व्यवधान के कारण लोक सभा पूर्वाह्न 11.06 *बजे स्थगित हुई और मध्याह्न* 12.00 *बजे पुन: समवेत हुई।)*

मध्याह्न 12.00 बजे

2. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड तथा विद्युत मंत्रालय के बीच वर्ष 2015-2016 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(दो) पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड तथा विद्युत मंत्रालय के बीच वर्ष 2015-2016 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(2) दामोदर घाटी निगम, कोलकाता के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 182 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) गोवा और संघ राज्यक्षेत्रों के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (ग्रिड से संबंधित सौर ऊर्जा विनियम) 2015 जो 15 मई, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जेईआरसी-19/2015 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) गोवा और संघ राज्यक्षेत्रों के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (कारबार का संचालन) (चौथा संशोधन) विनियम, 2015 जो 9 मार्च, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जेईआरसी-1/2009 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) गोवा और संघ राज्यक्षेत्रों के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (उपभोक्ताओं की शिकायतों के निवारण के लिए मंच की स्थापना) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2015 जो 9 मार्च, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जेईआरसी-4/2009 में प्रकाशित हुए थे।

(4) उपर्युक्त (3) की मद संख्या (दो) और (तीन) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

3. गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का प्रतिवेदन

डॉ॰ एम॰ तंबिदुरै ने गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का बारहवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

4. सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति के प्रतिवेदन

श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

(1) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग) से संबंधित लम्बित आश्वासनों की समीक्षा के बारे में 14वां प्रतिवेदन।

(2) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग) से संबंधित लम्बित आश्वासनों की समीक्षा के बारे में 15वां प्रतिवेदन।

(3) आश्वासनों को छोड़ दिए जाने के अनुरोधों के बारे में 16वां प्रतिवेदन (माने गए)।

(4) आश्वासनों को छोड़ दिए जाने के अनुरोधों के बारे में 17वां प्रतिवेदन (न माने गए)।

5. विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री नागेन्द्र कुमार प्रधान ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:—

(1) 'उत्तराखण्ड में बड़े भूकम्प का कथित पूर्वानुमान' के बारे में 265वां प्रतिवेदन।

(2) 'ई-वेस्ट और ई-रेडिएशन' के बारे में 266वां प्रतिवेदन।

(3) 'श्रीनगर में अभूतपूर्व बाढ़ तथा लेह, जम्मू और पठानकोट में बाढ़ का पूर्वानुमान तथा पर्यावरणीय मुद्दे' के बारे में 267वां प्रतिवेदन।

6. कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन

श्री राजीव प्रताप रुडी ने कार्य मंत्रणा समिति का बीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

7. प्राक्कलन समिति के लिए निर्वाचन हेतु प्रस्ताव

डॉ॰ मुरली मनोहर जोशी ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 331 के उप-नियम (1) के साथ पठित नियम 254 के उपनियम (3) द्वारा अपेक्षित रीति से प्राक्कलन समिति की शेष बची अवधि के लिए श्री दिलीप सिंह भूरिया के निधन होने **के कारण उनके स्थान पर** समिति के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से एक सदस्य निर्वाचित करें।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

8. अन्य पिछड़ा वर्ग के कल्याण संबंधी समिति के लिए निर्वाचन हेतु प्रस्ताव

(i) श्री राजेन गोहेन ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि यह सभा एकल संक्रमणीय मत द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार समिति की पहली बैठक की तारीख से एक वर्ष के कार्यकाल के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग के कल्याण संबंधी समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से बीस सदस्य निर्वाचित करें।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(ii) श्री राजेन गोहेन ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा समिति की पहली बैठक की तारीख से एक वर्ष के कार्यकाल के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग के कल्याण संबंधी समिति के साथ सहयोजित होने के लिए अपने में से दस सदस्य निर्वाचित करे तथा समिति के लिए इस प्रकार निर्वाचित सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

9. परक्राम्य लिखत (संशोधन) विधेयक, 2015 को वापस लिए जाने से संबंधित राज्य सभा की सिफारिश से सहमति के बारे में प्रस्ताव

श्री अरुण जेटली ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि यह सभा राज्य सभा की इस सिफारिश से सहमत है कि 13 मई, 2015 को लोक सभा द्वारा पारित तथा उसी दिन राज्य सभा के पटल पर रखे गए परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 का और संशोधन करने वाले विधेयक को राज्य सभा द्वारा वापस लिए जाने की अनुमति से लोक सभा सहमत है।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

10. सरकारी विधेयक—वापस लिया गया

*निरसन और संशोधन (तीसरा) विधेयक, 2015

(व्यवधान के कारण लोक सभा पूरे दिन के लिए स्थगित हुई।)

अपराह्न 12.14 बजे

(लोक सभा शुक्रवार, 24 जुलाई, 2015 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

अनूप मिश्र
महासचिव

---

*विधेयक 13 मई, 2015 को पुर:स्थापित किया गया। विधेयक वापस लिए जाने के कारण बताने वाला विवरण सदस्यों को 21 जुलाई, 2015 को परिचालित किया गया था।

GMGIPMRND—1702LS(S3)—23.07.2015.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

शुक्रवार, 24 जुलाई, 2015/2 श्रावण, 1937 (शक)

संख्या 94

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. अध्यक्ष द्वारा उल्लेख

अध्यक्ष ने प्लूटो पर खोजे गए बर्फीले पर्वतीय क्षेत्र का नाम महान पर्वतारोही तेन्जिंग नोर्गे शेरपा, जो 29 मई, 1953 को सर एडमंड हिलेरी के साथ माउंट एवरेस्ट पर पहली बार विजय प्राप्त करने वाले दो पर्वतारोहियों में से एक थे, के सम्मान में 'नोरगे मोंटस' रखे जाने के बारे में उल्लेख किया।

पूर्वाह्न 11.02 बजे

2. प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 61 को मौखिक उत्तर के लिए लिया गया परन्तु सभा में व्यवधान के कारण तारांकित प्रश्न को मौखिक उत्तर के लिए नहीं लिया जा सका। तद्नुसार, आज की कार्य-सूची में सम्मिलित तारांकित प्रश्न संख्या 61—80 को अतारांकित माना गया और उनके उत्तर अतारांकित प्रश्न संख्या 691—920 के उत्तरों के साथ आज के कार्यवाही वृत्तांत में मुद्रित किए जायेंगे।

(व्यवधान के कारण, लोक सभा पूरे दिन के लिए स्थगित हुई)

पूर्वाह्न 11.03 बजे

(लोक सभा सोमवार, 27 जुलाई, 2015 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

अनूप मिश्र
महासचिव

GMGIPMRND—1740LS(H)—24-07-2015.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

सोमवार, 27 जुलाई, 2015/5 श्रावण, 1937 (शक)

संख्या 95

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 81—83 के मौखिक उत्तर दिए गए।

(सभा में व्यवधान के कारण लोक सभा पूर्वाह्न 11.24 *बजे स्थगित हुई और मध्याह्न* 12.00 *बजे पुन: समवेत हुई)*

तारांकित प्रश्न संख्या 84—94 और 96—100 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

तारांकित प्रश्न संख्या 95 स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को अंतरित किया गया।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 921—1150 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12.00 बजे

3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

(1) कंपनी सचिव अधिनियम, 1980 की धारा 40 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखेंगे:—

(i) कंपनी सचिव (वृत्तिक तथा अन्य अवचार की जांच की प्रक्रिया और मामलों का संचालन) संशोधन नियम, 2015 जो 23 अप्रैल, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 314(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(ii) सा॰का॰नि॰ 315(अ) जो 23 अप्रैल, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा काउंसिल ऑफ दि इंस्टिट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया में दिसम्बर, 2014 में हुए निर्वाचन के मामले में कंपनी सचिव अधिनियम, 1980 की धारा 10क के अंतर्गत उत्पन्न विवादों का विनिश्चय करने के लिए उसमें उल्लिखित व्यक्तियों को शामिल करके एक अभिकरण की स्थापना की गई है।

(iii) सा॰का॰नि॰ 323(अ) जो 27 अप्रैल, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 13 जुलाई, 2007 की अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 490(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(2) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 9 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1432(अ) जो 29 मई, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के पुनरुद्धार और पुनर्वास के लिए ढांचा तैयार करने हेतु अनुदेश अधिसूचित किए गए हैं, जो राजपत्र में उसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखेंगे।

(3) औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 38 के अंतर्गत औषधि और प्रसाधन सामग्री (तीसरा संशोधन) नियम, 2014 जो 7 अगस्त, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 570(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखेंगे।

(4) बीईएमएल लिमिटेड तथा रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय के बीच वर्ष 2015-2016 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखेंगे।

(5) होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1973 की धारा 33 की उपधारा (2) के अंतर्गत होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् (रजिस्ट्रीकरण) (संशोधन) विनियम, 2015 जो 11 अप्रैल, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 7-1/2004-सीसीएच(पीटी॰) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 38 के अंतर्गत औषधि और प्रसाधन सामग्री (चौथा संशोधन) नियम, 2015 जो 18 मई, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 390(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) एमएमटीसी लिमिटेड तथा वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के बीच वर्ष 2015-2016 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) बॉयलर अधिनियम, 1923 की धारा 28क की उपधारा (2) के अंतर्गत भारतीय बॉयलर (संशोधन) विनियम, 2015 जो 15 अप्रैल, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 286(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) वायुयान अधिनियम, 1934 की धारा 14क के अंतर्गत वायुयान (संशोधन) नियम, 2014 जो 18 फरवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 97(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण।

(12) 31 मार्च, 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिये रेलवे में भर्ती और पदोन्नति श्रेणियों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों पर उनकी भर्ती में हुई प्रगति के बारे में प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) उपर्युक्त (12) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम, मुंबई के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(15) वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 31क की उपधारा 2(1)(ड)(iv) के साथ पठित अधिनियम की धारा 31क की उपधारा 2 के अंतर्गत प्रारूप अधिसूचना संख्या फाइल संख्या 6/1/2014-वसूली, जिसके द्वारा अंतिम संपरीक्षित तुलन-पत्र के अनुसार 500 करोड़ रुपए और उससे अधिक की आस्ति वाले एनबीएफसी को 'वित्तीय संस्थाओं' के रूप में अधिसूचित किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) राजवित्तीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंध अधिनियम, 2003 की धारा 9 के अंतर्गत राजवित्तीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंध (संशोधन) नियम, 2015 जो 1 जुलाई, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 523(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(17) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 493(अ) जो 15 जून, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 8 अप्रैल, 2015 की अधिसूचना संख्या 24/2015-सी॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(18) संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अंतर्गत मार्च, 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए संघ सरकार (सिविल) (2015 का संख्यांक 18)—अनुपालन लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन की एक प्रति।

(19) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 31 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इक्विटी शेयरों का सूची से हटाया जाना) (संशोधन) विनियम, 2015 जो 24 मार्च, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ॰ सं॰ एलएडी-एनआरओ/जीएन/2014-15/27/541 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (आश्वस्त ऋण लिखतों की लोक प्रस्थापना और सूचीकरण) (संशोधन) विनियम, 2015 जो 9 अप्रैल, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सेबी-एनआरओ/ओआईएई/जीएन/2015-16/001 में प्रकाशित हुए थे।

(20) शेयर बाजार घोटाला तथा उससे संबंधित मामलों संबंधी संयुक्त संसदीय समिति की सिफारिशों, जुलाई, 2015 के अनुसरण में की-गई-कार्रवाई संबंधी 24वें प्रगति रिपोर्ट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(21) प्रसार (भारतीय प्रसारण निगम) अधिनियम, 1990 की धारा 34 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) अध्यक्ष, पूर्णकालिक सदस्यों एवं

अंशकालिक सदस्यों के वेतन, भत्ते और अन्य सेवा शर्तें (संशोधन) नियम, 2015 जो 5 जून, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 461(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) [वरिष्ठ वित्तीय अधिकारी तथा सिविल सन्निर्माण स्कंध में मुख्य अभियंता (सिविल) का वित्तीय अधिकारी] भर्ती विनियम, 2015 जो 30 मार्च, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एन-10/19(क)/2013-पीपीसी में प्रकाशित हुए थे।

(22) उपर्युक्त (21) की मद संख्या (दो) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

4. राज्य सभा से संदेश

महासचिव ने 24 जुलाई, 2015 को हुई अपनी बैठक में परक्राम्य लिखत (संशोधन) विधेयक, 2015 के बारे में राज्य सभा से प्राप्त एक संदेश की सूचना दी।

5. प्रस्ताव

श्री राजीव प्रताप रूडी ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि यह सभा 23 जुलाई, 2015 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के बीसवें प्रतिवेदन से सहमत है।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

6. अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (रेल)—2012-13

श्री सुरेश प्रभु ने 2012-13 के बजट (रेल) के संबंध में अतिरिक्त अनुदानों की मांगें दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

7. सरकारी विधेयक—पुर:स्थापित

(एक) *निरसन और संशोधन (चौथा) विधेयक,* 2013

(दो) *परक्राम्य लिखत (संशोधन) विधेयक,* 2015 (2015 *का* 186)

8. अध्यादेश के बारे में विवरण—सभा पटल पर रखा गया

परक्राम्य लिखत (संशोधन) अध्यादेश, 2015 (2015 का संख्याक 6) के प्रख्यापन द्वारा तत्काल विधान बनाए जाने के कारणों को दर्शाने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा गया।

* अपराह्न 12.07 बजे

9. पंजाब के गुरदासपुर में हुए आतंकी हमले के बारे में सदस्यों द्वारा निवेदन

निम्नलिखित सदस्यों ने पंजाब के गुरदासपुर में हुए आतंकी हमले के बारे में निवेदन किए:—

1. श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा
2. श्री एस॰ एस॰ अहलुवालिया
3. श्री तथागत सत्पथी
4. श्री मोहम्मद सलीम
5. श्री ए॰ पी॰ जितेन्द्र रेड्डी

सर्वश्री दुष्यंत चौटाला, निशिकान्त दुबे, देवजी एम॰ पटेल, भैरों प्रसाद मिश्र, डॉ॰ किरिट पी॰ सोलंकी और श्री पी॰ पी॰ चौधरी सहयोजित हुए।

#श्री एम॰ वेंकैय्या नायडू ने उत्तर दिया।

(सभा में व्यवधान के कारण लोक सभा अपराह्न 12.44 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 2.00 बजे पुन: समवेत हुई)

अपराह्न 2.13 बजे

10. नियम 377 के अधीन मामले

(1) डॉ॰ उदित राज ने आरक्षित श्रेणी के कतिपय उम्मीदवारों को अस्वीकृत किए जाने को ध्यान में रखते हुए एअर इंडिया में वरिष्ठ प्रशिक्षु पॉयलट की भर्ती की चयन प्रक्रिया की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(2) श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी शाह ने उत्तराखंड में वरूणावत पर्वत को उच्च तकनीकी का प्रयोग करके बचाए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(3) श्री ओम बिरला ने राजस्थान में प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत विभिन्न मेडिकल कॉलेजों में सुपर स्पेशिलिएटी ब्लॉक्स स्थापित करने हेतु तत्काल निधि आवंटित किए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

---

*अपराह्न 12.06 बजे से अपराह्न 12.44 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बलीय लोक महत्व के मामले उठाए।
#उन्होंने सभा के पुन: समवेत होने के बाद उत्तर दिया।

(4) श्री छेदी पासवान ने बिहार के सासाराम निर्वाचन क्षेत्र में गुप्त धाम आने वाले तीर्थ यात्रियों के लिए परिवहन, पेयजल और अन्य नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(5) डॉ॰ भोला सिंह ने बिहार के बेगूसराय में एम्स की तर्ज पर संस्थान स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(6) श्री कौशल किशोर ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों को प्रोन्नति में आरक्षण दिए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(7) श्री लल्लू सिंह ने उत्तर प्रदेश में प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में चिकित्सकों और औषधियों की उपलब्धता सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(8) श्री विष्णु दयाल राम ने झारखंड के पलामू जिले में निर्धन मजदूरों के कल्याण हेतु मैसर्स सोन वैली सीमेंट लिमिटेड को पुन: चालू किए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(9) श्री अजय निषाद बिहार के मुजफ्फरपुर स्टेशन में प्लेटफार्मों की संख्या बढ़ाए जाने और नारायणपुर अनन्त स्टेशन को रेलवे टर्मिनल के रूप में विकसित किए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(10) श्री सी॰ आर॰ चौधरी ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का लाभ उन किसानों को भी जिनकी जोत सीमान्त किसानों से अधिक है, दिए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(11) श्री हरिओम सिंह राठौड़ ने अर्थव्यवस्था के समग्र विकास हेतु 'मेक इन इंडिया' मिशन के तहत लघु और सूक्ष्म उद्योगों का विकास सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(12) डॉ॰ वीरेन्द्र कुमार ने देश में बाल श्रम को समाप्त करने हेतु प्रभावी उपाय किए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(13) श्री अर्जुन राम मेघवाल ने खेजड़ी पादप, जो शुष्क और अर्द्ध-शुष्क क्षेत्रों में पारिस्थितिकी संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, को संरक्षित पादप प्रजाति की सूची में शामिल करने और इसके संरक्षण हेतु पर्याप्त उपाय किए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(14) श्री वी॰ पन्नीरसेलवम ने तमिलनाडु के सलेम शहर के चारों ओर आउटर रिंग रोड का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(15) श्री रवीन्द्र कुमार जेना ने देश के सभी जिलों में हिंसा प्रभावित महिलाओं के लिए 'वन स्टॉप ट्रॉमा केयर सेंटर' स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(16) श्रीमती कोथापल्ली गीता ने आंध्र प्रदेश में तेजी से आर्थिक विकास हेतु विशेष श्रेणी का दर्जा दिए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(17) श्री सुखबीर सिंह जौनापुरिया ने राजस्थान के टोंक में संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में प्रसिद्ध पर्यटक स्थल 'अमली बाघ सफारी' हेतु धनराशि शीघ्र जारी किए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसाकि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे।

(18) श्रीमती प्रतिमा मण्डल ने मलमल उद्योग को पुनर्जीवित किए जाने की आवश्यकता के बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखा।

(19) श्री ए॰पी॰जितेन्द्र रेड्डी ने रेलगाड़ियों में वरिष्ठ नागरिकों हेतु पृथक कोच/सीट उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखा।

(20) श्रीमती सुप्रिया सुले ने देश में कुपोषण की समस्या को दूर किए जाने की आवश्यकता के बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखा।

अपराह्न 2.48 बजे

11. सरकारी विधेयक — विचाराधीन

दिल्ली उच्च न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2015

आवंटित समय : 1 घंटा
लिया गया समय : 10 मिनट
शेष : 50 मिनट

श्री डी॰वी॰ सदानन्द गौड़ा द्वारा विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्रीमती मीनाक्षी लेखी

$2. श्री जे॰जे॰ टी नट्टर्जी (भाषण अपूर्ण रहा)

चर्चा पूरी नहीं हुई।

(सभा में व्यवधान के कारण लोक सभा अपराह्न 3.00 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 4.00 बजे पुन: समवेत हुई)

अपराह्न 4.00 बजे

अध्यक्ष ने अपराह्न 3.00 बजे सभा के कार्य में जानबूझकर बाधा डालकर सभा के नियमों के दुरुपयोग में अध्यक्षपीठ के प्राधिकार की अवमानना के लिए एक सदस्य, श्री अधीर रंजन चौधरी का नाम लिया।

अपराह्न 4.02 बजे

12. सभा की सेवा से सदस्य के निलंबन के बारे में प्रस्ताव — वापस लिया गया

श्री अर्जन राम मेघवाल ने इस सत्र के शेष कार्य के लिए सभा की सेवा से श्री अधीर रंजन चौधरी के निलंबन के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया।

कुछ सदस्यों द्वारा निवेदन किए जाने के पश्चात् अध्यक्ष ने टिप्पणी की कि श्री अधीर रंजन चौधरी इस दिन के लिए सभा से बाहर चले जाएं।

तत्पश्चात्, प्रस्ताव सभा की अनुमति द्वारा वापस लिया गया।

(व्यवधान के कारण, लोक सभा पूरे दिन के लिए स्थगित हुई।)

अपराह्न 4.40 बजे

(लोक सभा मंगलवार, 28 जुलाई, 2015 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

अनूप मिश्र
महासचिव

$उन्होंने मद संख्या 12 के संबंध में प्रस्ताव वापस लिए जाने के पश्चात् अपना भाषण पुन: आरंभ किया।

GMGIPMRND—1807LS(H)—27-07-2015.

दिनांक 23.7.2015 के

समाचार भाग—एक संख्या 93

का

शुद्धिपत्र

पृष्ठ	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़ें
1.	8	तारांकित प्रश्न संख्या 41 का लोप किया गया।	तारांकित प्रश्न संख्या 41 पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को अंतरित किया गया।

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

मंगलवार, 28 जुलाई, 2015/6 श्रावण, 1937 (शक)

संख्या 96

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. निधन संबंधी उल्लेख

अध्यक्ष ने भारत के पूर्व राष्ट्रपति और भारत रत्न से सम्मानित डॉ॰ ए॰पी॰जे॰ अब्दुल कलाम के निधन का उल्लेख किया।

दिवंगत के सम्मान में सदस्यगण कुछ क्षण के लिए मौन खड़े रहे और तत्पश्चात् सभा गुरुवार, 30 जुलाई, 2015 तक के लिए स्थगित हुई।

2. प्रश्न

चूंकि सभा निधन संबंधी उल्लेख के पश्चात् स्थगित हो गई इसलिए तारांकित प्रश्नों को मौखिक उत्तर के लिए नहीं लिया जा सका। अत: आज की कार्य-सूची में सम्मिलित तारांकित प्रश्न संख्या 101—120 को अतारांकित माना गया और उनके उत्तर अतारांकित प्रश्न संख्या 1151—1380 के उत्तरों के साथ आज के कार्यवाही वृत्तांत में मुद्रित किए जायेंगे।

(लोक सभा गुरुवार, 30 जुलाई, 2015 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

अनूप मिश्र
महासचिव

GMGIPMRND—1821LS(S3)—28-07-2015.

दिनांक 27.7.2015 के
समाचार भाग-एक संख्या 95
का
शुद्धिपत्र

पृष्ठ	मद संख्या	के स्थान पर	पढ़े
5	4	महासचिव ने 24 जुलाई, 2015 को हुई अपनी बैठक में परक्राम्य लिखत (संशोधन) विधेयक, 2015 के बारे में राज्य सभा से प्राप्त एक संदेश की सूचना दी।	महासचिव ने राज्य सभा से प्राप्त इस संदेश की सूचना दी कि राज्य सभा ने 24 जुलाई, 2015 को हुई अपनी बैठक में परक्राम्य लिखत (संशोधन) विधेयक, 2015 के बारे में निम्नलिखित प्रस्ताव स्वीकृत किया:— ''कि परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881, का और संशोधन करने वाले विधेयक जिसे लोक सभा द्वारा 13 मई, 2015 को पारित किया गया था और उसी दिन राज्य सभा के पटल पर रखा गया था, को वापस लेने की अनुमति दी जाए।'' तत्पश्चात्, विधेयक वापस लिया गया।

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

गुरुवार, 30 जुलाई, 2015/8 श्रावण, 1937 (शक)

संख्या 97

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. निधन संबंधी उल्लेख

अध्यक्ष ने श्री श्रीवल्लभ पाणिग्राही, सदस्य, आठवीं, दसवीं और ग्यारहवीं लोक सभा; श्री आर॰ एस॰ गवई, सदस्य, बारहवीं लोक सभा और श्री विजय हाण्डिक, सदस्य, दसवीं से पन्द्रहवीं लोक सभा के निधन के बारे में उल्लेख किया।

उन्होंने 27 जुलाई, 2015 को पंजाब के गुरदासपुर जिले के दीनानगर में एक पुलिस थाने और एक बस पर हुए कायरतापूर्ण आतंकवादी हमले का भी उल्लेख किया जिसमें पुलिस अधीक्षक और होम गार्ड के तीन कर्मियों सहित 7 व्यक्तियों की जानें गईं और 17 अन्य घायल हो गए।

सदस्यगण दिवंगत आत्माओं के सम्मान में कुछ क्षण के लिए मौन खड़े रहे।

2. अध्यक्ष द्वारा घोषणा

अध्यक्ष ने निम्नलिखित घोषणा की:—

''माननीय सदस्यगण हमारे पूर्व राष्ट्रपति श्री ए॰पी॰जे॰ अब्दुल कलाम का अंतिम संस्कार रामेश्वरम में किया जा रहा है। सम्मानस्वरूप, सभा कल 31 जुलाई, 2015 को पूर्वाह्न 11.00 बजे पुन: समवेत होने के लिए आज स्थगित की जाती है।''

3. प्रश्न

(एक) चूंकि सभा अध्यक्ष की उद्घोषणा के पश्चात् स्थगित हो गई इसलिए तारांकित प्रश्नों को मौखिक उत्तर के लिए नहीं लिया जा सका। अत: आज की कार्य-सूची में सम्मिलित तारांकित प्रश्न संख्या 142—161 को अतारांकित माना गया और उनके उत्तर अतारांकित प्रश्न संख्या 1611—1840 के उत्तरों के साथ आज के कार्यवाही वृतांत में मुद्रित किए जायेंगे।

(दो) 29 जुलाई, 2015 की कार्य-सूची में सम्मिलित तारांकित प्रश्न संख्या 122—141 को अतारांकित माना गया और उनके उत्तर आज के कार्यवाही वृतांत में मुद्रित किए जायेंगे क्योंकि सभा की बैठक उस दिन रद्द हो गई थी।

29 जुलाई, 2015 की कार्य-सूची में सम्मिलित अतारांकित प्रश्न संख्या 1381—1610 के उत्तर भी आज के कार्यवाही वृतांत में मुद्रित किए जायेंगे।

पूर्वाह्न 11.08 बजे

(लोक सभा शुक्रवार, 31 जुलाई, 2015 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

अनूप मिश्र
महासचिव

दिनांक 28.7.2015 के
समाचार भाग-एक संख्या 96
का
शुद्धिपत्र

मद संख्या	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़ें
2	15	101—120	101—121
2	16	1151—1380	1151—1331 और 1333—1380

GMGIPMRND—1902LS(S3)—30-07-2015.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

शुक्रवार, 31 जुलाई, 2015/9 श्रावण, 1937 (शक)

संख्या 98

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 162—166 और 168 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 167 जिन सदस्यों के नाम सूचीबद्ध था, वे अनुपस्थित थे। तथापि, संबंधित मंत्री ने उत्तर सभा पटल पर रखा। तारांकित प्रश्न संख्या 169—182 के मौखिक उत्तर दिए गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 1841—2070 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12.00 बजे

3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) (एक) इंस्टिट्यूट ऑफ कंस्टिट्यूशनल एण्ड पार्लियामेंटरी स्टडीज, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंस्टिट्यूट ऑफ कंस्टिट्यूशनल एण्ड पार्लियामेंटरी स्टडीज, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) प्रतिवेदन संख्या 246, फरवरी, 2015 के पश्चात् के ''लोक नीति'' घटनाक्रमों के बारे में भारतीय विधि आयोग के माध्यस्थम और सुलह अधिनियम, 1996 के संशोधनों के बारे में अनुपूरक प्रतिवेदन संख्या 246 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 की धारा 52 की उप-धारा (4) के अंतर्गत विधिक माप विज्ञान (पैकेज बंद वस्तु) (संशोधन) नियम, 2015 जो 14 मई, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 385(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उप-धारा (6) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट खाद्य सामग्रियों पर (अनुज्ञप्तीकरण अपेक्षाएं, स्टॉक सीमाएं और संचलन प्रतिबंध) निराकरण (संशोधन) आदेश, 2015 जो 2 जुलाई, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 1797(अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 की धारा 39 के अंतर्गत भारतीय मानक ब्यूरो (वैज्ञानिक संवर्ग में भर्ती) संशोधन विनियम, 2015 जो 21 अप्रैल, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 306(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) (एक) ऑल इंडिया इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा परीक्षित लेखे।

(दो) ऑल इंडिया इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) (एक) मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 38 के अंतर्गत औषधि और प्रसाधन सामग्री (छठा संशोधन) नियम, 2014 जो 12 दिसम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 889(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अंतर्गत मार्च, 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए संघ सरकार (वाणिज्यिक) (2015 का संख्यांक 21)—अनुपालन लेखापरीक्षा टिप्पणियों (वोल्यूम I और वोल्यूम II) पर भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड तथा रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय के बीच वर्ष 2015-2016 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखेंगे।

(14) केन्द्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम, 1948 की धारा 13 की उप-धारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(1) केन्द्रीय रेशम बोर्ड सिल्क-वार्म सीड (संशोधन) विनियम, 2015 जो 31 मार्च, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 75 में प्रकाशित हुए थे।

(2) केन्द्रीय रेशम बोर्ड (संशोधन) नियम, 2015 जो 31 मार्च, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 76 में प्रकाशित हुए थे।

(15) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 179 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर्राज्यीय पारेषण प्रभार और हानि का बांटा जाना) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2015 जो 7 अप्रैल, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एल-1/44/2010/सीईआरसी में प्रकाशित हुए थे।

(दो) केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर्राज्यीय पारेषण में खुला अभिगम) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2015 जो 15 मई, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एल-7/105(121)/2007/सीईआरसी में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर्राज्यीय पारेषण में सम्बद्धता, दीर्घकालिक अभिगम और मध्यकालिक खुला अभिगम प्रदान किया जाना और संबंधित मामले) (पांचवां संशोधन) विनियम, 2015 जो 19 मई, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एल-1(3)/2009-सीईआरसी में प्रकाशित हुए थे।

(चार) केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (केन्द्रीय पारेषण उपयोगिता के लिए अंतर्राज्यीय पारेषण स्कीम के निष्पादन हेतु विनियामक अनुमोदन की मंजूरी) (पहला संशोधन) विनियम, 2015 जो 19 मई, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एल-1/41/2010-सीईआरसी में प्रकाशित हुए थे।

(16) उपर्युक्त (15) की मद संख्या (एक) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(17) ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड तथा विद्युत मंत्रालय के बीच वर्ष 2015-2016 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) चाय अधिनियम, 1953 की धारा 30 के अंतर्गत चाय (विपणन) नियंत्रण (संशोधन) आदेश, 2015 जो 15 अप्रैल, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 1012 (अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उसका शुद्धिपत्र जो 25 जून, 2015 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1693 (अ) में प्रकाशित हुआ है।

(19) मसाला बोर्ड अधिनियम, 1986 की धारा 5 के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) अधिसूचना संख्या एफ॰ सं॰ 5/7/2014-इपी (एग्री॰ V)/प्लांट डी जो 8 जून, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा देश के विभिन्न मसाला उत्पादक प्रांतों के लिए मसाला विकास अभिकरण के रूप में पदाभिहित किए जाने हेतु, उसमें उल्लिखित, मसाला बोर्ड की सलाहकार समितियों का गठन किया गया है।

(दो) अधिसूचना संख्या एडमिन–1/एस्ट/एसपीईडीए/2014 जो 18 अप्रैल, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से केसर उत्पादन और निर्यात विकास अभिकरण के नाम से एक समिति का गठन किया गया है।

(तीन) अधिसूचना संख्या एडमिन–1/एस्ट/एसपीईडीए/2014 जो 8 जून, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 18 अप्रैल, 2015 की अधिसूचना संख्या एडमिन–1/एस्ट/एसपीईडीए/2014 में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(20) विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 18 की उपधारा (2) के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 968 जो 8 अप्रैल, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा विशेष आर्थिक जोन में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र की स्थापना का प्रचालन किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(21) तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 की धारा 30 की उपधारा (1) के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 798(अ) जो 19 मार्च, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा कर्नाटक राज्य में उक्त अधिनियम की धारा 10 (1) के उपबंधों के प्रवर्तन को शिथिल किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(22) उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 18छ के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 3094(अ) जो 9 दिसंबर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 11 अक्तूबर, 2004 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1105(अ)में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण।)

(23) तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 की धारा 20क के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 799(अ) जो 19 मार्च, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा कर्नाटक सरकार द्वारा यथानिर्धारित शास्तियां प्रभारित करके नीलामी मंचों पर अप्राधिकृत अधिक तम्बाकू का क्रय करने के लिए व्यापारियों/व्यवहारियों को स्वीकृति देने हेतु तम्बाकू बोर्ड को प्राधिकृत किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण।)

(24) दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 की धारा 148 की उप-धारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) दिल्ली पुलिस (पदोन्नति और पुष्टीकरण) (संशोधन) नियम, 2015 जो 16 अप्रैल, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ॰ 16/5/2014/एचपी-1/स्था॰/248 से 250 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) दिल्ली पुलिस (भर्ती और नियुक्ति) (संशोधन) नियम, 2015 जो 16 अप्रैल, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ॰ 16/6/2014/एचपी-1/स्था॰/251 से 253 में प्रकाशित हुए थे।

(25) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) उर्वरक (नियंत्रण) दूसरा संशोधन आदेश, 2015 जो 16 मई, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1317(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) का॰आ॰ 1562(अ) जो 13 जून, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 26 जून, 1995 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 572(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(26) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) राजस्थान ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, जयपुर के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) राजस्थान ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, जयपुर का वर्ष 2013-2014 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(27) उपर्युक्त (26) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(28) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) राजस्थान ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड भेषज विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के बीच वर्ष 2015-2016 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(दो) इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड भेषज विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के बीच वर्ष 2015-2016 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(तीन) नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड तथा उर्वरक विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के बीच वर्ष 2015-2016 के लिए हुआ समझोता ज्ञापन।

(चार) मद्रास फर्टिलाइजर लिमिटेड तथा उर्वरक विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के बीच वर्ष 2015-2016 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(पांच) एफसीआई अरावली जिप्सम एण्ड मिनरल्स इंडिया लिमिटेड तथा उर्वरक विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के बीच वर्ष 2015-2016 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(छह) प्रोजेक्ट्स एण्ड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड तथा उर्वरक विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के बीच वर्ष 2015-2016 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(सात) ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कारपोरेशन लिमिटेड तथा उर्वरक विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के बीच वर्ष 2015-2016 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(आठ) राष्ट्रीय केमिकल्स फर्टिलाइजर्स लिमिटेड तथा उर्वरक विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के बीच वर्ष 2015-2016 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(नौ) फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड तथा उर्वरक विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के बीच वर्ष 2015-2016 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(दस) हिन्दुस्तान एंटिबायोटिक्स लिमिटेड तथा भेषज विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के बीच वर्ष 2015-2016 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(29) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1233(अ) जो 8 मई, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा ओषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(30) भेल इलेक्ट्रिकल मशीन्स लिमिटेड तथा भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के बीच वर्ष 2015-2016 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(31) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, मुंबई के वर्ष 2013-14 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(32) बैंककारी विधि (संशोधन) अधिनियम, 1985 द्वारा यथासंशोधित भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 40 की उपधारा (4) और बैंककारी विधि (संशोधन) अधिनियम, 1985 द्वारा यथासंशोधित भारतीय स्टेट बैंक (अनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 की धारा 43 की उपधारा (3) के अंतर्गत भारतीय स्टेट बैंक, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर और स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण तथा कार्यकलापों के बारे में वार्षिक प्रतिवेदनों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(33) बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 और 1980 की धारा 10 की उपधारा (8) के अंतर्गत निम्नलिखित वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) वर्ष 2014-2015 के लिए इलाहाबाद बैंक के कार्यकरण तथा कार्यकलापों के बारे में प्रतिवेदन व लेखा तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(दो) वर्ष 2014-2015 के लिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र के कार्यकरण तथा कार्यकलापों के बारे में प्रतिवेदन व लेखा तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(तीन) वर्ष 2014-2015 के लिए सेंट्रल बैंक के कार्यकरण तथा कार्यकलापों के बारे में प्रतिवेदन व लेखा तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(चार) वर्ष 2014-2015 के लिए देना बैंक के कार्यकरण तथा कार्यकलापों के बारे में प्रतिवेदन व लेखा तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(पांच) वर्ष 2014-2015 के लिए इंडियन ओवरसीज बैंक के कार्यकरण तथा कार्यकलापों के बारे में प्रतिवेदन व लेखा तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(छह) वर्ष 2014-2015 के लिए पंजाब नेशनल बैंक के कार्यकरण तथा कार्यकलापों के बारे में प्रतिवेदन व लेखा तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(सात) वर्ष 2014-2015 के लिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के कार्यकरण तथा कार्यकलापों के बारे में प्रतिवेदन व लेखा तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(आठ) वर्ष 2014-2015 के लिए यूको बैंक के कार्यकरण तथा कार्यकलापों के बारे में प्रतिवेदन व लेखा तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(नौ) वर्ष 2014-2015 के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा के कार्यकरण तथा कार्यकलापों के बारे में प्रतिवेदन व लेखा तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(दस) वर्ष 2014-2015 के लिए केनरा बैंक के कार्यकरण तथा कार्यकलापों के बारे में प्रतिवेदन व लेखा तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(ग्यारह) वर्ष 2014-2015 के लिए कॉरपोरेशन बैंक के कार्यकरण तथा कार्यकलापों के बारे में प्रतिवेदन व लेखा तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(बारह) वर्ष 2014-2015 के लिए इंडियन बैंक के कार्यकरण तथा कार्यकलापों के बारे में प्रतिवेदन व लेखा तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(तेरह) वर्ष 2014-2015 के लिए ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के कार्यकरण तथा कार्यकलापों के बारे में प्रतिवेदन व लेखा तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(चौदह) वर्ष 2014-2015 के लिए सिंडिकेट बैंक के कार्यकरण तथा कार्यकलापों के बारे में प्रतिवेदन व लेखा तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(पंद्रह) वर्ष 2014-2015 के लिए यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के कार्यकरण तथा कार्यकलापों के बारे में प्रतिवेदन व लेखा तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(सोलह) वर्ष 2014-2015 के लिए विजया बैंक के कार्यकरण तथा कार्यकलापों के बारे में प्रतिवेदन व लेखा तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(सत्रह) वर्ष 2014-2015 के लिए आन्ध्रा बैंक के कार्यकरण तथा कार्यकलापों के बारे में प्रतिवेदन व लेखा तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(अठारह) वर्ष 2014-2015 के लिए बैंक ऑफ इंडिया के कार्यकरण तथा कार्यकलापों के बारे में प्रतिवेदन व लेखा तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(उन्नीस) वर्ष 2014-2015 के लिए पंजाब एंड सिंध बैंक के कार्यकरण तथा कार्यकलापों के बारे में प्रतिवेदन व लेखा तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(34) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, अधिनियम, 1992 की धारा 31 के अंतर्गत भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (कर्मचारियों की सेवा) (संशोधन) विनियम,

2015 जो 26 फरवरी, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एलएडी-एनआरओ/जीएन/2014-15/22/366 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(35) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 की धारा 27 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (सूक्ष्म बीमा) विनियम, 2015 जो 17 मार्च, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ॰सं॰ आईआरडीए/रेग/2/92/2015 में प्रकाशित हुए थे तथा उसका एक शुद्धिपत्र जो 22 मई, 2015 की अधिसूचना संख्या आईआरडीए/रेग/6/96/2015 में प्रकाशित हुआ है।

(दो) भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा कंपनियों के साधारण शेयरों का अंतरण) विनियम, 2015 जो 23 अप्रैल, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ॰ सं॰ आईआरडीए/रेग/3/93/2015 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (वाहन तृतीय पक्ष बीमा कारबार के संबंध में बीमाकर्ता का दायित्व) विनियम, 2015 जो 5 जून, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ॰ सं॰ आईआरडीए/रेग/8/98/2015 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) अधिसूचना संख्या एफ॰ सं॰ आईआरडीए/आईएसी/7/97/2015 जो 27 मई, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा प्रकाशन की तारीख अर्थात् 25 मई, 2015 से बीमा सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया गया है।

(पांच) भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (नामनिर्देशन का रद्दकरण या परिवर्तन का रजिस्ट्रीकरण करने के लिए शुल्क) विनियम, 2015 जो 29 अप्रैल, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ॰ सं॰ आईआरडीए/रेग/4/94/2015 में प्रकाशित हुए थे।

(छह) भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (समनुदेशन या अंतरण की सूचना की पावती की लिखित अभिस्वीकृति देने के लिए शुल्क) विनियम, 2015 जो 29 अप्रैल, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ॰ सं॰ आईआरडीए/रेग/5/95/2015 में प्रकाशित हुए थे।

(36) बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 114 की उप-धारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) का॰आ॰ 870(अ) जो 27 मार्च, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो विशेष आर्थिक जोन में बीमा कारबार करने के लिए बीमा अधिनियम, 1938 के कतिपय उपबंधों को छूट दिए जाने के बारे में है।

(दो) भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (विशेष आर्थिक जोन में बीमा कारबार का विनियमन) नियम, 2015 जो 27 मार्च, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 230(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) भारतीय बीमा कंपनियां (विदेशी निवेश) (संशोधन) नियम, 2015 जो 3 जुलाई, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 534(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(37) पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 की धारा 53 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (संकलनकर्ता) विनियम, 2015 जो 10 मार्च, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या पीएफआरडीए/12/आरजीएल/139/4 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पेंशन निधि) विनियम, 2015 जो 19 मई, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या पीएफआरडीए/12/आरजीएल/139/9 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकास और प्रत्याहरण) विनियम, 2015 जो 11 मई, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या पीएफआरडीए/12/आरजीएल/139/8 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (उपस्थिति का प्रश्न) विनियम, 2015 जो 4 मार्च, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या पीएफआरडीए/12/आरजीएल/139/3 में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास) विनियम, 2015 जो 12 मार्च, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या पीएफआरडीए/12/आरजीएल/139/5 में प्रकाशित हुए थे।

(छह) पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (न्यासी बैंक) विनियम, 2015 जो 23 मार्च, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या पीएफआरडीए/12/आरजीएल/139/6 में प्रकाशित हुए थे।

(सात) पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (केन्द्रीय अभिलेखपाल अभिकरण) विनियम, 2015 जो 27 अप्रैल, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या पीएफआरडीए/12/आरजीएल/139/7 में प्रकाशित हुए थे।

(आठ) पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (प्रतिभूतियों का अभिरक्षक) विनियम, 2015 जो 14 मई, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या पीएफआरडीए/12/आरजीएल/139/10 में प्रकाशित हुए थे।

(नौ) पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (कर्मचारियों की सेवा) विनियम, 2015 जो 14 मई, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या पीएफआरडीए/12/आरजीएल/139/11 में प्रकाशित हुए थे।

(38) राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम, 2003 की धारा (7) की उपधारा (1) के अंतर्गत वित्त वर्ष 2014-2015 के अंत में बजट के संबंध में प्राप्तियों और व्यय की प्रवृत्तियों की तिमाही समीक्षा के बारे में विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(39) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 की धारा 37 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (सदस्यों के कार्यकाल तथा सेवा की अन्य शर्तें) दूसरा संशोधन नियम, 2015 जो 13 मई, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 380(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (सदस्यों के कार्यकाल तथा सेवा की अन्य शर्तें) तीसरा संशोधन नियम, 2015 जो 2 जून, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 448(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(40) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) भारतीय पोत परिवहन निगम लिमिटेड तथा पोत परिवहन मंत्रालय के बीच वर्ष 2015-2016 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(दो) ड्रेजिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड तथा पोत परिवहन मंत्रालय के बीच वर्ष 2015-2016 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(तीन) कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड तथा पोत परिवहन मंत्रालय के बीच वर्ष 2015-2016 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(41) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 10 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) का॰आ॰ 2585(अ) जो 7 अक्तूबर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हिमाचल प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 21क (नया राष्ट्रीय राजमार्ग 105) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन हेतु उप-मण्डलीय अधिकारी (सिविल) नालागढ़ जिला सोलन को सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किए जाने के बारे में है।

(दो) का॰आ॰ 2586(अ) जो 7 अक्तूबर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हिमाचल प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 21क (नया राष्ट्रीय राजमार्ग 105) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन हेतु जिला राजस्व अधिकारी, पंचकुला को सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किए जाने के बारे में है।

(तीन) का॰आ॰ 179(अ) जो 19 जनवरी, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हिमाचल प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 22 (नया राष्ट्रीय राजमार्ग 5) (देवरीघाट-प्रेमघाट खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(चार) का॰आ॰ 622(अ) जो 27 फरवरी, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 82 (गया-हिसुआ-राजगीर-बिहारशरीफ खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(पांच) का॰आ॰ 1629(अ) जो 17 जून, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 82 (गया-हिसुआ-राजगीर-बिहारशरीफ खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(छह) का॰आ॰ 1216(अ) जो 7 मई, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 16 मई, 2013 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1231(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(सात) का॰आ॰ 1217(अ) जो 7 मई, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो झारखंड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं॰ 2 (बारवा अड्डा से बराकर खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(आठ) का॰आ॰ 335(अ) जो 5 फरवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो झारखंड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं॰ 75 (रांची–नगर उंतरी खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(नौ) का॰आ॰ 1263(अ) जो 13 मई, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पश्चिम बंगाल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं॰ 31घ के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(दस) का॰आ॰ 1264(अ) जो 13 मई, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो झारखंड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं॰ 23 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन हेतु जिला भूमि अधिग्रहण अधिकारी, रामगढ़ को सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किए जाने के बारे में है।

(ग्यारह) का॰आ॰ 688(अ) जो 9 मार्च, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पश्चिम बंगाल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं॰ 327ख, 31, 31ग और 10 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(बारह) का॰आ॰ 579(अ) जो 20 फरवरी, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 24 फरवरी, 2010 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 475(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(तेरह) का॰आ॰ 427(अ) जो 10 फरवरी, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 24 फरवरी, 2010 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 475(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(चौदह) का॰आ॰ 1583(अ) जो 24 जून, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं॰ 102 (छपरा–रेवाघाट–

मुजफ्फरपुर खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(पन्द्रह) का॰आ॰ 446(अ) जो 18 फरवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो झारखंड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं॰ 2 (औरंगाबाद से बरवा-अड्डा खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(सोलह) का॰आ॰ 584(अ) जो 20 फरवरी, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो झारखंड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं॰ 33 (रांची-ररगांव खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(सत्रह) का॰आ॰ 730(अ) जो 10 मार्च, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो झारखंड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं॰ 2 (औरंगाबाद से बरवा-अड्डा खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(अठारह) का॰आ॰ 2289(अ) जो 9 सितम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो छत्तीसगढ़ राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं॰ 200 (नया राष्ट्रीय राजमार्ग 49) (विलासपुर-उरदावल खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(उन्नीस) का॰आ॰ 290(अ) जो 30 जनवरी, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तेलंगाना राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं॰ 365 (तनमचेरला से जमनदलापल्ली खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(बीस) का॰आ॰ 551(अ) और का॰आ॰ 552(अ) जो 17 फरवरी, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं॰ 233 (भारत-नेपाल सीमा से वाराणसी) के विभिन्न भागों के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(इक्कीस) का॰आ॰ 568(अ) से का॰आ॰ 572(अ) जो 19 फरवरी, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो छत्तीसगढ़ राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग

सं॰ 78 (नया राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 43) (अंबिकापुर-पट्टलगांव खंड) के विभिन्न भागों के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(बाईस) का॰आ॰ 586(अ) से का॰आ॰ 589(अ) जो 20 फरवरी, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं॰ 78 (कटनी-सहदोल-अनुप्पुर से एमपी/सीजी सीमा खंड) के विभिन्न भागों के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(तेईस) का॰आ॰ 592(अ) से का॰आ॰ 594(अ) जो 20 फरवरी, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो छत्तीसगढ़ राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं॰ 43 (नया राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 30) (दमतरी-जगदलपुर खंड) के विभिन्न भागों के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(चौबीस) का॰आ॰ 612(अ) जो 25 फरवरी, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो छत्तीसगढ़ राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं॰ 12क (नया राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 30) (मध्य प्रदेश सीमा छिपली से सिमगा खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(पच्चीस) का॰आ॰ 624(अ) जो 27 फरवरी, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं॰ 65 (नागौर-जोधपुर खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(छब्बीस) का॰आ॰ 639(अ) जो 3 मार्च, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उड़ीसा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं॰ 149 (पल्लाहारा-पिटीरी खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(सत्ताईस) का॰आ॰ 634(अ) से का॰आ॰ 636(अ) जो 3 मार्च, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो छत्तीसगढ़ राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं॰ 12क (नया राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 30) (मध्य प्रदेश सीमा छिपली से सिमगा खंड) के विभिन्न भागों के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(अट्ठाईस) का॰आ॰ 638(अ) जो 3 मार्च, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 7 जनवरी, 2014 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 41(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(उनतीस) का॰आ॰ 684(अ) जो 9 मार्च, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं॰ 8 (ब्यावर-बघाना खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(तीस) का॰आ॰ 685(अ) जो 9 मार्च, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आन्ध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं॰ 63 (अनंतपुर जिला खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(इकतीस) का॰आ॰ 683(अ) जो 9 मार्च, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 31 अक्तूबर, 2013 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 3315(अ) और 18 फरवरी, 2014 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 461(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(बत्तीस) का॰आ॰ 716(अ) जो 10 मार्च, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो छत्तीसगढ़ राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं॰ 216 (नया एनएच 153) (रायगढ़-सरनगढ़-सरायपल्ली खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(तैंतीस) का॰आ॰ 717(अ) और का॰आ॰ 718(अ) जो 10 मार्च, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं॰ 12क (जबलपुर-मंडला-चिल्पी खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(चौंतीस) का॰आ॰ 767(अ) जो 16 मार्च, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 29 जुलाई, 2013 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 2307(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(पैंतीस) का॰आ॰ 781(अ) जो 18 मार्च, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 19 जून, 2014 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1573(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(छत्तीस) का॰आ॰ 780(अ) जो 18 मार्च, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आन्ध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 214 (नया एनएच 214क) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(सैंतीस) का॰आ॰ 806(अ) जो 20 मार्च, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 233 (इण्डो नेपाल बोर्डर से वाराणसी) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(अड़तीस) का॰आ॰ 857(अ) जो 26 मार्च, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो ओडिशा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 200 (पुराना) (कर्नाटक-झारसुगुडा खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(उनतालीस) का॰आ॰ 875(अ) और का॰आ॰ 876(अ) जो 20 फरवरी, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो छत्तीसगढ़ राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12क (नया एनएच 30) (एमपी बोर्डर चिल्पी से सिमगा खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(चालीस) का॰आ॰ 932(अ) और का॰आ॰ 933(अ) जो 6 अप्रैल, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो तेलंगाना राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 365 (मंगलवरिपेट से मल्लीम्पल्ली-तनमचेरला खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(इकतालीस) का॰आ॰ 931(अ) जो 6 अप्रैल, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आन्ध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 (तमिलनाडु/आंध्र प्रदेश बोर्डर चित्तूर से आंध्र प्रदेश/कर्नाटक बोर्डर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(बयालीस) का॰आ॰ 1010(अ) और का॰आ॰ 1011(अ) जो 15 अप्रैल, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो छत्तीसगढ़ राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 111 (नया एनएच 130) (बिलासपुर-अम्बिकापुर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(तैंतालीस) का॰आ॰ 1078(अ) जो 24 अप्रैल, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पश्चिम बंगाल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(चवालीस) का॰आ॰ 1079(अ) से का॰आ॰ 1081(अ) जो 24 अप्रैल, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 28ग (नया एनएच 927) (बाराबंकी-बहराइच-रूपैधिया खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(पैंतालीस) का॰आ॰ 1077(अ) जो 24 अप्रैल, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 24 जनवरी, 2014 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 243(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(छियालीस) का॰आ॰ 1083(अ) से का॰आ॰ 1085(अ) जो 27 अप्रैल, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 222 (कल्याण-आंध्र प्रदेश बोर्डर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(सैंतालीस) का॰आ॰ 1104(अ) जो 28 अप्रैल, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 19 जून, 2014 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1573(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(अड़तालीस) का॰आ॰ 1106(अ) जो 28 अप्रैल, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 233 (इंडो नेपाल बोर्डर से वाराणसी) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(उनचास) का॰आ॰ 1105(अ) जो 28 अप्रैल, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में नॉदर्न कोटा बाइपास के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(पचास) का॰आ॰ 1133(अ) जो 24 अप्रैल, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो छत्तीसगढ़ राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 78 (नया एनएच 43) (पठालगांव से सीजी/जेएच बोर्डर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(इक्यावन) का॰आ॰ 1153(अ) जो 1 मई, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 206 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के लिए विशेष भूमि अर्जन अधिकारी को सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किया गया है।

(बावन) का॰आ॰ 1163(अ) जो 1 मई, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 29ई से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 28 (गोरखपुर बाइपास) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के लिए उसमें उल्लिखित अधिकारियों को सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किया गया है।

(तिरेपन) का॰आ॰ 1151(अ) जो 1 मई, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 29 अप्रैल, 2014 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1162(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(चौवन) का॰आ॰ 1152(अ) जो 1 मई, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 565 (वग्गमपल्ली से डोरनाला 'टी' जंक्शन) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(पचपन) का॰आ॰ 1154(अ) जो 1 मई, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तेलंगाना राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 765 (हैदराबाद-डिन्डी) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(छप्पन) का॰आ॰ 1180(अ) जो 5 मई, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो छत्तीसगढ़ राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12क (नया एनएच 30) (एमपी बोर्डर चिल्पी-सिमगा खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(सतावन) का॰आ॰ 1282(अ) जो 14 मई, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 (बीवर से बघाना खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(अठावन) का॰आ॰ 1386(अ) जो 22 मई, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 221 (विजयवाड़ा-भद्राचलम खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(उनसठ) का॰आ॰ 1402(अ) जो 26 मई, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 565 (पेंचलाकोना से एरपेडू खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(साठ) का॰आ॰ 1403(अ) जो 26 मई, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 22 अप्रैल, 2014 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1141(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(इकसठ) का॰आ॰ 1418(अ) जो 28 मई, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो छत्तीसगढ़ राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 216 (नया राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 153) (रायगढ़, सारनगढ़, सराईपली खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(बासठ) का॰आ॰ 689(अ) जो 9 मार्च, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पश्चिम बंगाल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 10 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(तिरसठ) का॰आ॰ 3248(अ) जो 22 दिसम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 82 (गया-हिसुआ-राजगीर-बिहारशरीफ खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(चौंसठ) का॰आ॰ 516(अ) जो 16 फरवरी, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 333ख के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन हेतु उसमें उल्लिखित अधिकारियों को सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किया गया है।

(पैंसठ) का॰आ॰ 737(अ) जो 12 मार्च, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 102 के निर्माण,

अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन हेतु उसमें उल्लिखित अधिकारियों को सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किया गया है।

(छियासठ) का॰आ॰ 233(अ) जो 23 जनवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो झारखंड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 33 (महुलिया से भरगौड़ा खंड) और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 (भरगौड़ा से चिचिरा खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(सड़सठ) का॰आ॰ 812(अ) जो 15 मार्च, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो झारखंड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 23 (आईटीआई मोड़ चस से चरगी खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(अड़सठ) का॰आ॰ 451(अ) जो 18 फरवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो झारखंड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 75 (रांची-नगर उंतारी खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(उनहत्तर) का॰आ॰ 798(अ) जो 15 मार्च, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो झारखण्ड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 (बरवा-अड्डा से बराकर खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(सत्तर) का॰आ॰ 444(अ) जो 18 फरवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो झारखण्ड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 (औरंगाबाद से बरवा-अड्डा खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(इकहत्तर) का॰आ॰ 846(अ) जो 20 मार्च, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो झारखण्ड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 75 (रांची-नगर उनतारी खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(बहत्तर) का॰आ॰ 400(अ) जो 6 फरवरी, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो झारखण्ड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 23

(चास-बोकारो-गोला-रामगढ़ खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(तिहत्तर) का॰आ॰ 731(अ) जो 10 मार्च, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो झारखण्ड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 (औरंगाबाद से बरवा-अड्डा खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(चौहत्तर) का॰आ॰ 399(अ) जो 6 फरवरी, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पश्चिम बंगाल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 34 (बरहामपुर फरक्का खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(पचहत्तर) का॰आ॰ 988(अ) जो 10 अप्रैल, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 65 (हरियाणा/राजस्थान सीमा से सालासार खण्ड) के प्रयोक्ताओं से शुल्क की दरों के उद्ग्रहण के बारे में है।

(छिहत्तर) का॰आ॰ 1097(अ) जो 27 अप्रैल, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो छत्तीसगढ़ राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 200 (रायपुर-बिलासपुर खण्ड) के प्रयोक्ताओं से शुल्क की दरों के उद्ग्रहण के बारे में है।

(सतहत्तर) का॰आ॰ 1098(अ) जो 27 अप्रैल, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो केरल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 66 (इडापल्ली-वायटिल्ला-अरूर खण्ड) के प्रयोक्ताओं से शुल्क की दरों के उद्ग्रहण के बारे में है।

(अठहत्तर) का॰आ॰ 1219(अ) जो 7 मई, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 7 फरवरी, 2013 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 334(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(उन्नासी) का॰आ॰ 1335(अ) जो 19 मई, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 (बंगलौर-कर्नाटक/महाराष्ट्र सीमा खण्ड) के प्रयोक्ताओं से शुल्क की दरों के उद्ग्रहण के बारे में है।

(अस्सी) का॰आ॰ 1336(अ) जो 19 मई, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 67 के प्रयोक्ताओं से शुल्क की दरों के उद्ग्रहण के बारे में है।

(इक्यासी) का॰आ॰ 1384(अ) जो 22 मई, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो केरल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47ग के प्रयोक्ताओं से शुल्क की दरों के उद्ग्रहण के बारे में है।

(बयासी) का॰आ॰ 1422(अ) जो 29 मई, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 25 सितम्बर, 2014 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 2519(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(तिरासी) का॰आ॰ 1786(अ) जो 1 जुलाई, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 30 अप्रैल, 2013 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1081(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(चौरासी) का॰आ॰ 1787(अ) जो 1 जुलाई, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 50 (खेड–सिन्नार खण्ड) के प्रयोक्ताओं से शुल्क की दरों के उद्ग्रहण के बारे में है।

(पचासी) का॰आ॰ 1788(अ) जो 1 जुलाई, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 21 अप्रैल, 2010 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 912(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(छियासी) का॰आ॰ 1789(अ) जो 1 जुलाई, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 18 सितम्बर, 2009 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 2405(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(सतासी) का॰आ॰ 1321(अ) जो 18 मई, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तेलंगाना राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 365 (तनमचेरला–मल्लापल्ली खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(अठासी) का॰आ॰ 1175(अ) जो 30 अप्रैल, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो झारखण्ड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 32 (राजभिता उर्फ राजगंज से लोहपित्ती खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(42) उपर्युक्त (41) की मद संख्या (चार) से (चौहत्तर) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले तीन विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(43) महापत्तन न्यास अधिनियम, 1968 की धारा 124 के अंतर्गत अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 23(अ) जो 12 जनवरी, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें कोलकाता पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, ज्येष्ठता, पदोन्नति) विनियम, 2013 का एक शुद्धिपत्र दिया हुआ है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(44) (एक) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(45) उपर्युक्त (44) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(46) मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 20 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत, नई दिल्ली का वर्ष 2011-2012 का वार्षिक प्रतिवेदन।

(दो) राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत, नई दिल्ली का वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की-गई-कार्रवाई संबंधी ज्ञापन।

(47) उपर्युक्त (46) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(48) सशस्त्र सीमा बल अधिनियम, 2007 की धारा 155 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) सशस्त्र सीमा बल, कम्बैटाइज्ड कांस्टेबल (ड्राईवर) समूह 'ग' पद, भर्ती (संशोधन) नियम, 2015, जो 11 अप्रैल, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 70 में प्रकाशित हुई थे।

(दो) सशस्त्र सीमा बल जज अटार्नी जनरल (डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल), एडिशनल जज अटार्नी जनरल (कमांडेंट), डिप्टी जज अटार्नी जनरल (डिप्टी कमांडेंट) और जज अटार्नी (असिस्टेंट कमांडेंट) भर्ती (संशोधन) नियम, 2015, जो 4 जून, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 452(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(49) सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 की धारा 141 की उप-धारा (3) के अंतर्गत सीमा सुरक्षा बल, समूह 'क' (सामान्य डयूटी अधिकारी) भर्ती नियम, 2015 जो 20 मई, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 408(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(50) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल अधिनियम, 1992 की धारा 156 की उप-धारा (3) के अंतर्गत भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, सामान्य डयूटी संवर्ग (समूह 'क' पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 2015 जो 13 मई, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 379(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(51) (एक) मनोविकास केन्द्र रिहैबिलिटेशन एण्ड रिसर्च इंस्टिटयूट फॉर दि हैंडीकैप्ड, कोलकाता के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) मनोविकास केन्द्र रिहैबिलिटेशन एण्ड रिसर्च इंस्टिटयूट फॉर दि हैंडीकैप्ड, कोलकाता के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(52) उपर्युक्त (51) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(53) (एक) नीलाचल सेवा प्रतिष्ठान, पुरी के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नीलाचल सेवा प्रतिष्ठान, पुरी के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(54) उपर्युक्त (53) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(55) (एक) रामकृष्ण मिशन ब्लाइंड बॉयज़ एकेडमी, कोलकाता के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) रामकृष्ण मिशन ब्लाइंड बॉयज़ एकेडमी, कोलकाता के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(56) उपर्युक्त (55) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(57) नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन लिमिटेड और कृषि मंत्रालय के बीच वर्ष 2015-2016 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(58) पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 की धारा 97 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण (संशोधन) नियम, 2015, जो 16 जून, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 494(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण (जीन निधि से मान्यता और पुरस्कार) (संशोधन) नियम, 2015, जो 16 जून, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 495(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण (संशोधन) नियम, 2015, जो 16 जून, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 496(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण स्कीम, 2015, जो 16 जून, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 497(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(59) नाशक कीट और नाशक जीव अधिनियम, 1914 की धारा 4(घ) के अंतर्गत पादप संघरोध (भारत में आयात का विनियमन) (पहला संशोधन) आदेश, 2015, जो 27 मई, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1413(अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(60) (एक) वेटरीनरी काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) वेटरीनरी काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(61) उपर्युक्त (60) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(62) (एक) नेशनल रूरल लाइवलीहुड्स प्रोमोशन सोसायटी, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल रूरल लाइवलीहुड्स प्रोमोशन सोसायटी, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नेशनल रूरल लाइवलीहुड्स प्रोमोशन सोसायटी, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(63) उपर्युक्त (62) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(64) ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के बीच वर्ष 2015-2016 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(65) (एक) प्रसार भारती, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) प्रसार भारती, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(66) उपर्युक्त (65) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(67) केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 की धारा 8 की उपधारा (1) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1388(अ) जो 25 मई, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 5 सितम्बर, 2013 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 2693(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(68) केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 की धारा 22 की उपधारा (3) के अंतर्गत केबल टेलीविजन नेटवर्क (संशोधन) नियम, 2015 जो 23 मार्च, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 216(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(69) उपर्युक्त (68) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(70) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) (क) राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2005-2006 और 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन।

(ख) राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 और 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन।

(ग) राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग, नई दिल्ली का मई, 2009 से दिसम्बर, 2009 का वार्षिक प्रतिवेदन।

(घ) राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग, नई दिल्ली का वर्ष, 2010-2011 का वार्षिक प्रतिवेदन।

(ङ) राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग, नई दिल्ली का वर्ष, 2011-2012 का वार्षिक प्रतिवेदन।

(च) राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग, नई दिल्ली का वर्ष 2012-2013 का वार्षिक प्रतिवेदन।

(छ) राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग, नई दिल्ली का वर्ष 2013-2014 का वार्षिक प्रतिवेदन।

(दो) राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2005-2006 से 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समेकित समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(71) उपर्युक्त (70) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(72) संविधान के अनुच्छेद 338क के खण्ड (6) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति।

(दो) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन पर व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(73) उपर्युक्त (72) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

4. गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का प्रतिवेदन

डॉ॰ एम॰ तंबिदुरै ने गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का तेरहवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए।

5. लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन

श्री पी॰पी॰ चौधरी ने लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति का दूसरा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

6. वित्त संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री भर्तृहरि महताब ने वित्त संबंधी स्थायी समिति (2014-15) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

(1) वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य, व्यय, वित्तीय सेवाएं और विनिवेश विभाग) की अनुदानों की मांगों (2014-2015) के बारे में वित्त संबंधी समिति के दूसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 15वां प्रतिवेदन।

(2) वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अनुदानों की मांगों (2014-2015) के बारे में वित्त संबंधी समिति के तीसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 16वां प्रतिवेदन।

(3) कार्पोरेट कार्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2014-2015) के बारे में वित्त संबंधी समिति के पांचवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 17वां प्रतिवेदन।

(4) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2014-2015) के बारे में वित्त संबंधी समिति के छठे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 18वां प्रतिवेदन।

7. **शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन**

श्री राजेन्द्र अग्रवाल ने शहरी विकास मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2014-2015) के बारे में पहले प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी सातवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

8. **शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति का विवरण**

श्री राजेन्द्र अग्रवाल ने आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2014-2015) के बारे में दूसरे प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में समिति के चौथे प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) के अध्याय-1 में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा आगे की-गई-कार्रवाई संबंधी विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखेंगे।

9. **रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन**

श्री आनंदराव अडसूल ने रसायन और उर्वरक मंत्रालय (उर्वरक विभाग) से संबंधित 'उर्वरकों का संचलन और निगरानी प्रणाली' विषय पर रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति का ग्यारहवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

10. **गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन**

श्रीमती किरन खेर ने गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:—

(1) तटीय सुरक्षा स्कीम के बारे में 177वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 187वां प्रतिवेदन।

(2) देश में आपदा प्रबंधन के बारे में 178वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सकरार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 188वां प्रतिवेदन।

11. **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन**

डा॰ सुभाष भामरे ने होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् (संशोधन) विधेयक, 2015 के बारे में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति का 86वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे।

12. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(1) गृह मंत्री ने पंजाब के गुरदासपुर में हुए आतंकी हमले के बारे में वक्तव्य दिया।

(2) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); विदेश मंत्रालय में राज्यमंत्री; और प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री ने सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2014-15) के बारे में वित्त संबंधी स्थायी समिति के छठे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य दिया।

(3) वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ने 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस घोषित किए जाने के बारे में वक्तव्य दिया।

13. संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री द्वारा वक्तव्य

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री ने 3 अगस्त, 2015 से आरंभ होने वाले सप्ताह के लिए सरकारी कार्य के बारे में वक्तव्य दिया।

अपराह्न 12.31 बजे

14. अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य)

वित्त मंत्री ने वर्ष 2015-16 के लिए बजट (सामान्य) के संबंध में अनुदानों की अनुपूरक मांगें दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

(व्यवधान के कारण लोक सभा अपराह्न 12.32 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 2.00 बजे पुनः समवेत हुई।)

***अपराह्न 2.00 बजे**

15. सदस्यों द्वारा निवेदन

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रो॰ सौगत राय ने पंजाब के गुरदासपुर में हुए आतंकी हमले के संबंध में गृहमंत्री द्वारा दिए गए वक्तव्य के बारे में निवेदन किए।

श्री राजीव प्रताप रूड़ी ने उत्तर दिया।

(व्यवधान के कारण लोक सभा अपराह्न 3.04 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 3.31 बजे पुनः समवेत हुई।)

---

*अपराह्न 2.11 बजे से अपराह्न 3.04 बजे तक सदस्यों ने अविलंबनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

अपराह्न 3.31 बजे

16. प्रस्ताव

श्री कामाख्या प्रसाद तासा ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि यह सभा क्रमश: 23 और 31 जुलाई, 2015 को सभा में प्रस्तुत गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के बारहवें और तेरहवें प्रतिवेदनों से सहमत है।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 3.32 बजे

17. गैर-सरकारी सदस्यों का संकल्प—विचाराधीन

श्री निशिकान्त दुबे द्वारा 20 मार्च, 2015 को पेश किए गए निम्नलिखित संकल्प पर आगे चर्चा जारी रही:—

''यह सभा सरकार से आग्रह करती है कि वह कश्मीर से विस्थापित व्यक्तियों, जो देश के विभिन्न भागों में दयनीय दशा में रह रहे हैं, के पुनर्वास और कल्याण के लिए तत्काल कदम उठाए।''

श्री भर्तृहरि महताब ने वाद-विवाद में भाग लिया और उनका भाषण अपूर्ण रहा।

चर्चा पूरी नहीं हुई।

(*व्यवधान के कारण लोक सभा पूरे दिन के लिए स्थगित हुई।*)

अपराह्न 3.36 बजे

(*लोक सभा सोमवार,* 3 *अगस्त,* 2015 *के पूर्वाह्न* 11.00 *बजे तक के लिए स्थगित हुई।*)

अनूप मिश्र
महासचिव

GMGIPMRND—1935LS(S3)—31-07-2015.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

सोमवार, 3 अगस्त, 2015/12 श्रावण, 1937 (शक)

संख्या 99

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. अध्यक्ष द्वारा उल्लेख

अध्यक्ष ने देश के पूर्वी भागों विशेष रूप से पश्चिम बंगाल, मणिपुर और ओडिशा में लगातार वर्षा और कोमेन चक्रवात के परिणामस्वरूप भू-स्खलन और बाढ़ के कारण 75 व्यक्तियों की कथित तौर पर मृत्यु हो जाने और 10 लाख से अधिक व्यक्तियों के विस्थापित हो जाने के बारे में उल्लेख किया।

उन्होंने पिछले कुछ दिनों में गुजरात, राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश और देश के अन्य भागों में बाढ़ के कारण व्यक्तियों की मृत्यु, बड़े पैमाने पर सम्पत्ति और पशुधन के विनाश के बारे में भी उल्लेख किया।

दिवंगत आत्मा के सम्मान में सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

पूर्वाह्न 11.05 बजे

2. तारांकित प्रश्न

ऐसे सदस्य जिनके नाम से तारांकित प्रश्न संख्या 183 सूचीबद्ध था, अनुपस्थित थे। तथापित संबंधित मंत्री ने सभा पटल पर उत्तर रखा। प्रश्न संख्या 183 के अनुपूरक प्रश्न पूछे गए। तारांकित प्रश्न संख्या 184—188 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 189—202 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

3. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 2071—2300 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12.00 बजे

4. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) ''बलात्श्रम अभिसमय, 1930 के संबंध में'' नए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन नयाचार और बलात्श्रम (अनुपूरक उपाय) सिफारिशें, 2013 (संख्यांक 203) के अंगीकरण के बारे में विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 की धारा 7 की उपधारा (2) के अंतर्गत कर्मचारी भविष्य निधि (दूसरा संशोधन) स्कीम, 2015 जो 5 मई, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 360(अ) में प्रकाशित हुई थी, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) बीको लॉरी लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) बीको लॉरी लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2013-2014 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) एयर इंडिया लिमिटेड तथा नागर विमानन मंत्रालय के बीच वर्ष 2015-2016 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) (एक) नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एण्ड लाइब्रेरी, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एण्ड लाइब्रेरी, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) (एक) कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी, लखनऊ के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी, लखनऊ के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) उपर्युक्त (8) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) भारत वैगन एण्ड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड, पटना के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारत वैगन एण्ड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड, पटना का वर्ष 2013-2014 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(11) उपर्युक्त (10) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) रेल अधिनियम 1989 की धारा 199 के अंतर्गत रेल (वैगन की अतिभराई के लिए दण्डात्मक प्रभार) (संशोधन) नियम, 2015, जो 10 जुलाई, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 550(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) (एक) भारतीय रेल कल्याण संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय रेल कल्याण संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(15) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) राइट्स लिमिटेड तथा रेल मंत्रालय के बीच वर्ष 2015-2016 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(दो) इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड तथा रेल मंत्रालय के बीच वर्ष 2015-2016 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(तीन) रेल विकास निगम लिमिटेड तथा रेल मंत्रालय के बीच वर्ष 2015-2016 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(चार) कोंकण रेल कारपोरेशन लिमिटेड तथा रेल मंत्रालय के बीच वर्ष 2015-2016 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(पांच) मुंबई रेल विकास निगम लिमिटेड तथा रेल मंत्रालय के बीच वर्ष 2015-2016 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(छह) ब्रेथवेट एड कंपनी लिमिटेड तथा रेल मंत्रालय के बीच वर्ष 2015-2016 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(सात) रेलटेल कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड तथा रेल मंत्रालय के बीच वर्ष 2015-2016 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(आठ) भारत वैगन एण्ड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड तथा रेल मंत्रालय के बीच वर्ष 2015-2016 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(नौ) इंडियन रेलवे कैटरिंग एण्ड टूरिज्म कारपोरेशन लिमिटेड तथा रेल मंत्रालय के बीच वर्ष 2015-2016 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(दस) कंटेनर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड तथा रेल मंत्रालय के बीच वर्ष 2015-2016 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(ग्यारह) डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड तथा रेल मंत्रालय के बीच वर्ष 2015-2016 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(बारह) बर्न स्टैण्डर्ड कंपनी लिमिटेड तथा रेल मंत्रालय के बीच वर्ष 2015-2016 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(तेरह) इंडियन रेलवे फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड तथा रेल मंत्रालय के बीच वर्ष 2015-2016 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

5. याचिका समिति के प्रतिवेदन

श्री भगत सिंह कोश्यारी ने याचिका समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

(1) नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एण्ड लाइब्रेरी, दिल्ली द्वारा अध्येतावृत्तियों के चयन में कथित अनियमितताओं के बारे में प्रो॰ एस॰पी॰ सिंह से प्राप्त अभ्यावेदन के बारे में याचिका समिति के 44वें प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा) में समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी चौथा प्रतिवेदन।

(2) यवतमाल-मुर्तिजापुर-अचलपुर-पुलगांव छोटी रेल लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के बारे में श्री आनंदराव अडसुल और श्रीमती भावना गवली, संसद सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित अभ्यावेदन के बारे में याचिका समिति के 32वं प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी पांचवां प्रतिवेदन।

(3) बेसिक ट्रेनिंग रेजीमेंट (बीटीआर), आर्मर्ड कोर्प्स सेंटर, अमहदनगर द्वारा दखल की गई रक्षा भूमि से नागरदेवले-भींगर के गांव वालों को आने-जाने के मार्ग का अधिकार देने से संबंधित मामले के बारे में श्री दिलीप गांधी, संसद सदस्य, लोक सभा से प्राप्त अभ्यावेदन के बारे में याचिका समिति के 30वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी छठा प्रतिवेदन।

6. मंत्री द्वारा वक्तव्य

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री ने रेल मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2014-15) के बारे में रेल संबंधी स्थायी समिति के तीसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य दिया।

7. भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2015 पर संयुक्त समिति के प्रतिवेदन से संबंधित प्रस्ताव—समय बढ़ाया जाना

श्री एस॰एस॰ अहलुवालिया ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

"कि यह सभा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता

का अधिकार (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2015 पर संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय 7 अगस्त, 2015 तक बढ़ाती है।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(व्यवधान के कारण लोक सभा अपराह्न 12.03 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 2.00 बजे पुनः समवेत हुई।)

अपराह्न 2.00 बजे

8. ध्यानाकर्षण

श्री बी॰एस॰ येदियुरप्पा ने कर्नाटक में सूखे और बाढ़ से उत्पन्न स्थिति जिसके कारण किसान आत्महत्या कर रहे हैं, की ओर कृषि मंत्री का ध्यान आकर्षिक किया।

कृषि मंत्री ने इस संबंध में एक वक्तव्य दिया।

कृषि मंत्री ने सदस्य द्वारा पूछे गए स्पष्टीकारक प्रश्नों के उत्तर भी दिए।

अपराह्न 2.28 बजे

9. नियम 377 के अधीन मामले

(1) श्री बीरेन्द्र कुमार चौधरी ने बिहार के मधुबनी जिले में एक केन्द्रीय विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता के बारे में एक मामला उठाया।

(2) श्री पी॰पी॰ चौधरी ने देश में खाद्य पदार्थों की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु एक दोषरहित प्रणाली विकसित किए जाने की आवश्यकता के बारे में एक मामला उठाया।

(3) श्री सुखबीर सिंह जौनापुरिया ने राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास कार्य में तेजी लाए जाने की आवश्यकता के बारे में एक मामला उठाया।

(4) श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा ने उत्तर प्रदेश में कालपी के ऐतिहासिक स्थलों को पर्यटन स्थलों के रूप में विकसित किए जाने की आवश्यकता के बारे में एक मामला उठाया।

(5) श्री राजेन्द्र अग्रवाल ने विश्वविद्यालयों तथा डिग्री कॉलेजों में सहायक प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति के प्रार्थियों के लिए पी॰एचडी॰/यू॰जी॰सी॰ नेट को आवश्यक अर्हता बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में एक मामला उठाया।

(6) श्री बहादुर सिंह कोली ने वन्य जीवों की आवाजाही को रोकने के लिए भरतपुर जिले की डीग तहसील में स्थित आरक्षित वन क्षेत्र के चारों ओर एक दीवार बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में एक मामला उठाया।

(7) डॉ॰ मनोज राजोरिया ने राजस्थान में धौलपुर-सारामथुरा-करौली-गंगानगर रेललाइन परियोजना के कार्य में तेजी लाए जाने की आवश्यकता के बारे में एक मामला उठाया।

(8) श्रीमती ज्योति धुर्वे ने देश में आदिवासी महिलाओं को शैक्षणिक तथा रोजगार संबंधी पर्याप्त अवसर प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में एक मामला उठाया।

(9) श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से सहायता के प्रार्थी सभी रोगियों को वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में एक मामला उठाया।

(10) मेजर जनरल भुवन चन्द्र खंडूडी, एवीएसएम (सेवानिवृत्त) ने लम्बित पड़े विकास कार्यों को पूरा करने के लिए ''पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि'' से राज्यों को पर्याप्त निधियां आबंटित किए जाने की आवश्यकता के बारे में एक मामला उठाया।

(11) श्री ओम प्रकाश यादव ने बिहार के सीवान में एम्स की तरह का संस्थान स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में एक मामला उठाया।

(12) श्री विष्णु दयाल राम ने झारखंड के गढ़वा तथा पलामू जिलों के गांवों में अमानत और सोन नदियों के द्वारा भूमि कटाव रोकने के लिए शीघ्र उपचारात्मक कदम उठाए जाने की आवश्यकता के बारे में एक मामला उठाया।

(13) श्री राजकुमार सैनी ने केन्द्रीय विद्यालयों में प्रवेश में अन्य पिछड़े वर्गों के बच्चों को आरक्षण प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में एक मामला उठाया।

(14) श्री पी॰ नागराजन ने तमिलनाडु में अतिकावेडु-अविनाशी फ्लड कैनाल स्कीम के लिए अतिरिक्त निधियां स्वकृति किए जाने की आवश्यकता के बारे में एक मामला उठाया।

(15) श्री आर॰ पार्थिपन ने तमिलनाडु के मदुरै और बोदीनायक्कनूर के बीच आमान-परिवर्तन के कार्य को शुरू करने तथा डिंडिगुल और सबरीमाला के बीच रेललाइन बिछाए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(16) श्री नागेन्द्र कुमार प्रधान ने ओडिशा के बुर्ला में वीर सुरेन्द्र साय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय को भारतीय अभियांत्रिकी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान का दर्जा दिए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(17) श्री गजानन कीर्तिकर ने मुम्बई विमानपत्तन के कार्गो डिवीजन में कार्य कर रही कुरियर सेवाओं में सुधार लाए जाने की आवश्यकता के बारे में एक मामला उठाया।

(18) श्री राम मोहन नायडू किंजरापू ने एकीकृत राष्ट्रीय कौशल तथा उद्यमशीलता नीति के अंतर्गत आंध्र प्रदेश को वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(19) श्री पी॰ श्रीनिवास रेड्डी ने तेलंगाना के खम्माम के जनजातीय लोगों को उच्च तथा तकनीकी शिक्षा की सुविधा प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में एक मामला उठाया।

(20) श्री धनंजय महाडीक ने एक लाख रुपए से अधिक के आभूषणों को खरीदने के लिए स्थायी लेखा संख्या (पैन) को अनिवार्य किए जाने के निर्णय पर पुनर्विचार किए जाने की आवश्यकता के बारे में एक मामला उठाया।

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्य ने नियम 377 के अधीन उनके नाम के समक्ष यथा इंगित उनके द्वारा उठाए जाने वाले मामले के बारे में वक्तव्य सभा पटल पर रखा:—

(21) प्रो॰ सौगत राय ने भारतीय जूट निगम में श्रम शक्ति की वृद्धि किए जाने की आवश्यकता के बारे में एक मामला उठाया।

10. नियम 374क के अधीन सभा की सेवा से सदस्यों का निलंबन

अध्यक्ष ने निम्नलिखित सदस्यों का नाम लिया और वे नियम 374क के अधीन सभा की लगातार पांच बैठकों अर्थात् 3, 4, 5, 6 और 7 अगस्त, 2015 की सभा की कार्यवाही से स्वत: निलंबित हो गए:—

1. श्री बी॰एन॰ चन्द्रप्पा
2. श्री संतोख सिंह चौधरी
3. श्री ए॰एच॰ खान चौधरी
4. कुमारी सुष्मिता देव
5. श्री आर॰ ध्रुवनारायण
6. श्री निनोंग ईरिंग
7. श्री गौरव गोगोई
8. श्री गुत्था सुकेन्द्र रेड्डी
9. श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा
10. श्री कोडिकुन्नील सुरेश

11. डॉ॰ थोकचोम मेन्या
12. श्री एस॰पी॰ मुद्दाहनुमेगौड़ा
13. श्री अभिजित मुखर्जी
14. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन
15. डॉ॰ के॰एच॰ मुनियप्पा
16. श्री बी॰वी॰ नाईक
17. श्री विनसेंट एच॰ पाला
18. श्री एम॰के॰ राघवन
19. श्रीमती रंजीत रंजन
20. श्री सी॰एल॰ रूआला
21. श्री ताम्रध्वज साहू
22. राजीव सातव
23. श्री रवनीत सिंह
24. श्री डी॰के॰ सुरेश
25. श्री के॰सी॰ वेणुगोपाल

अपराह्न 3.27 बजे

(*व्यवधान के कारण लोक सभा मंगलवार,* 4 *अगस्त,* 2015 *के पूर्वाह्न* 11.00 *बजे तक के लिए स्थगित हुई।*)

अनूप मिश्र
महासचिव

GMGIPMRND—1984LS(S3)—03-08-2015.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

मंगलवार, 4 अगस्त, 2015/13 श्रावण, 1937 (शक)

संख्या 100

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 203—205 और 207 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 208 जिन सदस्यों के नाम सूचीबद्ध था, वे अनुपस्थित थे। तथापि, संबंधित मंत्री ने उत्तर सभा पटल पर रखा। प्रश्न संख्या 208 के अनुपूरक प्रश्न पूछे गए। तारांकित प्रश्न संख्या 210—228 के मौखिक उत्तर दिए गए।

तारांकित प्रश्न संख्या 206 स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को अंतरित किया गया।

नियम 374क के अधीन सदस्यों के निलंबन के कारण तारांकित प्रश्न संख्या 209 का लोप किया गया।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 2302, 2303, 2305—2339, 2342—2375, 2377—2461, 2463—2473, 2475—2489, 2491—2530 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए। नियम 374क के अधीन सदस्यों के निलंबन के कारण अतारांकित प्रश्न संख्या 2301, 2304, 2340, 2341, 2376, 2462, 2474 और 2490 का लोप किया गया।

मध्याह्न 12.00 बजे

3. अध्यक्ष द्वारा बधाई

अध्यक्ष ने, सभा की ओर से, भारतीय क्रीड़ा दल को 26 जुलाई से 2 अगस्त, 2015 तक लोस एंजेलेस में आयोजित विशेष ओलंपिक विश्व ग्रीष्मकालीन खेल, 2015 में 47 स्वर्ण, 54 रजत और 72 कांस्य पदक समेत 173 पदक जीतने पर बधाई दी।

अपराह्न 12.02 बजे

4. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 515(अ) जो 26 जून, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें 20 मार्च, 2015 की अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 213(अ) का शुद्धिपत्र दिया हुआ है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) (एक) नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फण्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फण्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, भोपाल के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, भोपाल के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, भोपाल के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, भोपाल के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ फारेस्ट मैनेजमेंट, भोपाल के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ फारेस्ट मैनेजमेंट, भोपाल के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) उपर्युक्त (8) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 12 और 13 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1783(अ), जो 1 जुलाई, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 18 जुलाई, 2007 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1174(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) गृह मंत्रालय के दिनांक 27 अक्तूबर, 2006 की अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 676(अ) द्वारा चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र तक यथाविस्तारित बिहार निक्षेपकों के हितों का संरक्षण (वित्तीय स्थापनाओं में) अधिनियम, 2002 की धारा 18 की उपधारा (2) के अंतर्गत चंडीगढ़ प्रशासन निक्षेपकों के हितों का संरक्षण (वित्तीय स्थापनाओं में) नियम, 2007 जो 13 जून, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 3/4/02/आरओ(1-2)/534 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 की धारा 4 की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) आंध्र प्रदेश पुनर्गठन (कठिनाइयों का निराकरण) आदेश, 2015, जो 23 अप्रैल, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 311(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(दो) आंध्र प्रदेश पुनर्गठन (कठिनाइयों का निराकरण) दूसरा आदेश, 2015, जो 23 अप्रैल, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 312(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(तीन) आंध्र प्रदेश पुनर्गठन (कठिनाइयों का निराकरण) तीसरा आदेश, 2015, जो 23 अप्रैल, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 313(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(14) सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड तथा भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के बीच वर्ष 2015-2016 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(15) राष्ट्रीय सुरक्षक अधिनियम, 1986 की धारा 139 की उपधारा (3) के अंतर्गत राष्ट्रीय सुरक्षक, निजी सचिव (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2015, जो 28 मार्च, 2015 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 63 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 26 के अंतर्गत गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण, इंस्पेक्टर जनरल, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, एडिशनल सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस और डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस (समूह 'क' पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 2015, जो 26 जून, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 514(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(17) 3 जून, 2015 के आदेश संख्या 26018/133/2012-आईसी-II, जिसके द्वारा यह नियत किया गया है कि विदेशियों विषयक अधिनियम, 1946 के सभी उपबंध तथा उसके अंतर्गत बनाए गए आदेश श्री अदनान सामी खान, पाकिस्तान राष्ट्रिक पर लागू नहीं होंगे तथा इस प्रकार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (2) के अंतर्गत श्री अदनान सामी खान को विवासन कार्यवाहियों से छूट प्रदान की जाती है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) आर्टिफिशियल लिम्ब्स मैन्यूफैक्चरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया तथा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के बीच वर्ष 2015-2016 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(19) संविधान के अनुच्छेद 338क के खण्ड (6) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, नई दिल्ली का वर्ष 2013-2014 का वार्षिक प्रतिवेदन।

(दो) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(20) उपर्युक्त (19) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

5. सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति का प्रतिवेदन

श्री चन्द्रकांत खैरे ने सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति का तीसरा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)प्रस्तुत किया।

6. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(1) खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री ने खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2015-2016) के बारे में खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति के तीसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य दिया।

(2) कृषि मंत्री की ओर से कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री ने कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग, कृषि मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2015-2016) के बारे में कृषि संबंधी स्थायी समिति के दसवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य दिया।

(3) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री ने नि:शक्त व्यक्ति अधिकारिता विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2013-2014) के बारे में सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति के 35वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य दिया।

(4) वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ने वस्त्र मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2015-2016) के बारे में श्रम संबंधी स्थायी समिति के आठवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य दिया।

(5) रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री ने निम्नलिखित के बारे में वक्तव्य दिए:—

(i) रसायन और पेट्रोलियम विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2014-15) के बारे में रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति के पहले प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(ii) उर्वरक विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2014-15) के बारे में रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति के तीसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(6) गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री ने गृह मंत्रालय से संबंधित 'जम्मू और कश्मीर में शरणार्थियों और विस्थापित व्यक्तियों को पेश आ रही समस्याओं' के बारे में गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति के 183वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य दिया।

(7) कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री ने पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन विभाग, कृषि मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2014-2015) के बारे में कृषि संबंधी स्थायी समिति के पांचवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य दिया।

अपराह्न 12.06 बजे

7. सदस्यों द्वारा निवेदन

(एक) सर्वश्री मेकापति राज मोहन रेड्डी और एम॰ श्रीनिवास राव ने आंध्र प्रदेश के उत्तरजीवी राज्य को विशेष श्रेणी का दर्जा दिए जाने की आवश्यकता के बारे में निवेदन किए।

(दो) सर्वश्री ए॰पी॰ जितेन्द्र रेड्डी और बी॰ विनोद कुमार ने तेलंगाना में एक पृथक उच्च न्यायालय स्थापित किए जाने में विफल होने के कारण उत्पन्न स्थिति के बारे में निवेदन किए।

श्री एम॰ वेंकैय्या नायडु ने दोनों मुद्दों पर प्रत्युत्तर दिया।

***8. नियम 377 के अधीन मामले**

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे:—

(1) श्री चन्द्र प्रकाश जोशी ने राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले की तहसील गंगरार के सोनियाना गांव में प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र विकास योजना के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक कदम उठाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(2) श्री अजय निषाद ने मुजफ्फरपुर और दिल्ली के बीच एक स्पेशल ट्रेन चलाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(3) श्री दलपत सिंह परस्ते ने मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में उत्पादित मीथेन गैस का राज्य में प्राथमिकता के आधार पर वितरण सुनिश्चित करने तथा गैस के उत्पादन के प्रयोजन हेतु जिन किसानों की भूमि अधिग्रहित की गई है उन्हें पर्याप्त मुआवजा तथा रोजगार उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(4) श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय ने झारखंड के गिरिडीह संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में लोक उपक्रमों तथा आम जनता को नक्सलवादी हमलों से बचाने के लिए सुरक्षा मजबूत किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(5) श्री सुमेधानन्द सरस्वती ने राजस्थान के सीकर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के बावड़ी में भारतीय खेल प्राधिकरण के प्रशिक्षण केन्द्र को पुन: आरंभ किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(6) श्री हरीशचन्द्र उर्फ हरीश द्विवेदी ने उत्तर प्रदेश के बस्ती संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में बंद पड़ी चीनी मिलों को दोबारा खोले जाने की आवश्यकता के बारे में।

(7) श्री परवेश साहिब सिंह वर्मा ने बीएसएनएल तथा एमटीएनएल की सेवाओं में सुधार करने के लिए उपचारात्मक कदम उठाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(8) श्री अजय मिश्रा टेनी ने उत्तर प्रदेश के खीरी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांवों में जन सुविधाओं तथा शैक्षिक और रोजगार संबंधी पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

---

*अपराह्न 12.17 बजे।

(9) श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया ने राजस्थान के भीलवाड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में गुलाबपुरा और उनियारा के बीच सड़क मार्ग जिसे राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 148डी के रूप में घोषित किया जा चुका है, की मरम्मत तथा रखरखाव का कार्य किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(10) श्री कामाख्या प्रसाद तासा ने देश में उत्तर पूर्वी राज्यों में बेहतर रेल सेवाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(11) श्री शरद त्रिपाठी ने उत्तर प्रदेश में आमी नदी को प्रदूषण मुक्त बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(12) श्री ए॰टी॰ नाना पाटील ने उत्तर महाराष्ट्र के सम्पूर्ण विकास के लिए उत्तर महाराष्ट्र विकास बोर्ड स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(13) श्री सी॰ महेंद्रन ने नेफेड द्वारा कोपरा के क्रय मूल्य में वृद्धि किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(14) श्री एम॰ उदयकुमार ने केरल के मुल्लापेरियार बांध पर केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल तैनात किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(15) श्री बलभद्र माझी ने सी॰बी॰एस॰ई॰ की कक्षा बारहवीं की गणित की पूरक परीक्षा में बैठने वाले सभी अभ्यार्थियों को सामान्यतया उत्तीर्ण घोषित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(16) श्री कृपाल बालाजी तुमाने ने देश में प्राइवेट कोचिंग संस्थानों के कार्यकरण को विनियमित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(17) श्री केसिनेनी श्रीनिवास ने आंध्र प्रदेश को विशेष श्रेणी का दर्जा दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(18) श्री बी॰ विनोद कुमार ने तेलंगाना राज्य के खाते में से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मनमाने ढंग से काटे गए तथा आयकर विभाग में जमा कराए गए 1274 करोड़ रुपए की राशि को राज्य को लौटाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(19) श्री राधेश्याम बिश्वास ने अनुसूचित जाति के छात्रों को मैट्रिकोत्तर शिक्षा की सुविधा प्रदान करने के लिए उनके अभिभावकों की वार्षिक आय सीमा में वृद्धि किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(20) श्री दुष्यंत चौटाला ने धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(21) श्री प्रेम दास राई ने बागडोगरा विमानपत्तन को स्थानान्तरित करने संबंधी भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के प्रस्ताव के बारे में।

अपराह्न 12.32 बजे

9. अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (रेल)—2012-2013

लिया गया समय: 2 घंटे 40 मिनट

वर्ष 2012-13 के लिए बजट (रेल) के संबंध में अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (रेल) संख्यांक 8, 10 और 13 पर चर्चा आरंभ हुई।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री जगदम्बिका पाल
2. श्री कालिकेश एन॰ सिंह देव

(*लोक सभा अपराह्न* 1.02 *बजे स्थगित हुई और अपराह्न* 2.18 *बजे पुन: समवेत हुई*)

अपराह्न 2.18 बजे

3. श्रीमती आर वनरोजा
4. श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव
5. श्री ओम बिरला
6. डॉ॰ पी॰ रवीन्द्र बाबू
7. श्री भैरों प्रसाद मिश्र
8. श्री गोपाल शेट्टी
9. श्री संजय हरिभाऊ जाधव
10. श्री दद्न मिश्रा
11. श्री वी॰ एलुमलाई
12. श्री थोटा नरसिम्हम
13. श्री जुगल किशोर
14. श्री जी॰ हरि
15. श्री प्रेम सिंह चंदूमाजरा

श्री सुरेश प्रभु ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

वर्ष 2012-13 के लिए अनुदानों की अतिरिक्त मांगें (रेल) की मुद्रित सूची के स्तंभ 3 के अंतर्गत दर्शायी गई धनराशि के लिए अतिरिक्त अनुदानों की सभी मांगें संख्या 8, 10 और 13 पूरी-पूरी स्वीकृत हुईं।

अपराह्न 4.23 बजे

10. सरकारी विधेयक—पुर:स्थापित

विनियोग (रेल) संख्यांक 3, 2015

11. सरकारी विधेयक—पारित

विनियोग (रेल) संख्यांक 3, 2015

श्री सुरेश प्रभु ने विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पेश किया।

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खंड-वार विचार आरंभ हुआ।

खंड 2 और 3 स्वीकृत हुए।

अनुसूची स्वीकृत हुई।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री सुरेश प्रभु ने प्रस्ताव किया कि विधेयक पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित किया गया।

अपराह्न 4.25 बजे

12. सरकारी विधेयक—पारित

अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) संशोधन विधेयक, 2014

लिया गया समय: 2 घंटे 23 मिनट

श्री थावर चंद गहलोत ने विधेयक पर विचार करने का प्रस्ताव पेश किया।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री वीरेन्द्र कश्यप

2. डॉ॰ के॰ गोपाल
3. श्री बलभद्र मांझी
4. श्री श्री राम मलयाद्रि
5. डॉ॰ वी॰ वारा प्रसाद राव
6. श्री रत्न लाल कटारिया
7. श्री अरविंद सावंत
8. डॉ॰ किरीट पी॰ सोलंकी
9. साध्वी सावित्री बाई फूले
10. श्री अजय मिश्रा टेनी
11. डॉ॰ पी॰ रवीन्द्र बाबू
12. श्री नाना पटोले
13. श्रीमती रमा देवी
14. डॉ॰ यशवंत सिंह

श्री थावर चंद गहलोत ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खंड-वार विचार आरंभ हुआ।

खंड 2 स्वीकृत हुआ।

खंड 3 स्वीकृत हुआ।

खंड 4 स्वीकृत हुआ।

खंड 5 से 7 स्वीकृत हुए।

खंड 8 और 9 स्वीकृत हुए।

खंड 10 स्वीकृत हुआ।

खंड 11 और 12 स्वीकृत हुए।

खंड 1 यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

अधिनियमन सूत्र यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुआ।

श्री थावर चंद गहलोत ने विधेयक, यथासंशोधित, पारित किए जाने का प्रस्ताव पेश किया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक, यथासंशोधित, पारित किया गया।

*रात्रि 8.17 बजे

(लोक सभा बुधवार, 5 अगस्त, 2015 *के पूर्वाह्न* 11.00 *बजे तक के लिए स्थगित हुई।)*

अनूप मिश्र
महासचिव

*सायं 6.48 बजे से रात्रि 8.17 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

GMGIPMRND—2040LS(S3)—04-08-2015.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

बुधवार, 5 अगस्त, 2015/14 श्रावण, 1937 (शक)

संख्या 101

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. शपथ अथवा प्रतिज्ञान

प्रो॰ रिचर्ड हेय, नामित सदस्य ने अंग्रेजी में शपथ ली, नामावली में हस्ताक्षर किए और सभा में अपना स्थान ग्रहण किया।

पूर्वाह्न 11.03 बजे

2. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 223—225 का मौखिक उत्तर दिया गया। तारांकित प्रश्न संख्या 226 और 227 एक साथ लिए गए और उनके मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 227—242 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

3. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 2531—2537, 2539—2560, 2562, 2563, 2565—2581, 2583—2593, 2596—2637, 2639—2644, 2646—2669, 2671—2681, 2683—2718, 2720—2726, 2728—2737, 2739—2744, 2746—2756, 2758 और 2759 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए। अतारांकित प्रश्न संख्या 2538, 2561, 2564, 2582, 2594, 2595, 2638, 2645, 2670, 2682, 2719, 2727, 2738, 2745, 2757 और 2760 का नियम 374क के अधीन सदस्यों के निलंबन के कारण लोप किया गया।

मध्याह्न 12.00 बजे

4. सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम, 2010 की धारा 42 की उपधारा (2) के अंतर्गत नालंदा विश्वविद्यालय पहला अध्यादेश, 2015 जो 11 जून, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ॰ सं॰ एस/321/25/2014 में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) आईटीआई लिमिटेड तथा दूरसंचार विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के बीच वर्ष 2015-2016 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(दो) टेलीकम्युनिकेशन्स कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड तथा दूरसंचार विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के बीच वर्ष 2015-2016 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(तीन) टेलीकम्युनिकेशन्स कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड तथा टीसीआईएल बीना टोल रोड लिमिटेड के बीच वर्ष 2015-2016 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(चार) टेलीकम्युनिकेशन्स कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड तथा तमिलनाडु टेलीकम्युनिकेशन लिमिटेड के बीच वर्ष 2015-2016 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(3) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 37 के अंतर्गत दूरसंचार अंतर्संबंध उपयोग प्रभार (ग्यारहवां संशोधन) विनियम, 2015 जो 23 फरवरी, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या फाइल सं॰ 409-8/2014-एनएसएल-I में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) तेरहवीं, चौदहवीं, पंद्रहवीं तथा सोलहवीं लोक सभा के विभिन्न सत्रों के दौरान मंत्रियों द्वारा दिए गए आश्वासनों, वचनों तथा परिवचनों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही दर्शाने वाले निम्नलिखित विवरणों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

तेरहवीं लोक सभा

1.	विवरण संख्या 35	ग्यारहवां सत्र, 2002
2.	विवरण संख्या 32	चौदहवां सत्र, 2003

चौदहवीं लोक सभा

3.	विवरण संख्या 31	तीसरा सत्र, 2004
4.	विवरण संख्या 28	पांचवां सत्र, 2005
5.	विवरण संख्या 33	छठा सत्र, 2005
6.	विवरण संख्या 26	तेरहवां सत्र, 2008

पंद्रहवीं लोक सभा

7.	विवरण संख्या 23	दूसरा सत्र, 2009
8.	विवरण संख्या 21	तीसरा सत्र, 2009
9.	विवरण संख्या 20	चौथा सत्र, 2010
10.	विवरण संख्या 18	पांचवां सत्र, 2010
11.	विवरण संख्या 17	छठा सत्र, 2010
12.	विवरण संख्या 15	सातवां सत्र, 2011
13.	विवरण संख्या 15	आठवां सत्र, 2011
14.	विवरण संख्या 14	नौवां सत्र, 2011
15.	विवरण संख्या 13	दसवां सत्र, 2012
16.	विवरण संख्या 11	ग्यारहवां सत्र, 2012
17.	विवरण संख्या 10	बारहवां सत्र, 2012
18.	विवरण संख्या 9	तेरहवां सत्र, 2013
19.	विवरण संख्या 7	चौदहवां सत्र, 2013
20.	विवरण संख्या 5	पंद्रहवां सत्र, 2013-14

सोलहवीं लोक सभा

21.	विवरण संख्या 4	दूसरा सत्र, 2014
22.	विवरण संख्या 3	तीसरा सत्र, 2014
23.	विवरण संख्या 2	चौथा सत्र, 2015

(5) अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखेंगे—

(एक) भारतीय वन सेवा (संवर्ग सदस्य संख्या का नियतन) दूसरा संशोधन विनियम, 2015, जो 30 जून, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 520(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय वन सेवा (वेतन) दूसरा संशोधन नियम, 2015, जो 30 जून, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 521(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) भारतीय वन सेवा (संवर्ग सदस्य संख्या का नियतन) तीसरा संशोधन नियम, 2015, जो 2 जुलाई, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 530(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) भारतीय वन सेवा (वेतन) तीसरा संशोधन नियम, 2015, जो 2 जुलाई, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 531(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(6) लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 की धारा 61 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) लोक सेवक (सूचना तथा आस्तियों और देयताओं की वार्षिक विवरणी देना तथा विवरणियां फाइल करने में आस्तियों की छूट के लिए सीमाएं) संशोधन नियम, 2015, जो 27 अप्रैल, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 322(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) लोक सेवक (सूचना तथा आस्तियों और देयताओं की वार्षिक विवरणी देना तथा विवरणियां फाइल करने में आस्तियों की छूट के लिए सीमाएं) दूसरा संशोधन नियम, 2015, जो 6 जुलाई, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 536(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(7) लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 की धारा 62 की उपधारा (2) के अंतर्गत लोकपाल और लोकायुक्त (कठिनाइयों का निराकरण) आदेश, 2014, जो 27 अप्रैल, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1095(अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) भारत के संविधान के अनुच्छेद 320(5) के अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) दूसरा संशोधन विनियम, 2015, जो 15 जुलाई, 2015 के भारत के राजपत्र में

अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 556(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) (एक) मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) नेशनल माइनारिटीज डेवलपमेंट एण्ड फाइनांस कारपोरेशन तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के बीच वर्ष 2015-2016 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) (एक) पश्चिम बंग सर्व शिक्षा मिशन, कोलकाता के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) पश्चिम बंग सर्व शिक्षा मिशन, कोलकाता के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) उपर्युक्त (12) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) (एक) ओडिशा प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम अथॉरिटी, भुवनेश्वर के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) ओडिशा प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम अथॉरिटी, भुवनेश्वर के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(15) उपर्युक्त (14) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) (एक) दादर एवं नागर हवेली संघ राज्यक्षेत्र राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, सिलवासा के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) दादर एवं नागर हवेली संघ राज्यक्षेत्र राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, सिलवासा के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(17) उपर्युक्त (16) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) (एक) दमन एवं दीव संघ राज्यक्षेत्र राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, दमन के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) दमन एवं दीव संघ राज्यक्षेत्र राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, दमन के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(19) उपर्युक्त (18) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(20) (एक) छत्तीसगढ़ राज्य मॉडल स्कूल संगठन, रायपुर के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) छत्तीसगढ़ राज्य मॉडल स्कूल संगठन, रायपुर के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(21) उपर्युक्त (20) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(22) (एक) छत्तीसगढ़ राज्य मॉडल स्कूल संगठन, रायपुर के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) छत्तीसगढ़ राज्य मॉडल स्कूल संगठन, रायपुर के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(23) उपर्युक्त (22) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(24) (एक) उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अभियान, लखनऊ के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अभियान, लखनऊ के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(25) उपर्युक्त (24) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(26) (एक) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान कर्नाटक, बेंगलुरू के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान कर्नाटक, बेंगलुरू के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(27) उपर्युक्त (26) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(28) (एक) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा मॉडल स्कूल्स, बेंगलुरू के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा मॉडल स्कूल्स, बेंगलुरू के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(29) उपर्युक्त (28) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(30) (एक) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान हरियाणा, पंचकुला के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान हरियाणा, पंचकुला के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(31) उपर्युक्त (30) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(32) (एक) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान नागालैंड, कोहिमा के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान नागालैंड, कोहिमा के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(33) उपर्युक्त (32) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(34) (एक) पुडुचेरी राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, पुडुचेरी के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) पुडुचेरी राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, पुडुचेरी के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(35) उपर्युक्त (34) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(36) (एक) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (त्रिपुरा राज्य मिशन), अगरतला के वर्ष 2013-14 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (त्रिपुरा राज्य मिशन) अगरतला, के वर्ष 2013-14 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(37) उपर्युक्त (36) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(38) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जमशेदपुर, के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जमशेदपुर, के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(39) उपर्युक्त (38) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(40) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अगरतला, के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अगरतला, के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(41) उपर्युक्त (40) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(42) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग एण्ड रिसर्च चेन्नई, के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग एण्ड रिसर्च चेन्नई, के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(43) उपर्युक्त (42) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(44) बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल तथा जैव-प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के बीच वर्ष 2015-16 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(45) हाउसिंग एण्ड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड तथा आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय के बीच वर्ष 2015-2016 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(46) मेट्रो रेल (प्रचालन और अनुरक्षण) अधिनियम, 2002 की धारा 102 के अंतर्गत मेट्रो रेल सामान्य (संशोधन) नियम, 2015 जो 15 मई, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 386(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

5. नियम समिति का प्रतिवेदन

श्री निशिकांत दुबे ने लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के नियम 331 के उप-नियम (1) के अंतर्गत नियम समिति का दूसरा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे।

6. महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्रीमती विजया चक्रवर्ती ने 'सरकारी क्षेत्र के बैंकों में महिलाओं की कार्यदशाएं' विषय पर महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी स्थायी समिति (2014-15) का चौथा प्रतिदेवन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

7. उद्योग संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री रामसिंह राठवा ने उद्योग संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:—

(1) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय से संबंधित खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) अधिनियम, 1956 के कार्यान्वयन की समीक्षा के बारे में समिति के 259वें प्रतिवेदन पर की-गई-कार्यवाही संबंधी 267वां प्रतिवेदन।

(2) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय से संबंधित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (संशोधन) विधेयक, 2015 के बारे में 268वां प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.04 बजे

8. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(1) शहरी विकास मंत्री; आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री; तथा संसदीय कार्य मंत्री ने निम्नलिखित के बारे में वक्तव्य दिए:—

(i) आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2014-15) के बारे में शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति के दूसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(ii) शहरी विकास मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2014-15) के बारे में शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति के पहले प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(2) रेल मंत्री ने 4.8.2015 को पश्चिम बंगाल रेलवे के खिरकिया और बिरंगी स्टेशनों के बीच कामायनी एक्सप्रेस और जनता एक्सप्रेस के पटरी से उतर जाने के बारे में वक्तव्य दिया।

(3) विधि और न्याय मंत्री ने तेलंगाना के लिए पृथक उच्च न्यायालय स्थापित किए जाने के बारे में वक्तव्य दिया।

(4) संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ने निम्नलिखित के बारे में वक्तव्य दिए:—

(i) डाक विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2014-15) के बारे में सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के पहले प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(ii) दूरसंचार विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित अनुदानों की मांगों (2014-15) के बारे में सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के तीसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(5) कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); और उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) की ओर से संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री; परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री; और अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री ने उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2015-16) के बारे में गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति के 186वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य दिया।

*अपराह्न 12.11 बजे

9. सदस्यों द्वारा निवेदन

(एक) श्री ए॰पी॰ जितेन्द्र रेड्डी और श्रीमती कलवकुंतला ने तेलंगाना में एक पृथक उच्च न्यायालय की स्थापना करने में कथित विफलता से उत्पन्न स्थिति के बारे में निवेदन किए।

श्री डी॰वी॰ सदानंद गौडा ने उत्तर दिया।

श्री एम॰ वेंकैय्या नायडू ने भी उत्तर दिया।

अपराह्न 12.28 बजे

(दो) डॉ॰ पी॰ वेणुगोपाल ने तमिलनाडु के मछुआरों के समक्ष आ रही समस्याओं के बारे में निवेदन किया।

सर्वश्री रवीन्द्र कुमार जेना, भैरों प्रसाद मिश्र, और सुमेधानंद सरस्वती सहयोजित हुए।

श्री एम॰ वेंकैय्या नायडू ने उत्तर दिया।

(*लोक सभा अपराह्न* 1.31 *बजे स्थगित हुई और अपराह्न* 2.34 *बजे पुन:समवेत हुई*)

अपराह्न 2.34 बजे

10. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे:—

(1) श्री राम टहल चौधरी ने झारखंड के रांची शहर में यातायात को सुगम बनाने के लिए पुलों का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(2) श्री चिन्तामन नावाशा वांगा ने वसई-विरार नगर निगम को मेगा शहर घोषित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(3) श्री रमेश बिधूड़ी ने दिल्ली में यमुना नदी को प्रदूषण मुक्त बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

---

*अपराह्न 12.11 बजे से अपराह्न 1.31 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

(4) श्री अर्जुन राम मेघवाल ने राजस्थान के बीकानेर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में श्रीकोलायत और नोखा तहसील के अधीन अत्यधिक वर्षा के कारण संकट में आए गांवों में राहत और बचाव कार्य किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(5) श्री अशोक महादेवराव नेते ने महाराष्ट्र में गोशीखुर्द सिंचाई परियोजना के लिए पर्याप्त निधियां उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(6) श्री राघव लखनपाल ने उत्तर प्रदेश के सहारनपुर को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(7) डॉ॰ वीरेन्द्र कुमार ने केन और बेतवा नदियों को परस्पर जोड़े जाने के कार्य में तेजी लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(8) श्री कौशल किशोर ने उत्तर प्रदेश में होम गार्ड और पीआरडी जवानों का वेतन बढ़ाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(9) श्रीमती रीती पाठक ने मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में बढ़ते प्रदूषण पर रोक लगाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(10) श्री भैरों प्रसाद मिश्र ने उत्तर प्रदेश के बांदा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में सरकारी और गैर-सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(11) श्री जगदम्बिका पाल ने कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के अध्यापकों के मानदेय में वृद्धि किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(12) श्रीमती एम॰ वसन्ती ने तमिलनाडु के तिरूनेलवेल्ली जिले में प्रसिद्ध पर्यटन स्थल कोर्टाल्लम के संबंध में सूचना जानने के लिए विदेशी और अंतर्देशीय पर्यटकों की सहायता हेतु मोबाईल एप्लीकेशन बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(13) श्री आर॰पी॰ मरुदराजा ने तमिलनाडु में सिंचाई सुविधाओं के आधुनिकीकरण के दूसरे चरण और जल स्त्रोतों के पुनरूद्धार के लिए विश्व बैंक से वित्तीय सहायता निर्गत कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(14) डॉ॰ कुलमणि सामल ने क्षेत्रीय चिकित्सा अनुसंधान केन्द्र, भुवनेश्वर के निदेशक के रूप में किसी चिकित्सक को नियुक्त किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(15) श्री प्रतापराव जाधव ने महाराष्ट्र में सूखे के कारण संकट में आए किसानों के ऋण माफ किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(16) श्री जैदेव गल्ला ने रूस द्वारा भारतीय छात्रों को प्रदान की गई सभी मेडिकल डिग्रियों को मान्यता प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(17) श्रीमती कोथापल्ली गीता ने आंध्र प्रदेश के अराकु निर्वाचन क्षेत्र को स्वास्थ्य पर्यटन केन्द्र के रूप में विकसित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराह्न 2.35 बजे

11. अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य) 2015-2016

लिया गया समय : 2 घंटे 10 मिनट

वर्ष 2015-16 के लिए बजट (सामान्य) की अनुदानों की अनुपूरक मांग संख्या 1 से 10, 12, 13, 15, 18, 20, 21, 23, 26, 29, 30, 33 से 35, 40, 47, 48, 50, 53 से 56, 58, से 61, 64, 66, 68, 69, 71, 75 से 77, 83, 84, 89, 91, 96, 97, 99, 101, 103 से 105 और 107 से 109 पर चर्चा आरंभ हुई।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद विवाद में भाग लिया:—

1. श्री हुकुम सिंह
2. श्री पी॰आर॰ सेन्थिल नाथन
3. श्री भर्तृहरि महताब
4. श्री विनायक भाउराव राउत
5. श्री एम॰ मुरली मोहन
6. डॉ॰ उदित राज
7. श्री प्रेम सिंह चंदूमाजरा
8. श्री शरद त्रिपाठी
9. श्री सुभाष चंद बहेरिया।

श्री अरूण जेटली ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

वर्ष 2015-2016 के लिए अनुदानों की सभी अनुपूरक मांग सं॰ 1 से 10, 12, 13, 15, 18, 20, 21, 23, 26, 29, 30, 33 से 35, 40, 47, 48, 50, 53 से 56, 58 से 61, 64, 66, 68, 69, 71, 75 से 77, 83, 84, 89, 91, 96, 97, 99, 101, 103 से 105 और 107 से 109 (राजस्व लेखा और पूंजीगत लेखा दोनों) वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की अनुपूरक मांगों (सामान्य) की मुद्रित सूची के स्तम्भ 3 के अंतर्गत दर्शाई गई राशियों के लिए पूरी-पूरी स्वीकृत हुईं।

अपराह्न 4.42 बजे

12. सरकारी विधेयक—पुर:स्थापित

विनियोग (संख्यांक 3) विधेयक, 2015

13. सरकारी विधेयक—पारित

विनियोग (संख्यांक 3) विधेयक, 2015

श्री अरूण जेटली द्वारा पेश किए गए विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खंड-वार विचार आरंभ हुआ।

खंड 2 और 3 स्वीकृत हुए।

अनुसूची स्वीकृत हुई।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री अरूण जेटली ने प्रस्ताव किया कि विधेयक पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित किया गया।

अपराह्न 4.45 बजे

14. सरकारी विधेयक—पारित

दिल्ली उच्च न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2015, *राज्य सभा द्वारा यथापारित*

लिया गया समय: 48 मिनट

श्री डी॰वी॰ सदानंद गौड़ा द्वारा 27 जुलाई, 2015 को पेश किए गए विधेयक पर विचार किए जाने के प्रस्ताव पर आगे चर्चा जारी रही।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री जे॰जयसिंह त्यागराज नटर्जी (*अपना भाषण पुन: आरंभ किया*)
2. श्री तथागत सत्पथी
3. श्री जगदंबिका पाल
4. डॉ॰ वी॰ वारा प्रसाद राव
5. श्रीमती अनुप्रिया सिंह पटेल
6. श्री रमेश बिधुड़ी
7. श्री पी॰पी॰ चौधरी

श्री डी॰वी॰ सदानंद गौड़ा ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खंड-वार विचार आरंभ हुआ।

खंड 2 स्वीकृत हुआ।

खंड 3 और 4 स्वीकृत हुए।

खंड 1 अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री डी॰वी॰ सदानंद गौड़ा ने विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित को पारित किए जाने का प्रस्ताव पेश किया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित किया गया।

अपराह्न 5.24 बजे

15. नियम 193 के अधीन चर्चा

अनुमत समय	:	2 घंटे
लिया गया समय	:	36 मिनट
शेष समय	:	1 घंटा 24 मिनट

डॉ॰ रमेश पोखरियाल 'निशंक' ने संधारणीय विकास लक्ष्य के बारे में चर्चा उठाई।

उनका भाषण अपूर्ण रहा।

चर्चा पूरी नहीं हुई।

सायं 6.00 बजे

(लोक सभा गुरुवार, 6 *अगस्त,* 2015 *के पूर्वाह्न* 11.00 *बजे तक के लिए स्थगित हुई।)*

अनूप मिश्र
महासचिव

GMGIPMRND—2073LS(S3)—05-08-2015.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

गुरुवार, 6 अगस्त, 2015/15 श्रावण, 1937 (शक)

संख्या 102

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. अध्यक्ष द्वारा उल्लेख

अध्यक्ष ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहरों पर क्रमश: 6 और 9 अगस्त, 1945 को परमाणु बम गिराए जाने की 70वीं बरसी के बारे में उल्लेख किया।

तत्पश्चात्, सदस्यगण परमाणु महाविनाश के पीड़ितों की स्मृति में थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

पूर्वाह्न 11.03 बजे

2. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 243—247 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 248, 249, 251, 252, 254 और 256—262 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

नियम 374क के अधीन सदस्यों के निलंबन के कारण तारांकित प्रश्न संख्या 250, 253 और 255 का लोप किया गया।

3. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 2761, 2763—2765, 2767—2769, 2771—2800, 2802—2810, 2813—2878, 2880, 2882—2944, 2946—2948, 2950—2981, 2983—2990 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए। नियम 374क के अधीन सदस्यों के निलंबन के कारण अतारांकित प्रश्न संख्या 2762, 2766, 2770, 2801, 2811, 2812, 2879, 2881, 2945, 2949 और 2982 का लोप किया गया।

अपराह्न 12.02 बजे

4. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) (एक) इंडियन लॉ इंस्टिट्यूट, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन लॉ इंस्टिट्यूट, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) इंटरनेशनल सेंटर फॉर अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंटरनेशनल सेंटर फॉर अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अंतर्गत दामोदर घाटी निगम, विद्युत मंत्रालय द्वारा वर्ष 2007—12 के दौरान विद्युत उत्पादन में क्षमता संवर्धन के संबंध में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक — संघ सरकार (वाणिज्यिक) (2015 का संख्यांक 22)—कार्यनिष्पादन लेखापरीक्षा के प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) एसजेवीएन लिमिटेड तथा विद्युत मंत्रालय के बीच वर्ष 2015-2016 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(दो) एनएचडीसी लिमिटेड तथा एनएचपीसी लिमिटेड के बीच वर्ष 2015-2016 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(तीन) एनएचपीसी लिमिटेड तथा विद्युत मंत्रालय के बीच वर्ष 2015-2016 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(7) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उप-धारा (1) के अंतर्गत डीएनएच पावर डिस्ट्रीब्यूशन कारपोरेशन लिमिटेड, सिलवासा के वर्ष 2012-2013 और 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदनों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) (एक) नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल इंस्टिट्यूट ऑफ वाटर एण्ड लैण्ड मैनेजमेंट, तेजपुर के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल इंस्टिट्यूट ऑफ वाटर एण्ड लैण्ड मैनेजमेंट, तेजपुर के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 10 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) का॰आ॰ 1677(अ) जो 2 जुलाई, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 48 (हस्सन-बंटवाल खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(दो) का॰आ॰ 893(अ) जो 26 मार्च, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 66 (कुंदापुर-सूरतकल खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(तीन) का॰आ॰ 2698(अ) जो 20 अक्तूबर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 948 (तमिलनाडु/कर्नाटक सीमा से थलागट्टापुरा खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(चार) का॰आ॰ 805(अ) जो 15 मार्च, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 65 (सोलापुर-संगारेड्डी खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(पांच) का॰आ॰ 749(अ) जो 13 मार्च, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 9 (नया राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 65) (हैदराबाद-विजयवाड़ा खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(छह) का॰आ॰ 404(अ) जो 6 फरवरी, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (मदुरै-कन्याकुमारी खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(सात) का॰आ॰ 736(अ) जो 11 मार्च, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 16 (चैन्नई-कोलकाता खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(आठ) का॰आ॰ 1062(अ) जो 9 अप्रैल, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 202 (नया राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 163) (यादगिरी-वारंगल खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(नौ) का॰आ॰ 258(अ) जो 28 जनवरी, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 202 (नया राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 163) (यादगिरी-वारंगल खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(दस) का॰आ॰ 395(अ) जो 6 फरवरी, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 202 (नया राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 163) (यादगिरी-वारंगल खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(ग्यारह) का॰आ॰ 1059(अ) जो 9 अप्रैल, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5

(गुंडगुलानु–विजयवाड़ा खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(बारह) का॰आ॰ 750(अ) जो 13 मार्च, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 16 (चैन्नई–कोलकाता खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(तेरह) का॰आ॰ 398(अ) जो 6 फरवरी, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 30 अक्तूबर, 2012 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 2635(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(चौदह) का॰आ॰ 397(अ) जो 6 फरवरी, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 30 अक्तूबर, 2012 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 2636(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(पन्द्रह) का॰आ॰ 371(अ) जो 5 फरवरी, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 (नया राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 53) (जलगांव–महाराष्ट्र/गुजरात सीमा खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(सोलह) का॰आ॰ 2897(अ) जो 13 नवम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 63 (होसपेट–बेल्लारी–आंध्र प्रदेश/कर्नाटक सीमा खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(सत्रह) का॰आ॰ 408(अ) जो 6 फरवरी, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 63 (होसपेट–बेल्लारी–आंध्र प्रदेश/कर्नाटक सीमा खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(अठारह) का॰आ॰ 260(अ) जो 28 जनवरी, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 218 (बीजापुर–गुलबर्गा–होमनाबाद खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(उन्नीस) का॰आ॰ 583(अ) जो 20 फरवरी, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में मुम्बई–वड़ोदरा एक्सप्रेसवे के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन हेतु उसमें उल्लिखित अधिकारियों को सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किए जाने के बारे में है।

(बीस) का॰आ॰ 710(अ) जो 10 मार्च, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 63 (हुबली–होसपेट खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(इक्कीस) का॰आ॰ 1334(अ) जो 19 मई, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 17 की पनवेल महाद पणजी सड़क पर सावित्री नदी पर स्थायी सेतु का प्रयोग करने वाले यांत्रिक वाहनों से शुल्क के संग्रहण के लिए मुख्य अभियंता (राष्ट्रीय राजमार्ग) लोक निर्माण विभाग मुम्बई या उसके विधिक प्रतिनिधि को प्राधिकृत किया गया है।

(बाईस) का॰आ॰ 657(अ) जो 4 मार्च, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 71 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन हेतु सब कलेक्टर, मदनापल्ले, आंध्र प्रदेश को सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किए जाने के बारे में है।

(तेईस) का॰आ॰ 1197(अ) जो 6 मई, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 42 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन हेतु अपर संयुक्त कलेक्टर, अनन्तपुरम को सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किए जाने के बारे में है।

(चौबीस) का॰आ॰ 1249(अ) जो 11 मई, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 42 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन हेतु संयुक्त कलेक्टर, अनन्तपुरम को सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किए जाने के बारे में है।

(पच्चीस) का॰आ॰ 1275(अ) जो 14 मई, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 18 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन हेतु उसमें उल्लिखित अधिकारियों को सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किए जाने के बारे में है।

(छब्बीस) का॰आ॰ 1276(अ) जो 14 मई, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 42 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन हेतु अपर संयुक्त कलेक्टर, अनन्तपुरम को सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किए जाने के बारे में है।

(सत्ताईस) का॰आ॰ 1277(अ) जो 14 मई, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 219 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन हेतु उप-कलेक्टर, मदनापल्ले को सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किए जाने के बारे में है।

(अट्ठाईस) का॰आ॰ 1463(अ) जो 4 जून, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 31 जुलाई, 2013 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 2325(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(उनतीस) का॰आ॰ 1747(अ) जो 30 जून, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 23 दिसम्बर, 2014 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 104(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(तीस) का॰आ॰ 3217(अ) जो 18 दिसम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 (अच्छद-धेकाले खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(इकतीस) का॰आ॰ 3227(अ) जो 18 दिसम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 10 सितम्बर, 2014 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 2296(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(बत्तीस) का॰आ॰ 401(अ) जो 6 फरवरी, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 66 के निर्माण,

अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(तैंतीस) का॰आ॰ 790(अ) जो 18 मार्च, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कर्नाटक राज्य में प्रस्तावित बंगलौर–चेन्नई एक्सप्रेसवे के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(चौंतीस) का॰आ॰ 1304(अ) जो 16 मई, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 63 (हुबली–होसपेट खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(पैंतीस) का॰आ॰ 7(अ) जो 1 जनवरी, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 17 सितम्बर, 2014 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 2415(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(छत्तीस) का॰आ॰ 643(अ) जो 3 मार्च, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 18 दिसम्बर, 2014 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 3230(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(सैंतीस) का॰आ॰ 2274(अ) जो 8 सितम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 (हवेरी–हुबली खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(अड़तीस) का॰आ॰ 653(अ) जो 3 मार्च, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 218 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन हेतु विशेष भूमि–अधिग्रहण अधिकारी एवं सम्पदा अधिकारी, राष्ट्रीय राजमार्ग, मिनि विधानसौध धारवाड़ को सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किया गया है।

(उनतालीस) का॰आ॰ 642(अ) जो 3 मार्च, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 218 (बडागंडी गांव) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन हेतु विशेष भूमि–अधिग्रहण अधिकारी एवं सम्पदा अधिकारी, राष्ट्रीय राजमार्ग, मिनि विधानसौध धारवाड़ को सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किया गया है।

(चालीस) का॰आ॰ 1074(अ) जो 24 अप्रैल, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 50 (पुणे, नासिक फाटा–खेड़ खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन हेतु उसमें उल्लिखित सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किया गया है।

(इकतालीस) का॰आ॰ 1075(अ) जो 24 अप्रैल, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 234 (हुलियार–सिरा खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि अर्जन के बारे में है।

(बयालीस) का॰आ॰ 1076(अ) जो 24 अप्रैल, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 206 (तुमकुर–होन्नावर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(तेतालीस) का॰आ॰ 2423(अ) जो 17 सितम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 28 मई, 2013 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1390(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(चवालीस) का॰आ॰ 2424(अ) जो 17 सितम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 2 मार्च, 2001 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 194(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(पैतालीस) का॰आ॰ 1285(अ) जो 14 मई, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित राजमार्गों को नए राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में घोषित किया गया है।

(छियालीस) का॰आ॰ 1286(अ) जो 14 मई, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अप्रैल, 2011 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 689(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(सैतालीस) का॰आ॰ 1409(अ) जो 26 मई, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके उसमें उल्लिखित राजमार्गों को नए राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में घोषित किया गया है।

(अडतालीस) का॰आ॰ 1031(अ) जो 17 मई, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित

हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित राजमार्गों को नए राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में घोषित किया गया है।

(उनचास) का॰आ॰ 1513(अ) जो 10 जून, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित राजमार्गों को नए राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में घोषित किया गया है।

(पचास) का॰आ॰ 1410(अ) जो 26 मई, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अप्रैल, 2011 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 689(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(इक्यावन) का॰आ॰ 1150(अ) जो 1 मई, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अप्रैल, 2011 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 689(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(बावन) का॰आ॰ 1283(अ) जो 14 मई, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित नए राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 129क के खण्डों को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपा गया है।

(तिरेपन) का॰आ॰ 1284(अ) जो 14 मई, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(चौवन) का॰आ॰ 1514(अ) जो 10 जून, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(पचपन) का॰आ॰ 1518(अ) जो 10 जून, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(छप्पन) का॰आ॰ 1515(अ) जो 10 जून, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(सतावन) का॰आ॰ 1516(अ) जो 10 जून, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 26 अप्रैल, 2002 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 465(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(अठावन) का॰आ॰ 1517(अ) जो 10 जून, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(उनसठ) का॰आ॰ 1033(अ) जो 10 जून, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(साठ) का॰आ॰ 1034(अ) जो 17 अप्रैल, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित नए राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 313 और 713 के खण्डों को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपा गया है।

(इकसठ) का॰आ॰ 1035(अ) जो 17 अप्रैल 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(बासठ) का॰आ॰ 878(अ) जो 31 मार्च, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित खण्डों को राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड को सौंपा गया है।

(तिरसठ) का॰आ॰ 879(अ) जो 31 मार्च, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(चौसठ) का॰आ॰ 883(अ) जो 31 मार्च, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित नए राष्ट्रीय राजमार्गों के खण्डों को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपा गया है।

(पैंसठ) का॰आ॰ 884(अ) जो 31 मार्च, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(छियासठ) का॰आ॰ 978(अ) जो 9 अप्रैल, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(सड़सठ) का॰आ॰ 880(अ) जो 31 मार्च, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अप्रैल, 2011 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 689(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(अड़सठ) का॰आ॰ 881(अ) जो 31 मार्च, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित राजमार्गों को नए राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में घोषित किया गया है।

(उनहत्तर) का॰आ॰ 1037(अ) जो 17 अप्रैल, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अप्रैल, 2005 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(सत्तर) का॰आ॰ 976(अ) जो 9 अप्रैल, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 28 मई, 2014 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1395(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(इकहत्तर) का॰आ॰ 977(अ) जो 9 अप्रैल, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(बहत्तर) का॰आ॰ 973(अ) जो 9 अप्रैल, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 27 सितम्बर, 2005 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1399(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(तिहत्तर) का॰आ॰ 974(अ) जो 9 अप्रैल, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2015 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(चौहत्तर) का॰आ॰ 975(अ) जो 9 अप्रैल, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित राजमार्गों को नए राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में घोषित किया गया है।

(पचहत्तर) का॰आ॰ 882(अ) जो 31 मार्च, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(छिहत्तर) का॰आ॰ 972(अ) जो 9 अप्रैल, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित राजमार्गों को नए राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में घोषित किया गया है।

(सतहत्तर) का॰आ॰ 1036(अ) जो 17 अप्रैल, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(अठहत्तर) का॰आ॰ 1032(अ) जो 17 अप्रैल, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित नए राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 123 के खण्डों को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपा गया है।

(उनासी) का॰आ॰ 362(अ) जो 5 फरवरी, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 202 (नया राष्ट्रीय राजमार्ग 163) (यादगिरि-वारंगल खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(12) मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 212 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) केन्द्रीय मोटर यान (आठवां संशोधन) नियम, 2015 जो 12 जून, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 487(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) केन्द्रीय मोटर यान (नौवां संशोधन) नियम, 2015 जो 15 जून, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 492(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) केन्द्रीय मोटर यान (दसवां संशोधन) नियम, 2015 जो 16 जून, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 498(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) केन्द्रीय मोटर यान (सातवां संशोधन) नियम, 2015 जो 21 मई, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 412(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(13) राष्ट्रीय राजमार्ग नियंत्रण (भूमि और यातायात) अधिनियम, 2002 की धारा 50 के अंतर्गत अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1453(अ), जो 2 जून, 2015 के भारत के

राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो राजमार्ग प्रशासनों की स्थापना के बारे में है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

5. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(1) ग्रामीण विकास मंत्री; पंचायती राज मंत्री; और पेयजल और स्वच्छता मंत्री ने भू-संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2014-2015) के बारे में ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के दूसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य दिया।

(2) गृहमंत्री ने 5 अगस्त, 2015 को जम्मू-कश्मीर के ऊधमपुर में हुए आतंकी हमले के बारे में एक वक्तव्य दिया।

(3) विदेश मंत्री ने आईपीएल के भूतपूर्व चीफ को यात्रा दस्तावेज निर्गत किए जाने हेतु ब्रिटिश सरकार को अनुरोध किए जाने के मुद्दे पर अपनी कथित भूमिका के बारे में वक्तव्य दिया।

*अपराह्न 12.23 बजे

6. सदस्यों द्वारा निवेदन

डॉ॰ किरीट सोमैय्या और श्री अर्जुन राम मेघवाल ने 5 अगस्त, 2015 को अध्यक्ष के सरकारी निवास के सामने युवा कांग्रेस के सदस्यों द्वारा विरोध प्रदर्शन किए जाने के बारे में निवेदन किए।

सर्वश्री भैरों प्रसाद मिश्र, पी॰पी॰ चौधरी, निशिकांत दुबे और सुधीर गुप्ता सहयोजित हुए।

श्री एम॰ वैंकैय्या नायडू भी इस विषय पर बोले।

(*लोक सभा अपराह्न* 1.20 *बजे स्थगित हुई और अपराह्न* 2.33 *बजे पुन:समवेत हुई*)

अपराह्न 2.33 बजे

7. नियम 377 के अधीन मामले

(1) श्री सुनील कुमार सिंह ने झारखंड में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत दी गई निविदा में पायी गई अनियमितताओं के बारे में एक मामला उठाया।

(2) श्री चन्द्रकांत खैरे ने महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी त्यौहार के दौरान अर्द्धरात्रि 12 बजे तक लाउडस्पीकर के उपयोग की अनुमति दिए जाने की आवश्यकता के बारे में एक मामला उठाया।

---

*अपराह्न 12.29 बजे से अपराह्न 1.20 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

(3) श्री कीर्ति वर्धन सिंह ने उत्तर प्रदेश के गोण्डा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत गांवों के विद्युतीकरण में तेजी लाए जाने की आवश्यकता के बारे में एक मामला उठाया।

(4) श्री पंकज चौधरी ने उत्तर प्रदेश में आनंदनगर-महाराजगंज-घुघुली रेल लाइन के निर्माण हेतु प्रशासनिक और वित्तीय अनुमोदन दिए जाने की आवश्यकता के बारे में एक मामला उठाया।

(5) डॉ॰ भोला सिंह ने क्षमता में वृद्धि करने और बरौनी तेल शोधक कारखाने में औद्योगिक इकाइयां स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में एक मामला उठाया।

(6) डॉ॰ रमेश पोखरियाल 'निशंक' ने उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित व्यक्तियों को राहत पैकेज और ऋण माफ किए जाने की आवश्यकता के बारे में एक मामला उठाया।

(7) श्री महेश गिरी ने दिल्ली में दिलशाद गार्डन मेट्रो स्टेशन को आनन्द विहार मेट्रो स्टेशन से जोड़े जाने की आवश्यकता के बारे में एक मामला उठाया।

(8) डॉ॰ भागीरथ प्रसाद ने मध्य प्रदेश के दतिया जिले में प्रस्तावित 342 मेगावाट विद्युत परियोजना की स्थापना में तेजी लाए जाने की आवश्यकता के बारे में एक मामला उठाया।

(9) श्री रत्न लाल कटारिया ने सिंचाई हेतु अधिक निधियां आवंटित किए जाने की आवश्यकता के बारे में एक मामला उठाया।

(10) श्री कपिल मोरेश्वर पाटील ने कल्याण-टिटवाला-मुरबाड हेतु नई रेल लाइन बिछाए जाने की आवश्यकता के बारे में एक मामला उठाया।

(11) श्री राहुत कस्वां ने राजस्थान के जिला हनुमानगढ़ के चक राजासर, नोहर तहसील में एक परिवार की हत्या की जांच सीबीआई द्वारा किए जाने की आवश्यकता के बारे में एक मामला उठाया।

(12) श्रीमती जयश्रीबेन पटेल ने पावर स्टेशन हेतु कोयले के परिवहन हेतु रेलवे द्वारा ढुलाई का युक्तिकरण किए जाने की आवश्यकता के बारे में एक मामला उठाया।

(13) श्रीमती के॰ मरगथम ने 2015 में तमिलनाडु के लिए अतिरिक्त हज कोटा जारी किए जाने की आवश्यकता के बारे में एक मामला उठाया।

(14) श्री के॰ अशोक कुमार ने वन और वन्य जीव देखभाल सेवाओं हेतु प्रतिपूर्ति वानिकीकरण निधि स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में एक मामला उठाया।

(15) श्री रवीन्द्र कुमार जेना ने दूध और अन्य खाद्य पदार्थों में मिलावट को रोके जाने की आवश्यकता के बारे में एक मामला उठाया।

(16) श्री राजू शेट्टी ने गन्ना किसानों और चीनी उद्योग की समस्याओं को दूर करने हेतु चीनी नीति में संशोधन किए जाने की आवश्यकता के बारे में एक मामला उठाया।

(17) श्री ओम बिरला ने राजस्थान के कोटा में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान का परिसर स्थापित करने हेतु अवसंरचना विकास में तेजी लाए जाने की आवश्यकता के बारे में एक मामला उठाया।

(18) श्री राजेश रंजन ने भारत-नेपाल पंचेश्वर एवं सप्तकोशी बहुउद्देशीय परियोजनाओं में तेजी लाने हेतु आवश्यक उपाय किए जाने की आवश्यकता के बारे में एक मामाला उठाया।

अपराह्न 3.04 बजे

8. सरकारी विधेयक—पारित

परक्राम्य लिखत (संशोधन) विधेयक, 2015 (2015 *का* 186)

लिया गया समय: 1 घंटा 04 मिनट

अध्यक्षपीठ ने उन सभी तीन सदस्यों के नाम पुकारे जिनके नाम परक्राम्य लिखत (संशोधन) अध्यादेश, 2015 (2015 का संख्यांक 6) सूचीबद्ध थे, किंतु तीनों सदस्य अनुपस्थित थे।

तद्नुसार, सांविधिक संकल्प पेश नहीं किया गया।

श्री अरुण जेटली की ओर से श्री जयंत सिन्हा ने विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पेश किया।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री प्रहलाद सिंह पटेल
2. श्री बी॰ सेनगुट्टुवन
3. श्री तथागत सत्पथी
4. श्री आनंदराव अडसुल
5. श्री जयदेव गल्ला
6. श्री बूरा नरसैय्या गौड़

7. श्रीमती रमा देवी
8. श्री वी॰ वारा प्रसाद राव

श्री जंयत सिन्हा ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खण्ड-वार विचार आरंभ हुआ।

खंड 2 स्वीकृत हुआ।

खंड 3 से 5 स्वीकृत हुए।

खंड 1 अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री जंयत सिन्हा ने प्रस्ताव किया कि विधेयक पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित किया गया।

अपराह्न 4.08 बजे

9. सरकारी विधेयक—पारित

निरसन और संशोधन (चौथा) विधेयक, 2015

लिया गया समय: 50 मिनट

श्री डी॰वी॰ सदानंद गौड़ा ने विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पेश किया।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री गणेश सिंह
2. एडवोकेट एम॰ उदय कुमार
3. श्री तथागत सत्पथी
4. डॉ॰ सत्यपाल सिंह
5. श्री बी॰ विनोद कुमार

श्री डी॰वी॰ सदानंद गौड़ा ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खंड-वार विचार आरंभ हुआ।

खंड 2 से 4 स्वीकृत हुए।

पहली अनुसूची और दूसरी अनुसूची स्वीकृत हुईं।

खंड 1, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री डी॰वी॰ सदानंद गौड़ा ने प्रस्ताव किया कि विधेयक, यथासंशोधित, पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक, यथासंशोधित पारित किया गया।

अपराह्न 4.59 बजे

10. नियम 193 के अधीन चर्चा

अनुमत समय	: 2 घंटे
लिया गया समय	: 1 घंटा 37 मिनट
शेष	: 23 मिनट

डॉ॰ रमेश पोखरियाल 'निशंक' द्वारा 5 अगस्त, 2015 को संधारणीय विकास लक्ष्य के बारे में उठाई गई चर्चा आगे जारी रही।

डॉ॰ रमेश पोखरियाल 'निशंक' ने अपना भाषण पुन: आरंभ किया।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. डॉ॰ कुलमणि सामल
2. श्री एस॰आर॰ विजया कुमार
3. श्री जयदेव गल्ला
4. श्री प्रहलाद सिंह पटेल (भाषण अपूर्ण रहा)

चर्चा पूरी नहीं हुई।

सायं 6.00 बजे

(लोक सभा शुक्रवार, 7 अगस्त, 2015 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

अनूप मिश्र
महासचिव

GMGIPMRND—2115LS(S3)—06-08-2015.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

शुक्रवार, 7 अगस्त, 2015/16 श्रावण, 1937 (शक)

संख्या 103

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. अध्यक्ष द्वारा उल्लेख

अध्यक्ष ने महात्मा गांधी के नेतृत्व में 9 अगस्त, 1942 को प्रारंभ किए गए 'भारत छोड़ो' आंदोलन के 73वीं वर्षगांठ के बारे में उल्लेख किया तथा हमारे राष्ट्रपिता और स्वतंत्रता संघर्ष में अपनी जान न्यौछावर करने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की।

तत्पश्चात्, सदस्यगण शहीदों के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

पूर्वाह्न 11.02 बजे

2. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 264, 265, 265क, 266 और 267 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 268—282 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

नियम 374क के अधीन सदस्यों के निलंबन के कारण तारांकित प्रश्न संख्या 263 का लोप किया गया।

3. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 2991—3002, 3004—3014, 3016—3035, 3037—3038, 3040—3058, 3060—3063, 3065—3083, 3085—3114, 3116—3139, 3141—3150, 3152—3156 और 3158—3220 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

नियम 374क के अधीन सदस्यों के निलंबन के कारण अतारांकित प्रश्न संख्या 3003, 3015, 3036, 3039, 3059, 3064, 3084, 3115, 3140, 3151 और 3157 का लोप किया गया।

अपराह्न 12.02 बजे

4. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) प्रतिस्पर्धा (संशोधन) अधिनियम, 2007 द्वारा यथासंशोधित प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 63 की उप-धारा (3) के अंतर्गत भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (आयोग के सचिव और अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों के वेतन, भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें तथा ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों की संख्या) संशोधन नियम, 2015, जो 5 जून, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 458(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 159 के अंतर्गत अधिसूचना सं॰ 44/2015-सी॰शु॰ जो 7 अगस्त 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी जिसका आशय 31 मार्च, 2016 तक गेहूं पर 10% आधारभूत सीमा शुल्क लगाया जाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(3) गैर-राजपत्रित केन्द्र सरकार कर्मचारियों को 30/- रु॰ प्रतिमाह परिवहन भत्ते के संदाय के बारे में सीए संदर्भ 1988 का मामला संख्या 1-माध्यस्थम बोर्ड के पंचाट के आग्रहण से संबंधित विनिश्चय के बारे में माध्यस्थम बोर्ड के पंचाट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 93 के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजिंग और लेबलिंग) (संशोधन) विनियम, 2015 जो 18 फरवरी, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ॰ सं॰ 1-83एल/एसओएल॰/नोटि॰/एफएसएसएआई-2012 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) दंत चिकित्सक अधिनियम, 1948 की धारा 20 की उप-धारा (4) के अंतर्गत संशोधित बीडीएस पाठ्यक्रम (सातवां संशोधन) विनियम, 2015 जो 29 मई, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या डी॰ ई॰-87(1) 2015 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल कॉरपोरेशन लिमिटेड तथा आयुष मंत्रालय के बीच वर्ष 2015-2016 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखेंगे।

(7) विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 19 की उप-धारा (3) के अंतर्गत विदेश व्यापार (विनियमन) (संशोधन) नियम, 2015, जो 17 अप्रैल, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 300(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखेंगी।

(8) भारत में आवास के रुझान और प्रगति-2014 के बारे में वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) भारतीय जीवन बीमा निगम, मुंबई के वर्ष 2014-2015 के 45वें मूल्यांकन प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) सिक्युरिटी प्रिंटिग एण्ड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड तथा वित्त मंत्रालय के बीच वर्ष 2015-2016 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) (एक) नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एण्ड रूरल डेवलपमेंट, मुंबई के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एण्ड रूरल डेवलपमेंट, मुंबई के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) 31 मार्च, 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों के निम्नलिखित वार्षिक प्रतिवेदनों तथा लेखाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन—

(एक) सर्व यूपी ग्रामीण बैंक, मेरठ

(दो) उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, मुजफ्फरपुर

(तीन) सेंट्रल मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक, छिंदवाड़ा

(चार) बड़ोदा गुजरात ग्रामीण बैंक, भरूच

(पांच) झारखण्ड ग्रामीण बैंक, रांची

(छह) पंजाब ग्रामीण बैंक, फिरोजपुर

(13) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) का॰आ॰ 892(अ) जो 31 मार्च, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 145(2) के अंतर्गत दस मामलों पर आय संगणना और प्रकटन मानकों को अधिसूचित किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) का॰आ॰ 758(अ) जो 14 मार्च, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा नियम 10च, 10ज, 10झ, 10ट, 10ड, 10द का संशोधन तथा नियम 10डक और 10दक का अंत:स्थापन, और आयकर नियम, 1962 के प्ररूप संख्या 3 सीईडीए का अंत:स्थापन किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) आयकर (छठा संशोधन) नियम, 2015, जो 13 अप्रैल, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1002(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) आयकर (सातवां संशोधन) नियम, 2015, जो 13 अप्रैल, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1014(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) आयकर (नौवां संशोधन) नियम, 2015, जो 24 जून, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1683(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) आयकर (चौथा संशोधन) नियम, 2015, जो 1 अप्रैल, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 915(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) आयकर (पांचवां संशोधन) नियम, 2015, जो 10 अप्रैल, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 995(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(14) विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 की धारा 48 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) विदेशी मुद्रा प्रबंध (अनुज्ञेय पूंजी लेखा) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2015 जो 13 अप्रैल, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 283(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2015 जो 13 अप्रैल, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 284(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) विदेशी मुद्रा प्रबंध (सामग्री और सेवाओं का निर्यात) (संशोधन) विनियम, 2015 जो 28 अप्रैल, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 326(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (चौथा संशोधन) विनियम, 2015 जो 11 अप्रैल, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 484(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(15) बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली अधिनियम, 1993 की धारा 3 की उपधारा (2) के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 434(अ), जो 29 मई, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 18 जनवरी, 2002 की अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 48(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 31 के अंतर्गत भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (कर्मचारियों की सेवा) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2015, जो 21 अप्रैल, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सेबी-एनआरओ/ओआईएई/जीएन/2015-16/002 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(17) बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 की धारा 19 की उपधारा (6) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध) संशोधन स्कीम, 2014, जो 6 जनवरी, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 42(अ) में प्रकाशित हुई थी।

(दो) राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध) संशोधन स्कीम, 2014, जो 6 जनवरी, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 43(अ) में प्रकाशित हुई थी।

(तीन) राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध) संशोधन स्कीम, 2015, जो 8 जुलाई, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1836(अ) में प्रकाशित हुई थी।

(चार) राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध) संशोधन स्कीम, 2015, जो 8 जुलाई, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1837(अ) में प्रकाशित हुई थी।

(पांच) राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध) संशोधन स्कीम, 2015, जो 4 फरवरी, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 348(अ) में प्रकाशित हुई थी।

(छह) राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध) संशोधन स्कीम, 2015, जो 4 फरवरी, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 349(अ) में प्रकाशित हुई थी।

(18) स्वापक ओषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 77 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) स्वापक ओषधि और मन:प्रभावी पदार्थ (चौथा संशोधन) नियम, 2015, जो 17 जून, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 500(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) स्वापक ओषधि और मन:प्रभावी पदार्थ (तीसरा संशोधन) नियम, 2015, जो 5 मई, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 359(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) का॰आ॰ 1181(अ) जो 5 मई, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा छह स्वापक ओषधियों को आवश्यक स्वापक ओषधियों के रूप में अधिसूचित किया गया है।

(19) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क की उपधारा (7) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) सा॰का॰नि॰ 293(अ) जो 16 अप्रैल, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय प्रतिपाटन एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय द्वारा संचालित प्रतिपाटन जांच के अंतिम निष्कर्षों के अनुसरण में चायनीज ताइपे और सउदी अरब से उद्‌भूत अथवा वहां से निर्यातित 'एसीटोन' के आयात पर पांच वर्ष की अवधि के लिए निश्चयातमक प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा॰का॰नि॰ 301(अ) जो 17 अप्रैल, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय प्रतिपाटन एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय द्वारा संचालित सनसेट समीक्षा जांच का परिणाम आने तक थाइलैंड और जापान से उद्‌भूत अथवा वहां से निर्यातित 'फेनोल' के आयात पर उसमें उद्ग्रहित प्रतिपाटन शुल्क को एक वर्ष की और अवधि के लिए अर्थात् 18 अप्रैल, 2016, जिसमें यह तारीख भी शामिल है, तक बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा॰का॰नि॰ 350(अ) जो 1 मई, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय प्रतिपाटन एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय द्वारा संचालित की जा रही सनसेट समीक्षा जांच का परिणाम आने तक रूस से उद्‌भूत अथवा वहां से निर्यातित 'पॉलीटेट्राफ्लूरोइथीलिन (पीटीएफई)' के आयात पर उसमें उद्ग्रहित प्रतिपाटन शुल्क को एक वर्ष की और अवधि के लिए अर्थात् 2 मई, 2016, जिसमें यह तारीख भी शामिल है, तक बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा॰का॰नि॰ 392(अ) जो 18 मई, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय प्रतिपाटन एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय द्वारा संचालित मध्यावधि समीक्षा के अंतिम निष्कर्षों के अनुसरण में संयुक्त राज्य अमरीका से उद्‌भूत अथवा वहां से निर्यातित 'मॉरफोलिन' के आयात पर प्रतिपाटन शुल्क के उद्ग्रहण को वापस लेना है तथा चीन जनवादी गणराज्य और यूरोपीय संघ से उद्‌भूत अथवा वहां से निर्यातित 'मॉरफोलिन' के आयात पर प्रतिपाटन शुल्क के उद्ग्रहण को 19 सितम्बर, 2016 तक जारी रखना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा॰का॰नि॰ 409(अ) जो 20 मई, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय प्रतिपाटन एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय द्वारा संचालित प्रतिपाटन जांच के अंतिम निष्कर्षों के अनुसरण में चीन जनवादी गणराज्य से उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित 'सोडियम साइट्रेट' के आयात पर पांच वर्ष की अवधि के लिए निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा॰का॰नि॰ 413(अ) जो 22 मई, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय प्रतिपाटन एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय द्वारा संचालित प्रतिपाटन जांच के अंतिम निष्कर्षों के अनुसरण में रूस से उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित 'पेंटाइरीथ्रीटॉल' के आयात पर पांच वर्ष की अवधि के लिए निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा॰का॰नि॰ 414(अ) जो 22 मई, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय प्रतिपाटन एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय द्वारा संचालित प्रतिपाटन जांच के अंतिम निष्कर्षों के अनुसरण में चीन जनवादी गणराज्य, कोरिया गणराज्य और थाइलैंड से उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित 'मोटर वाहनों में इस्तेमाल किए जाने वाले और 12 इंच से 24 इंच तक व्यास के आकार वाले कास्ट एलुमीनियम एलॉय व्हील्स या एलॉय रोड व्हील्स, चाहे ये अपने सहायक उपकरणों से संलग्न हो या नहीं, के आयात पर अनंतिम प्रतिपाटन शुल्क के अधिरोपण की तारीख, अर्थात 11 अप्रैल, 2014, से पांच वर्ष की अवधि के लिए निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा॰का॰नि॰ 415(अ) जो 27 मई, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय प्रतिपाटन एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय द्वारा संचालित जांच के अंतिम निष्कर्षों के अनुसरण में चीन जनवादी गणराज्य और चायनीज ताइपे से उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित 'यूएसबी फ्लैश ड्राइवर्स जिनमें पेन ड्राइव, कीचेन ड्राइव्स, की ड्राइव्स यूएसबी स्टिक्स, फ्लैश स्टिक्स, जम्प स्टिक्स, यूएसबी कीज या मेमोरी कीज के विभिन्न अन्य नामों से बाजार में ज्ञात उत्पाद शामिल हैं, के आयात पर अधिरोपण की तारीख अर्थात 22 मई, 2015 से पांच वर्ष की अवधि के लिए निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) सा॰का॰नि॰ 429(अ) जो 27 मई, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय प्रतिपाटन एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय द्वारा संचालित जांच के अंतिम निष्कर्षों के अनुसरण में कोरिया गणराज्य और थाइलैंड से उद्‌भूत अथवा वहां से निर्यातित 'प्यूरीफाइड टेरेफ्थैलिक एसिड (पीटीए)' जिसमें इसके विभिन्न मीडियम क्वालिटी टेरेफ्थैलिक एसिड (एमटीए) और क्वालीफाइड टेरेफ्थैलिक एसिड (क्यूटीए) भी शामिल है, के आयात पर अनंतिम प्रतिपाटन शुल्क के अधिरोपण की तारीख, अर्थात् 25 जुलाई, 2014 से पांच वर्ष की अवधि के लिए निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) सा॰का॰नि॰ 437(अ) जो 29 मई, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय प्रतिपाटन एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय द्वारा संचालित जांच के अंतिम निष्कर्षों के अनुसरण में चीन जनवादी गणराज्य से उद्‌भूत अथवा वहां से निर्यातित सभी प्रकार के इलेक्ट्रानिक कैलकुलेटर्स (ऐसे कैलकुलेटर्स जिनके साथ प्रिंटर लगे हुए हैं, जिन्हें आम तौर पर प्रिंटिंग कैलकुलेटर्स कहा जाता है; चार्ट और ग्राफ बनाने की क्षमता वाले कैलकुलेटर्स, जिन्हें आम तौर पर ग्राफिंग कैलकुलेटर्स और प्रोग्राम साध्य कैलकुलेटर्स कहा जाता है, को छोड़कर) के आयात पर अधिरोपण की तारीख अर्थात 29 मई, 2015 से पांच वर्ष की अवधि के लिए निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) सा॰का॰नि॰ 443(अ) जो 1 जून, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय प्रतिपाटन एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय द्वारा संचालित की जा रही सनसेट समीक्षा जांच के परिणाम आने तक कोरिया गणराज्य, ताईवान, चीन जनवादी गणराज्य, मलेशिया, थाईलैण्ड और रूस से उद्‌भूत अथवा वहां से निर्यातित 'पॉली विनाइल पेस्ट रेसिन' के आयात पर उसमें उद्‌ग्रहित प्रतिपाटन शुल्क को एक वर्ष की और अवधि के लिए अर्थात् 25 जुलाई, 2016 जिसमें यह तारीख भी शामिल है, तक बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बारह) सा॰का॰नि॰ 444(अ) जो 1 जून, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय प्रतिपाटन एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय द्वारा संचालित की जा रही सनसेट समीक्षा जांच के परिणाम आने तक यूरोपीय संघ से उद्‌भूत अथवा वहां से निर्यातित 'पॉली विनाइल क्लोराइड पेस्ट रेसिन'

के आयात पर उसमें उद्ग्रहित प्रतिपाटन शुल्क को एक वर्ष की और अवधि के लिए अर्थात् 24 जून, 2016 जिसमें यह तारीख भी शामिल है, तक बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेरह) सा॰का॰नि॰ 445(अ) जो 1 जून, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय प्रतिपाटन एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय द्वारा संचालित प्रतिपाटन जांच के अंतिम निष्कर्षों के अनुसरण में कोरिया गणराज्य और थाइलैंड से उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित 'एक्रीलिक फाइबर' के आयात पर पांच वर्ष की अवधि के लिए निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौदह) सा॰का॰नि॰ 462(अ) जो 5 जून, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय प्रतिपाटन एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय द्वारा संचालित प्रतिपाटन जांच के अंतिम निष्कर्षों के अनुसरण में चीन जनवादी गणराज्य, कोरिया गणराज्य और मलेशिया से उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित 'एएसटीएम ग्रेड 304 स्टेनलेस स्टील के हॉट रॉल्ड फ्लैट प्रोडक्ट्स तथा इसके सभी रूपांतरण' जैसा कि अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया गया है, के आयात पर पांच वर्ष की अवधि के लिए निश्यात्मक प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पंद्रह) सा॰का॰नि॰ 473(अ) जो 10 जून, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय प्रतिपाटन एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय द्वारा संचालित प्रतिपाटन जांच के अंतिम निष्कर्षों के अनुसरण में चीन जनवादी गणराज्य से उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित 'प्राकृतिक रूपों को छोड़कर विटामिन ई के सभी रूपों' के आयात पर पांच वर्ष की अवधि के लिए निश्चायत्मक प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सोलह) सा॰का॰नि॰ 489(अ) जो 12 जून, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय प्रतिपाटन एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय द्वारा संचालित प्रतिपाटन जांच के अंतिम निष्कर्षों के अनुसरण में चीन जनवादी गणराज्य से उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित 'नायलॉन टायर कॉर्ड फैब्रिक' के आयात पर पांच वर्ष की अवधि के लिए निश्चायत्मक प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सत्रह) सा॰का॰नि॰ 377(अ) जो 8 मई, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा उसमें उल्लिखित अधिसूचनाओं में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(अठारह) सा॰का॰नि॰ 549(अ) जो 9 जुलाई, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय प्रतिपाटन एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय द्वारा संचालित सनसेट समीक्षा जांच के अंतिम निष्कर्षों के अनुसरण में चीन जनवादी गणराज्य से उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित 'स्टील मीजरिंग टेप्स और फाइबर ग्लास मीजरिंग टेप्स और उनके पार्ट्स और संघटकों' के आयात पर अधिरोपण की तारीख अर्थात 9 जुलाई, 2015 से पांच वर्ष की अवधि के लिए निश्चायत्मक प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(उन्नीस) सा॰का॰नि॰ 552(अ) जो 10 जुलाई, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय प्रतिपाटन एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय द्वारा संचालित सनसेट समीक्षा जांच के अंतिम निष्कर्षों के अनुसरण में दक्षिण अफ्रीका से उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित 'फेनोल' के आयात पर पांच वर्ष की अवधि के लिए निश्चायत्मक प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बीस) सा॰का॰नि॰ 554(अ) जो 13 जुलाई, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय प्रतिपाटन एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय द्वारा संचालित की जा रही सनसेट समीक्षा जांच के परिणाम आने तक चीन जनवादी गणराज्य से उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित 'ग्लास फाइबर और उसकी वस्तुओं' के आयात पर प्रतिपाटन शुल्क लगाए जाने को एक वर्ष की और अवधि के लिए अर्थात् 13 जुलाई, 2016, जिसमें यह तारीख भी शामिल है, तक बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(20) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 169 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) सा॰का॰नि॰ 237(अ) जो 30 मार्च, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 29 जुलाई, 2011 की अधिसूचना संख्या 69/2011-सीशु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा॰का॰नि॰ 338(अ) जो 30 अप्रैल, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 17 मार्च, 2012 की अधिसूचना संख्या

12/2012–सीशु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा॰का॰नि॰ 339(अ) जो 30 अप्रैल, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 23 जुलाई, 1996 की अधिसूचना संख्या 39/96–सीशु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा॰का॰नि॰ 340(अ) जो 30 अप्रैल, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2012 की अधिसूचना संख्या 27/2011–सीशु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा॰का॰नि॰ 370(अ) जो 7 मई, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 17 मार्च, 2012 की अधिसूचना संख्या 12/2012–सीशु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा॰का॰नि॰ 433(अ) जो 28 मई, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 17 मार्च, 2012 की अधिसूचना संख्या 12/2012–सीशु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा॰का॰नि॰ 455(अ) जो 4 जून, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 14 जुलाई, 2011 की अधिसूचना संख्या 62/2011–सीशु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा॰का॰नि॰ 474(अ) जो 10 जून, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय एड्स, टीबी और मलेरिया का सामना करने के लिए वैश्विक निधि द्वारा वित्तपोषित राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के लिए आवश्यक औषध, नैदानिक तथा उपकरणों पर उद्ग्रहणीय आधारभूत सीमाशुल्क तथा अतिरिक्त शुल्क से छूद प्रदान करना है और यह छूट 31 मार्च, 2016 तक मान्य होगी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) सा॰का॰नि॰ 499(अ) जो 16 जून, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 17 मार्च, 2012 की अधिसूचना संख्या 12/2012–सीशु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) का॰आ॰ 756(अ) जो 13 मार्च, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001–सीशु॰(एन॰टी॰) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) का॰आ॰ 794(अ) जो 18 मार्च, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 5 मार्च, 2015 की अधिसूचना संख्या 28/2015–सीशु॰(एन॰टी॰) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बारह) का॰आ॰ 802(अ) जो 19 मार्च, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेरह) का॰आ॰ 832(अ) जो 25 मार्च, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 19 मार्च, 2015 की अधिसूचना संख्या 32/2015–सीशु॰ (एन॰टी॰) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौदह) का॰आ॰ 889(अ) जो 31 मार्च, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001–सीशु॰ (एन॰टी॰) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पंद्रह) का॰आ॰ 916 (अ) जो 1 अप्रैल, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सोलह) का॰आ॰ 1016(अ) जो 15 अप्रैल, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001–सीशु॰ (एन॰टी॰) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सत्रह) का॰आ॰ 1028(अ) जो 16 अप्रैल, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ

कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(अठारह) का॰आ॰ 1144(अ) जो 30 अप्रैल, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 16 अप्रैल, 2015 की अधिसूचना संख्या 38/2015-सीशु॰ (एन॰टी॰) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(उन्नीस) का॰आ॰ 1145(अ) जो 30 अप्रैल, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सीशु॰ (एन॰टी॰) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बीस) का॰आ॰ 1182(अ) जो 5 मई, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 16 अप्रैल, 2015 की अधिसूचना संख्या 38/2015-सीशु॰ (एन॰टी॰) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(इक्कीस) का॰आ॰ 1222(अ) जो 7 मई, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बाइस) का॰आ॰ 1303(अ) जो 15 मई, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सीशु॰ (एन॰टी॰) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेइस) का॰आ॰ 1366(अ) जो 21 मई, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौबीस) का॰आ॰ 1437(अ) जो 29 मई, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सीशु॰ (एन॰टी॰) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पच्चीस) का॰आ॰ 1470(अ) जो 4 जून, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छब्बीस) का॰आ॰ 1570(अ) जो 15 जून, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सीशु॰ (एन॰टी॰) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सताइस) का॰आ॰ 1781(अ) जो 30 जून, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सीशु॰ (एन॰टी॰) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(21) वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 94 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) सा॰का॰नि॰ 348(अ) जो 30 अप्रैल, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 20 जून, 2012 की अधिसूचना संख्या 25/2012-सेवा कर में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा॰का॰नि॰ 349(अ) जो 19 मई, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 20 जून, 2012 की अधिसूचना संख्या 26/2012-सेवा कर में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा॰का॰नि॰ 398(अ) जो 19 मई, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 1 जून, 2015 से वित्त अधिनियम, 2015 के कतिपय उपबंधों को प्रवृत्त किया जाना है।

(चार) सा॰का॰नि॰ 399(अ) जो 19 मई, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 1 जून, 2015 से 1 मार्च, 2015 की अधिसूचना संख्या 05/2015-सेवाकर के कतिपय उपबंधों को प्रवृत्त किया जाना है।

(पांच) सा॰का॰नि॰ 400(अ) जो 19 मई, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 1 मार्च, 2015 की अधिसूचना संख्या 06/2015-सेवाकर के कतिपय उपबंधों को 1 जून, 2015 से लागू किया जाना है।

(छह) सा०का०नि० 401(अ) जो 19 मई, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय विद्युत मंत्रालय की विद्युत प्रणाली विकास निधि (पीएसडीएफ) स्कीम के अंतर्गत, कतिपय सेवाओं को छूट प्रदान की जानी है।

(22) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) सा०का०नि० 341(अ) जो 30 अप्रैल, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा उसमें उल्लिखित अधिसूचनाओं में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा०का०नि० 342(अ) जो 30 अप्रैल, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 17 मार्च, 2012 की अधिसूचना संख्या 12/2012-के०उ०शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा०का०नि० 343(अ) जो 30 अप्रैल, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 27 फरवरी, 2010 की अधिसूचना संख्या 16/2010-के०उ०शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा०का०नि० 344(अ) जो 30 अप्रैल, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2015 की अधिसूचना संख्या 14/2015-के०उ०शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा०का०नि० 345(अ) जो 30 अप्रैल, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2015 की अधिसूचना संख्या 15/2015-के०उ०शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सेनवेट क्रेडिट (दूसरा संशोधन) नियम, 2015 जो 30 अप्रैल, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 346(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) चर्वण तम्बाकू और अविनिर्मित तम्बाकू पैकिंग मशीन (क्षमता अवधारण और शुल्क संग्रहण) संशोधन नियम, 2015 जो 30 अप्रैल, 2015 के भारत

के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 347(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सेनवेट क्रेडिट (तीसरा संशोधन) नियम, 2015 जो 19 मई, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 402(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) सा॰का॰नि॰ 403(अ) जो 19 मई, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 3 मार्च, 2014 की अधिसूचना संख्या 12/2014-के॰उ॰शु॰ (एन॰टी॰) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) सा॰का॰नि॰ 416(अ) जो 22 मई, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2005 की अधिसूचना संख्या 6/2005-के॰उ॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) सा॰का॰नि॰ 432(अ) जो 28 मई, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 17 मार्च, 2012 की अधिसूचना संख्या 12/2012-के॰उ॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बारह) सा॰का॰नि॰ 456(अ) जो 4 जून, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 17 मार्च, 2012 की अधिसूचना संख्या 12/2012-के॰उ॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेरह) सा॰का॰नि॰ 475(अ) जो 10 जून, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय उनमें विहित शर्तों के अध्यधीन एड्स, टीबी और मलेरिया का सामना करने के लिए वैश्विक निधि द्वारा वित्तपोषित राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के लिए आवश्यक औषध, नैदानिक तथा उपकरणों पर उद्ग्रहणीय केन्द्रीय उत्पाद शुल्क से छूट प्रदान करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन। यह छूट 31 मार्च, 2016 तक मान्य होगी।

(23) (एक) एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, मुंबई के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, मुंबई के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(24) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 की धारा 27 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (अध्यक्ष और अन्य सदस्यों के संदेय वेतन और भत्ते और सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें) संशोधन नियम, 2014 जो 4 अप्रैल, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 269(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (अध्यक्ष और अन्य सदस्यों के संदेय वेतन और भत्ते और सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें) संशोधन नियम, 2014 जो 7 अप्रैल, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 274(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा उसका एक शुद्धि पत्र जो 24 जुलाई 2015 अधिसूचना संख्या सा॰क॰नि॰ 580(अ) (केवल हिन्दी संस्करण में) में प्रकाशित हुआ था।

(25) उपर्युक्त (24) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखे जाने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

5. रक्षा संबंधी स्थायी समिति के की-गई-कार्रवाई संबंधी विवरण

मेजर जनरल भुवन चन्द्र खण्डूड़ी, एवीएसएम (सेवानिवृत्त) ने रक्षा संबंधी स्थायी समिति के संबंधित प्रतिवेदनों के अध्याय एक और पांच में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही को दर्शाने वाले निम्नलिखित विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:—

(1) 'वर्ष 2012-13 के लिए रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों के बारे में समिति (15वीं लोक सभा) के पंद्रहवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही' के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति (15वीं लोक सभा) के 19वें प्रतिवेदन के अध्याय-एक और पांच में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा आगे की-गई-कार्यवही को दर्शाने वाला विवरण।

(2) 'सैनिक स्कूलों के कार्यकरण की महत्वपूर्ण समीक्षा विषय पर समिति (15वीं लोक सभा) के सोलहवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही' के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति (15वीं लोक सभा) के

21वें प्रतिवेदन के अध्याय-एक और पांच में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा आगे-की-गई-कार्यवाही को दर्शाने वाला विवरण।

(3) 'वर्ष 2013-14 के लिए रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों के बारे में समिति (15वीं लोक सभा) के बीसवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही' के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति (16वीं लोक सभा) के पहले प्रतिवेदन के अध्याय-एक और पांच में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा आगे-की-गई-कार्यवही को दर्शाने वाला विवरण।

6. सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति (2014-15) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया:—

(1) संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (दूरसंचार विभाग) से संबंधित 'भारतीय दूरभाष उद्योग (आईटीआई) लिमिटेड का पुनरुद्धार' विषय पर नौवां प्रतिवेदन।

(2) संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (डाक विभाग) से संबंधित 'डाक विभाग में सूचना प्रौद्योगिकी संस्थापन और आधुनिकीकरण' विषय पर 10वां प्रतिवेदन।

7. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(1) वित्त मंत्री ने निम्नलिखित के बारे में वक्तव्य दिया:—

(एक) आर्थिक कार्य, वित्तीय सेवाएं, व्यय और विनिवेश विभाग, वित्त मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2014-15) के बारे में वित्त संबंधी स्थायी समिति के दूसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति; और

(दो) कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2014-15) के बारे में वित्त संबंधी स्थायी समिति के पांचवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(2) योजना मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री ने योजना मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2015-16) के बारे में वित्त संबंधी स्थायी समिति के बारहवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य दिया।

8. संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री द्वारा वक्तव्य

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री ने 10 अगस्त 2015 से आरंभ होने वाले सप्ताह के दौरान सरकारी कार्य के बारे में एक वक्तव्य दिया।

9. भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार (संशोधन) दूसरा विधेयक, 2015 पर संयुक्त समिति के प्रतिवेदन का समय बढ़ाए जाने से संबंधित प्रस्ताव

श्री भर्तृहरि महताब निम्नलिखत प्रस्ताव किया:—

''कि यह सभा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार (संशोधन) दूसरा विधेयक, 2015 पर संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय 11 अगस्त, 2015 तक बढ़ाती है।''

प्रस्ताव पर मतदान हुआ और स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 12.15 बजे

10. सरकारी विधेयक—पुर:स्थापित

(एक) भारतीय मानक ब्यूरो विधेयक, 2015

**(दो) विमानवहन (संशोधन) विधेयक,* 2015

#अपराह्न 12.16 बजे

11. सदस्यों द्वारा निवेदन

(एक) सर्वश्री राजेश रंजन, कीर्ति आजाद और डॉ॰ भोला सिंह ने बिहार में पुलिस के अत्याचार के बारे में निवेदन किया।

श्री भैरों प्रसाद मिश्रा, पी॰पी॰ चौधरी, श्रीमती कोथापल्ली गीता और श्री सुधीर गुप्ता सहयोजित हुए।

श्री राजीव प्रताप रूडी ने उत्तर दिया।

---

*अपराह्न 12.54 बजे।

#अपराह्न 12.15 बजे से अपराह्न 2.00 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

अपराह्न 12.45 बजे

(दो) श्री निशिकांत दुबे ने देश में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास के लिए मानकों के बारे में निवेदन किया।

सर्वश्री भैरों प्रसाद मिश्रा और सुनील कुमार सिंह सहयोजित हुए।

श्री राजीव प्रताप रूडी ने उत्तर दिया।

अपराह्न 12.57 बजे

(तीन) श्री उदय प्रताप सिंह ने संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के लिए और अधिक निधियां आबंटित किए जाने की आवश्यकता के बारे में निवदेन किया।

सर्वश्री सुनील कुमार सिंह, सी॰आर॰ चौधरी, चंद्र प्रकाश जोशी, सुधीर गुप्ता और पी॰पी॰ चौधरी सहयोजित हुए।

अध्यक्षपीठ में पीठासीन उपाध्यक्ष ने इस विषय पर हस्तक्षेप किया।

श्री राजीव प्रताप रूडी ने उत्तर दिया।

(*लोक सभा अपराह्न* 2.00 *बजे स्थगित हुई और अपराह्न* 3.00 *बजे पुन: समवेत हुई*)

(*अपराह्न* 3.11 *बजे, महासचिव ने घोषणा की कि गणपूर्ति* नहीं होने के कारण माननीय उपाध्यक्ष ने निदेश दिया है कि लोक सभा अपराह्न* 3.25 *बजे बैठक करेगी।*)

अपराह्न 3.25 बजे

12. नियम 193 के अधीन चर्चा

अनुमत समय : 2 घंटे
लिया गया समय : 1 घंटा 42 मिनट
शेष : 18 मिनट

डॉ॰ रमेश पोखरियाल 'निशंक' द्वारा 5 अगस्त, 2015 को संधारणीय विकास लक्ष्य के बारे में उठाई गई चर्चा, जारी रही।

श्री प्रह्लाद सिंह पटेल ने अपना भाषण पुन: आरंभ किया तथा उनका भाषण अपूर्ण रहा।

चर्चा पूरी नहीं हुई।

---

*अपराह्न 3.00 बजे से अपराह्न 3.11 बजे तक गणपूर्ति घंटी तीन बार बजाई गई।

अपराह्न 3.30 बजे

13. गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक—पुर:स्थापित

(1) श्री पंकज चौधरी का भगवान बुद्ध केन्द्रीय होम्योपैथी विश्वविद्यालय विधेयक, 2015

(2) डॉ॰ किरीट प्रेमजी भाई सोलंकी का अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के युवाओं में व्याप्त बेरोजगारी का उन्मूलन विधेयक, 2015

(3) श्री शिवाजी अधलराव पाटिल का शिक्षा विधेयक, 2015

(4) श्री शिवाजी अधलराव पाटिल का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2015 (**नए अनुच्छेद 15क का अंत:स्थापन**)

(5) श्री शिवाजी अधलराव पाटिल का रेल (संशोधन) विधेयक, 2015 (**नए अध्याय XIIIक का अंत:स्थापन**)

(6) डॉ॰ पी॰ रवीन्द्र बाबू का आंध्र प्रदेश राज्य को विशेष वित्तीय सहायता विधेयक, 2015

(7) श्री दुष्यंत चौटाला का धार्मिक संस्था (दुरुपयोग निवारण) संशोधन विधेयक, 2015 (**धारा 2 का संशोधन आदि**)

(8) श्री जगदंबिका पाल का न्यायालय अवमान (संशोधन) विधेयक, 2015 (**धारा 2 और 13 का संशोधन**)

(9) श्री जगदंबिका पाल का भारतीय दंड संहिता (संशोधन) विधेयक, 2015 (**धारा 340क के स्थान पर नई धाराओं का प्रतिस्थापन**)

(10) श्री गोपाल चिनय्या शेट्टी का गुटका और पान मसाला (प्रतिषेध) विधेयक, 2015

(11) श्री गोपाल चिनय्या शेट्टी का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2015 (**नए अनुच्छेद 16क का अंत:स्थापन**)

(12) श्री गोपाल चिनय्या शेट्टी का अनधिकृत कॉलोनियों, मलिन और झुग्गी-झोपड़ी बस्तियां, (बुनियादी सुख-सुविधाएं और अन्य व्यवस्था) विधेयक, 2015

(13) श्री गोपाल चिनय्या शेट्टी का नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) संशोधन विधेयक, 2015 (**नई धारा 43क का अंत:स्थापन**)

(14) श्री भर्तृहरि महताब का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2015 (उद्देशिका का संशोधन, आदि)

(15) श्री सी॰आर॰ पाटील का साफ अक्षरों में चिकित्सीय निर्देश लिखना और जेनेरिक औषधि दुकानें खोलना विधेयक, 2015

(16) श्री निशिकांत दुबे का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2015 (**आठवीं अनुसूची का संशोधन**)

(17) श्री निशिकांत दुबे का सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, 2015 (**धारा 80 का संशोधन**)

(18) श्री निशिकांत दुबे का कृषक और कृषि कर्मकार सामाजिक सुरक्षा विधेयक, 2015

(19) श्री निशिकांत दुबे का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2015 (**अनुच्छेद 58 का संशोधन**)

(20) डॉ॰ किरीट प्रेमजी भाई सोलंकी का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2015 (**अनुच्छेद 72 का संशोधन**)

(21) डॉ॰ किरीट प्रेमजी भाई सोलंकी का अशिष्ट विज्ञापन प्रतिषेध विधेयक, 2015

(22) डॉ॰ किरीट प्रेमजी भाई सोलंकी का बंद कपड़ा मिल कर्मकार (कल्याण और पुनर्वास) विधेयक, 2015

(23) श्री सुनील कुमार सिंह का विशेष सिंचाई विकास निधि (वन क्षेत्रों के लिए) विधेयक, 2015

(24) श्री अजय मिश्रा टेनी का फसल बीमा विधेयक, 2015

(25) श्री दुष्यंत चौटाला का मोटर यान (संशोधन) विधेयक, 2015 (**नई धारा 136क का अंत:स्थापन**)

(26) श्री फग्गन सिंह कुलस्ते का संविधान (अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2015

(27) श्री सुनील कुमार सिंह का नक्सली हिंसा के कृत्यों के पीड़ित (राहत और पुनर्वास) विधेयक, 2015

(28) श्री सुनील कुमार सिंह का बालिका (वाणिज्यीकृत दुर्व्यापार निवारण, पुनर्वास और कल्याण) विधेयक, 2015

(29) श्री भर्तृहरि महताब का दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, 2015 (**नई धारा 199क का अंत:स्थापन**)

(30) श्री भर्तृहरि महताब का औषधि और प्रसाधन सामग्री (संशोधन) विधेयक, 2015 (**नए अध्याय IIIक का अंत:स्थापन**)

(31) डॉ॰ मनोज रजोरिया का कुपोषण उन्मूलन विधेयक, 2015

(32) श्री राजेश रंजन का उर्वरक (मूल्य नियंत्रण) विधेयक, 2015

(33) श्री राजेश रंजन का वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए बालिकाओं के दुर्व्यापार का निवारण विधेयक, 2015

(34) श्री राजेश रंजन का जनसंख्या स्थिरीकरण विधेयक, 2015

(35) श्री दद्दन मिश्रा शैक्षिक संस्थाओं में तर्कशास्त्र का अनिवार्य शिक्षण

(36) श्री अर्जुन मेघवाल का राजस्थान राज्य को विशेष वित्तीय सहायता विधेयक, 2015

(37) श्री अर्जुन मेघवाल का राजस्थान उच्च न्यायालय (बीकानेर में एक स्थायी न्यायपीठ की स्थापना) विधेयक, 2015

(38) श्री अर्जुन मेघवाल का एकीकृत बाल-विकास सेवाएं (नियमितीकरण) विधेयक, 2015

(39) श्री अर्जुन मेघवाल का खाद्य सुरक्षा और मानक (संशोधन) विधेयक, 2015 (**नए अनुच्छेद 19क का अंत:स्थापन**)

(40) श्री राजेश रंजन का रिक्शा चालक और सड़क किनारे बैठने वाले मैकेनिक (आजीविका अर्जन की स्वतंत्रता) विधेयक, 2015

(41) डॉ॰ उदित राज का वर्षाजल (अनिवार्य संरक्षण) विधेयक, 2015

(42) श्री पी॰पी॰ चौधरी का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2015 (**अनुच्छेद 51 का संशोधन**)

(43) श्री पी॰पी॰ चौधरी का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2015 (**अनुच्छेद 124 का संशोधन**)

(44) श्री पी॰पी॰ चौधरी का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2015 (**अनुच्छेद 217 और 224 का संशोधन**)

(45) श्री पी॰पी॰ चौधरी का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2015 (**नए अनुच्छेद 324क का अंत:स्थापन**)

अपराह्न 3.52 बजे

14. गैर-सरकारी सदस्य का विधेयक—विचाराधीन

अनिवार्य मतदान विधेयक, 2014

श्री जनार्दन सिंह 'सीग्रीवाल' द्वारा 13 मार्च, 2015 को पेश किए गए विधेयक पर विचार किए जाने के प्रस्ताव पर आगे जारी रही चर्चा।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. डॉ॰ मनोज रजोरिया (*अपना भाषण पुन: आरंभ किया*)
2. श्री अजय मिश्रा टेनी
3. श्री राजेश रंजन
4. श्री हरीशचन्द्र *उर्फ* हरीश द्विवेदी
5. श्री चन्द्र प्रकाश जोशी
6. श्री कोण्डा विश्वेश्वर रेड्डी
7. श्री रमेश चन्द्र कौशिक
8. डॉ॰ के॰ कामराज
9. श्री सुमेधानंद सरस्वती
10. श्री मुकेश राजपूत
11. श्री लखन लाल साहू
12. श्रीमती कमला देवी पाटले
13. श्री निशिकान्त दुबे (*भाषण अपूर्ण रहा*)

चर्चा पूरी नहीं हुई।

सायं 6.00 बजे

(लोक सभा सोमवार, 10 *अगस्त,* 2015 *के पूर्वाह्न* 11.00 *बजे तक के लिए स्थगित हुई।)*

अनूप मिश्र
महासचिव

GMGIPMRND—2128LS(S3)—07-08-2015.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

सोमवार, 10 अगस्त, 2015/19 श्रावण, 1937 (शक)

संख्या 104

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. शपथ अथवा प्रतिज्ञान

श्री जॉर्ज बेकर, नामनिर्दिष्ट सदस्य ने अंग्रेजी में प्रतिज्ञान किया, सदस्य-नामावली में हस्ताक्षर किया और सभा में अपना स्थान ग्रहण किया।

पूर्वाह्न 11.03 बजे

2. अध्यक्ष द्वारा उल्लेख

अध्यक्ष ने 10 अगस्त, 2015 को झारखंड के देवगढ़ के एक मंदिर में हुई भगदड़ में 11 व्यक्तियों की कथित मृत्यु और कई व्यक्तियों के घायल होने के बारे उल्लेख किया।

तत्पश्चात् सदस्यगण दिवंगत आत्माओं के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

पूर्वाह्न 11.10 बजे

3. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 283 का मौखिक उत्तर दिया गया।

(व्यवधान के कारण लोक सभा पूर्वाह्न 11.28 बजे स्थगित हुई और मध्याह्न 12.00 बजे पुन: समवेत हुई)

तारांकित प्रश्न संख्या 284—302 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

4. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 3221—3450 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12.00 बजे

5. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) (एक) वी॰वी॰ गिरि नेशनल लेबर इंस्टिट्यूट, नोएडा के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) वी॰वी॰ गिरि नेशनल लेबर इंस्टिट्यूट, नोएडा के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 7 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) कर्मचारी भविष्य निधि (संशोधन) स्कीम, 2015 जो 2 जुलाई, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 525(अ) में प्रकाशित हुई थी।

(दो) कर्मचारी पेंशन निधि (संशोधन) स्कीम, 2015 जो 2 जुलाई, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 526(अ) में प्रकाशित हुई थी।

(तीन) कर्मचारी निक्षेप-सहबद्ध बीमा (संशोधन) स्कीम, 2015 जो 2 जुलाई, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 527(अ) में प्रकाशित हुई थी।

(4) गेल (इंडिया) लिमिटेड तथा गेल गैस लिमिटेड के बीच वर्ष 2015-2016 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखेंगे।

(व्यवधान के कारण लोक सभा अपराह्न 12.02 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 12.30 बजे पुन: समवेत हुई)

अपराह्न 12.30 बजे

(5) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड तथा पर्यटन मंत्रालय के बीच वर्ष 2015-2016 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(दो) असम अशोक होटल कारपोरेशन लिमिटेड तथा पर्यटन मंत्रालय के बीच वर्ष 2015-2016 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(तीन) डोन्यी पोलो अशोक होटल कारपोरेशन लिमिटेड तथा पर्यटन मंत्रालय के बीच वर्ष 2015-2016 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(चार) मध्य प्रदेश अशोक होटल कारपोरेशन लिमिटेड तथा पर्यटन मंत्रालय के बीच वर्ष 2015-2016 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(पांच) पांडिचेरी अशोक होटल कारपोरेशन लिमिटेड तथा पर्यटन मंत्रालय के बीच वर्ष 2015-2016 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(छह) रांची अशोक बिहार होटल कारपोरेशन लिमिटेड तथा पर्यटन मंत्रालय के बीच वर्ष 2015-2016 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(6) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) एयर इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) एयर इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) (एक) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) उपर्युक्त (8) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 28 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(i) खनिज संरक्षण और विकास (संशोधन) नियम, 2015 जो 20 मई, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 407(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(ii) खनिज (नीलामी) नियम, 2015 जो 20 मई, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 406(अ) में प्रकाशित हए थे।

(iii) खनिज (गैर-अपवर्जी सर्वेक्षण अनुज्ञप्ति पत्र) नियम, 2015 जो 29 जून, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 516(अ) में प्रकाशित हए थे।

(iv) 538(अ) जो 6 जुलाई, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हए थे तथा जिनके द्वारा उनमें उल्लिखित कंपनियों को खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 4 की उप-धारा (1) के दूसरे परंतुक के प्रयोजनार्थ अधिसूचित किया गया है।

6. सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का प्रतिवेदन

श्री शांता कुमार ने वर्ष 2010-11 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या 28 (निष्पादन लेखापरीक्षा) के आधार पर ओएनजीसी विदेश लिमिटेड के संयुक्त उद्यम प्रचालन के बारे में सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति (15वीं लोक सभा) के 27वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई पर सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का सातवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

7. ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

डॉ॰ किरीट सोमैया ने 'वर्ष 2014-15 के लिए विद्युत मंत्रालय की अनुदानों की मांगों संबंधी पहले प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई, के

बारे में ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति (2014-15) का आठवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

8. खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री जे॰सी॰ दिवाकर रेड्डी ने खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति (2014-15) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया:—

(1) उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग) की अनुदानों की मांगों (2014-2015) के बारे में उसके पहले प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी पांचवां प्रतिवेदन।

(2) उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले विभाग) की अनुदानों की मांगों (2014-2015) के बारे में उसके दूसरे प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी छठा प्रतिवेदन।

9. शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री दुष्यंत चौटाला ने आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2015-2016) के बारे में छठे प्रतिवेदन (सोलहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी आठवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंगेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

10. सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री रमेश बैस ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति (2014-15) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया:—

(1) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग) की अनुदानों की मांगों (2014-2015) के बारे में समिति के पहले प्रतिवेदन (सोलहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी सोलहवां प्रतिवेदन।

(2) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (नि:शक्त व्यक्ति अधिकारिता विभाग) की अनुदानों की मांगों (2014-2015) के बारे में समिति के दूसरे प्रतिवेदन (सोलहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी सत्रहवां प्रतिवेदन।

(3) अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2014-2015) के बारे में समिति के चौथे प्रतिवेदन (सोलहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी अठारहवां प्रतिवेदन।

(4) जनजातीय कार्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2014-2015) के बारे में समिति के तीसरे प्रतिवेदन (सोलहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी उन्नीसवां प्रतिवेदन।

11. सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति के विवरण

श्री रमेश बैस ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा:—

(1) अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2013-2014) के बारे में 37वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 42वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा अंतिम रूप से की-गई-कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण।

(2) जनजातीय कार्य मंत्रालय के जनजातीय क्षेत्रों में आश्रम विद्यालयों का कार्यकरण विषय पर 44वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 9वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा अंतिम रूप से की-गई-कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण।

12. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(1) विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ने विद्युत मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2014-2015) के बारे में ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के पहले प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य दिया।

(2) संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री ने 'विमानपत्तनों पर सुरक्षा में चूक' के बारे में श्री हंसराज गं॰ अहीर, संसद सदस्य (अब रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री)

द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 2749 के संबंध में 28 जुलाई, 2014 को दिए गए उत्तर में शुद्धि करने वाला वक्तव्य दिया।

13. सरकारी विधेयक—पुर:स्थापित

*(एक) *वाणिज्य पोत परिवहन (संशोधन) विधेयक,* 2015

(दो) उपभोक्ता संरक्षण विधेयक, 2015

#अपराह्न 12.34 बजे

14. सदस्यों द्वारा निवेदन

सर्वश्री जयप्रकारश नारायण यादव और निशिकांत दुबे ने झारखंड के देवगढ़ में हुई भगदड़ के कारण श्रद्धालुओं की कथित मृत्यु के बारे में निवेदन किया।

सर्वश्री भैरों प्रसाद मिश्रा, पी॰पी॰ चौधरी और रवीन्द्र कुमार जेना सहयोजित हुए।

श्री राजनाथ सिंह ने उत्तर दिया।

(*व्यवधान के कारण, लोक सभा अपराह्न* 12.46 *बजे स्थगित हुई और अपराह्न* 2.01 *बजे पुन: समवेत हुई*)

†अपराह्न 2.01 बजे

15. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम, 277 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसाकि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे:—

(1) डॉ॰ रमेश पोखरियाल निशंक ने हिमालय क्षेत्र में अखरोट की खेती के लिए एक विशेष मिशन और सेंटर फॉर एक्सीलेंस की स्थापना किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(2) डॉ॰ संजय जायसवाल ने बिहार में सुगौली तथा लौरिया में एचपीसीएल द्वारा संचालित चीनी मिलों द्वारा किसानों को गन्ने की बकाया राशि के भुगतान को सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

---

*अपराह्न 2.19 बजे।

#अपराह्न 12.34 बजे से अपराह्न 12.46 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

†अपराह्न 2.01 बजे से अपराह्न 2.53 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

(3) श्री बीरेन्द्र कुमार चौधरी ने बिहार के झंझारपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में बंद पड़ी पेपर और सूत मिल को पुन: शुरू किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(4) श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ने एम्स के विभिन्न विभागों में रोटेशन ऑफ हेडशिप पॉलिसी का क्रियान्वयन किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(5) कर्नल सोनाराम चौधरी ने कच्छ के रन के किनारे-किनारे बाखासर, राजस्थान में एक कैनल/चैनल का निर्माण कर अरब सागर से जोड़े जाने की आवश्यकता के बारे में।

(6) श्री भैरों प्रसाद मिश्र ने उत्तर प्रदेश के बांदा और चित्रकूट जिलों में स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर मुहैया कराए जाने हेतु औद्योगिक इकाइयों की स्थापना किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(7) डॉ॰ प्रीतम गोपीनाथ मुंडे ने महाराष्ट्र में कपास का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(8) श्री नारणभाई काछड़िया ने गुजरात में खिजाड़िया और अमरेली के बीच रेल लाइन का आमान-परिवर्तन का कार्य शुरू किए जाने तथा खिजाड़िया-अमरेली-धारी-विसावदर-जूनागढ़ रेललाईन के आमान-परिवर्तन के प्रस्ताव को मंजूरी दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(9) श्री रमेश चन्द्र कौशिक ने हरियाणा में सीएनजी के मूल्य दिल्ली के बराबर किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(10) श्री केशव प्रसाद मौर्य ने इलाहाबाद में एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय स्थापित करने तथा इलाहाबाद से चैन्नई, बैंगलुरू तथा कोलकाता के लिए हवाई सेवाएं भी शुरू किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(11) श्रीमती रक्षाताई खाडसे ने विषैली खाद्य वस्तुओं की समस्या के बारे में।

(12) श्री राघव लखनपाल ने उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में मांस के अवैध व्यापार पर रोक लगाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(13) श्री राम टहल चौधरी ने सभी वृद्ध लोगों, शारीरिक रूप से विकलांगों और विधवाओं को उनके कल्याण के लिए बनी विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत पेंशन प्राप्त करने हेतु उन्हें बीपीएल कार्ड जारी किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(14) डॉ॰ अंशुल वर्मा ने उत्तर प्रदेश के हरदोई संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में दहर झील पक्षी विहार में पर्याप्त जलस्तर सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(15) श्रीमती कृष्णा राज ने देश में मानव तस्करी को रोकने के लिए प्रभावी उपाय किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(16) श्री एस॰पी॰ मुद्दाहनुमे गौड़ा ने कर्नाटक में तुमकुर को औद्योगिक स्मार्ट शहर के रूप में विकसित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(17) श्री आर॰ ध्रुवनारायण ने कर्नाटक के चामराजनगर जिले में बीआरटी टाइगर अभयारण्य की सुरक्षा और सरंक्षण के लिए पर्याप्त बजट आवंटित करने और समय से धनराशि जारी किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(18) डॉ॰ पी॰ वेणुगोपाल ने इंटीग्रल कोच फैक्टरी, चैन्नई से शिक्षु अधिनियम के अंतर्गत पाठयक्रम पूरा करने वालों को रोजगार दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(19) श्री के॰आर॰पी॰ प्रबाकरन ने तमिलनाडु के तिरुनेलवेलीर जिले में अम्बासमुद्रम रेलवे स्टेशन पर बुनियादी अवसंरचना विकसित किए जाने और यात्रियों को सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता बारे में।

(20) श्री भर्तृहरि महताब ने रांची–विजयवाड़ा राजमार्ग पर सिलेरू नदी पर माटु–सिलेरू पुल के निर्माण कार्य में तेजी लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(21) श्री अरविंद सावंत ने देश में बाल विवाह रोकने के लिए प्रभावी उपाय किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(22) श्री एन॰ क्रिष्टप्पा ने आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में सूखे की स्थिति से निपटने के लिए धनराशि उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(23) श्री ए॰पी॰ जितेन्द्र रेड्डी ने राष्ट्रीय खेलकूद नीति बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(24) डॉ॰ ए॰ सम्पत ने संसद आदर्श ग्राम योजना के लिए पर्याप्त धनराशि और अवसंरचना उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(25) श्रीमती कोथापल्ली गीता ने आंध्र प्रदेश के अराकु संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में खनिजों की उपलब्धता के बारे में व्यापक सर्वेक्षण कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(26) श्री रामा किशोर सिंह ने राष्ट्रीय आरोग्य निधि के अंतर्गत किडनी रोगियों को चिकित्सीय सहायता उपलब्ध कराए जाने में कथित विसंगतियों के बारे में।

अपराह्न 2.54 बजे

16. नियम 193 के अधीन चर्चा

अनुमत समय	: 2 घंटे
लिया गया समय	: 1 घंटा 43 मिनट
शेष	: 17 मिनट

डॉ॰ रमेश पोखरियाल 'निशंक' द्वारा 5 अगस्त, 2015 को संधारणीय विकास लक्ष्य के बारे में उठाई गई चर्चा आगे जारी रही।

श्री प्रह्लाद सिंह पटेल ने अपना भाषण पुन: आरंभ किया तथा उनका भाषण अपूर्ण रहा।

चर्चा पूरी नहीं हुई।

अपराह्न 2.55 बजे

(व्यवधान के कारण, लोक सभा मंगलवार, 11 अगस्त, 2015 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

अनूप मिश्र
महासचिव

GMGIPMRND—2185LS(S3)—10-08-2015.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

मंगलवार, 11 अगस्त, 2015/20 श्रावण, 1937 (शक)

संख्या 105

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 303, 304, और 306 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 305 जिन सदस्यों के नाम सूचीबद्ध थे, वे अनुपस्थित थे। तथापि संबंधित मंत्री ने उत्तर सभा पटल पर रखा। प्रश्न संख्या 305 के पूरक प्रश्न पूछे गए। तारांकित प्रश्न संख्या 307—322 के मौखिक उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 3451—3680 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12.00 बजे

3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) राजवित्तीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003 की धारा 3 के अंतर्गत वर्ष 2015-2016 के लिए मध्यावधि व्यय ढांचागत विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) सा॰का॰नि॰ 240(अ)/आव॰व॰/गन्ना जो 31 मार्च, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो वर्ष 2013-14 के कारखाना वार नियत खुदरा मूल्य के नियतन के बारे में है।

(दो) अधिसूचना संख्या 1(5)/2015—विशेष मूल्य सूचकांक जो 23 जून, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो वर्ष 2014-15 के चालू गन्ना सीजन के लिए किसानों को बकाया राशि की संदायगी के बारे में है।

(3) (एक) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) (एक) नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी, चेन्नई के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी, चेन्नई के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) (एक) जी॰बी॰ पंत इंस्टिट्यूट ऑफ हिमालयन एनवॉयरनमेंट एण्ड डेवलपमेंट, अल्मोड़ा के वर्ष 2010-2011 से 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जी॰बी॰ पंत इंस्टिट्यूट ऑफ हिमालयन एनवॉयरनमेंट एण्ड डेवलपमेंट, अल्मोड़ा के वर्ष 2010-2011 से 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) (एक) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) उपर्युक्त (8) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) जैविक वस्तु अधिनियम, 2002 की धारा 38 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) का॰आ॰ 1162(अ) जो 1 मई, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित पशुओं की प्रजातियों, जो विलुप्त होने के कगार पर हैं, को दमन और दीव तथा दादर और नागर हवेली प्रशासन के लिए अधिसूचित किया गया है।

(दो) का॰आ॰ 1633(अ) जो 18 जून, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 17 नवम्बर, 2008 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 2708(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(तीन) का॰आ॰ 940(अ) जो 7 अप्रैल, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो 23 अगस्त, 2007 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1519(अ) को 31 मार्च, 2016 तक अथवा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा जीएम प्रसंस्कृत खाद्य के विनियमन के बारे में अगली अधिसूचना जारी किए जाने तक, जो भी पहले हो, आस्थगित किए जाने के बारे में है।

(11) लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 की धारा 23 की उपधारा (3) के अंतर्गत पर्यावरण राहत निधि स्कीम, 2008 जो 13 जुलाई, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1878(अ) में प्रकाशित हुई थी, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) का॰आ॰ 814(अ) जो 23 मार्च, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पुनर्गठन और उसमें उल्लिखित व्यक्तियों को सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से नामनिर्दिष्ट किए जाने के बारे में है।

(दो) का॰आ॰ 1250(अ) जो 11 मई, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 23 मार्च, 2015 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 814(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(13) (एक) राष्ट्रीय संस्कृति निधि के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय संस्कृति निधि के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(15) राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 11 के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) का॰आ॰ 820(अ) जो 24 मार्च, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 के अंतर्गत विशेष न्यायालय में पीठासीन होने के लिए जिला और सत्र न्यायाधीश, नई दिल्ली जिला, दिल्ली की नियुक्ति ''न्यायाधीश'' के रूप में किए जाने के बारे में है।

(दो) का॰आ॰ 1389(अ) जो 25 मई, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण मामलों के लिए विशेष लोक अभियोजकों की नियुक्ति किए जाने के बारे में है।

(तीन) का॰आ॰ 1390(अ) जो 25 मई, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण मामलों के लिए विशेष लोक अभियोजकों की नियुक्ति किए जाने के बारे में है।

(चार) का॰आ॰ 1391(अ) जो 25 मई, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण मामलों के लिए विशेष लोक अभियोजकों की नियुक्ति किए जाने के बारे में है।

(पांच) का॰आ॰ 1565(अ) जो 15 जून, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 के अंतर्गत विशेष न्यायालय में पीठासीन होने के लिए अर्णाकुलम में अपर जिला न्यायाधीश की नियुक्ति किए जाने के बारे में है।

(छह) का॰आ॰ 1566(अ) जो 15 जून, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 के अंतर्गत विशेष न्यायालय में पीठासीन होने के लिए चंडीगढ़ में वरिष्ठतम अपर सत्र न्यायाधीश की नियुक्ति किए जाने के बारे में है।

(सात) का॰आ॰ 1604(अ) जो 17 जून, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 के अंतर्गत विशेष न्यायालय में पीठासीन होने के लिए प्रधान न्यायायिक आयुक्त, रांची की नियुक्ति न्यायाधीश के रूप में किए जाने के बारे में है।

(आठ) का॰आ॰ 1833(अ) जो 7 जुलाई, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 के अंतर्गत विशेष न्यायालय में पीठासीन होने के लिए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, लखनऊ की नियुक्ति न्यायाधीश के रूप में किए जाने के बारे में है।

(नौ) का॰आ॰ 1862(अ) जो 10 जुलाई, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 के अंतर्गत विशेष न्यायालय में पीठासीन होने के लिए न्यायाधीश, सिटी सिविल न्यायालय और अपर सत्र न्यायाधीश, ग्रेटर मुंबई की नियुक्ति न्यायाधीश के रूप में किए जाने के बारे में है।

(दस) का॰आ॰ 1863(अ) जो 10 जुलाई, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 के अंतर्गत विशेष न्यायालय में पीठासीन होने के लिए द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, देहरादून की नियुक्ति न्यायाधीश के रूप में किए जाने के बारे में है।

(16) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(क) (एक) केरल एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, तिरुवनंतपुरम के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) केरल एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, तिरुवनंतपुरम का वर्ष 2009-2010 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ख) (एक) बिहार स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, पटना के वर्ष 1988-1989 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) बिहार स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, पटना का वर्ष 1988-1989 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ग) (एक) पंजाब एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, चंडीगढ़ के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) पंजाब एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, चंडीगढ़ का वर्ष 2013-2014 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(घ) (एक) महाराष्ट्र स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) महाराष्ट्र स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, मुंबई का वर्ष 2012-2013 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ङ) (एक) आंध्र प्रदेश स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, हैदराबाद के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) आंध्र प्रदेश स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, हैदराबाद का वर्ष 2012-2013 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(17) उपर्युक्त (16) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले पांच विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एण्ड रिसर्च, अहमदाबाद के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(19) उपर्युक्त (18) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(20) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) बंगाल केमिकल्स एण्ड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2012-2013 और 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) बंगाल केमिकल्स एण्ड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2012-2013 और 2013-2014 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(21) उपर्युक्त (20) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(22) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एण्ड रिसर्च, गुवाहाटी के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवदेन।

(23) उपर्युक्त (22) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(24) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एण्ड रिसर्च, हैदराबाद के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(25) उपर्युक्त (24) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(26) एंड्रू यूले एण्ड कंपनी लिमिटेड तथा भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के बीच वर्ष 2015-2016 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(27) भारत पम्प्स एण्ड कम्प्रेसर्स लिमिटेड तथा भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के बीच वर्ष 2015-2016 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(28) (एक) रेल भूमि विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) रेल भूमि विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(29) उपर्युक्त (28) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(30) (एक) स्पास्टिक्स सोसायटी ऑफ तमिलनाडु, चेन्नई के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) स्पास्टिक्स सोसायटी ऑफ तमिलनाडु, चेन्नई के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(31) उपर्युक्त (30) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(32) (एक) श्री इंस्टिट्यूट फॉर मेंटली हैण्डीकैप्ड, समालकोट के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) श्री इंस्टिट्यूट फॉर मेंटली हैण्डीकैप्ड, समालकोट के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(33) उपर्युक्त (32) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(34) संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अंतर्गत मार्च, 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए आयकर विभाग, राजस्व-प्रत्यक्ष कर विभाग में आंतरिक लेखापरीक्षा का कार्यकरण के संबंध में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक-संघ सरकार के प्रतिवेदन (2015 का संख्यांक 25) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

4. राज्य सभा से संदेश

महासचिव ने राज्य सभा से प्राप्त इस संदेश की सूचना दी कि राज्य सभा ने 10 अगस्त, 2015 को हुई अपनी बैठक में मोटर यान (संशोधन) विधेयक, 2014 के बारे में निम्नलिखित प्रस्ताव स्वीकृत किया है:—

''कि 18 दिसम्बर, 2014 को लोक सभा द्वारा पारित किए गए तथा 19 दिसम्बर, 2014 को राज्य सभा के पटल पर रखे गए मोटर यान अधिनियम, 1988 का और संशोधन करने वाले विधेयक को वापस लिए जाने की अनुमति दी जाए।''

तत्पश्चात् विधेयक वापस लिया गया।

5. कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन

श्री राजीव प्रताप रूडी ने कार्य मंत्रणा समिति का 21वां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

6. याचिका समिति के प्रतिवेदन

श्री भगत सिंह कोश्यारी ने याचिका समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

(1) सेंटूर लेक व्यू होटल, श्रीनगर होटल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एचसीआई) में मजदूरी संशोधन के कार्यान्वयन के संबंध में सर्वश्री जावेद पंडित और हरीश से प्राप्त अभ्यावेदन के बारे में 7वां प्रतिवेदन।

(2) केन्द्रीय कोयला आपूर्ति संगठन (सीसीएसओ) और भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड (सेल), धनबाद में अनुकंपा के आधार पर नियोजन के संबंध में श्री सौरभ कुमार से प्राप्त अभ्यावेदन के बारे में 8वां प्रतिवेदन।

7. सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति का प्रतिवेदन

श्री चन्द्रकांत खैरे ने सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति (2014-15) का चौथा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

8. कृषि संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री सत्यपाल सिंह ने कृषि संबंधी स्थायी समिति (16वीं लोक सभा) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया:—

(1) कृषि मंत्रालय (कृषि और सहकारिता विभाग) की 'अनुदानों की मांगों (2014-2015)' संबंधी तीसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 13वां प्रतिवेदन।

(2) कृषि मंत्रालय (पशुपालन, डेयरी और मात्स्यिकी विभाग) की 'अनुदानों की मांगों (2014-2015)' संबंधी पांचवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 14वां प्रतिवेदन।

(3) कृषि मंत्रालय (कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग) की 'अनुदानों की मांगों (2014-2015)' संबंधी दूसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 15वां प्रतिवेदन।

(4) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का 'मेगा फूड पार्क्स' विषय संबंधी 16वां प्रतिवेदन।

9. ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

डॉ॰ किरीट सोमैया ने 'ऊर्जा संरक्षण' के बारे में ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति (2014-15) का सातवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

10. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री प्रह्लाद जोशी ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगों (2014-15)' के बारे में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति के पहले प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी छठा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

11. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति के विवरण

श्री प्रह्लाद जोशी ने पेट्रोलियम और प्रकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की-गई-अंतिम कार्रवाई दर्शाने वाले निम्नलिखित विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:—

(1) 'पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2012-13)' से संबंधित पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति के 11वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में समिति (15वीं लोक सभा) के 15वें प्रतिवेदन के अध्याय-एक और पांच में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा आगे-की-गई-कार्रवाई दर्शाने वाला विवरण।

(2) 'तेल संस्थापनों की संरक्षा' के बारे में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति (15वीं लोक सभा) के 12वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में समिति (15वीं लोक सभा) के 17वें प्रतिवेदन के अध्याय-एक और पांच में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा आगे की-गई-कार्रवाई दर्शाने वाला विवरण।

(3) 'पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2013-14)' से संबंधित पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति के 16वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में समिति (15वीं लोक सभा) के 21वें प्रतिवेदन के अध्याय-एक और पांच में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा आगे की-गई-कार्रवाई दर्शाने वाला विवरण।

(4) 'दीर्घावधि क्रय नीति और कच्चे तेल का रणनीतिक भंडारण' के बारे में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति (15वीं लोक सभा) के 18वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में समिति (15वीं लोक सभा) के 22वें प्रतिवेदन के अध्याय-एक और पांच में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा आगे की-गई-कार्रवाई दर्शाने वाला विवरण।

(5) 'तेल उद्योग विकास बोर्ड का कार्यकरण' के बारे में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति (15वीं लोक सभा) के 23वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में समिति (16वीं लोक सभा) के दूसरे प्रतिवेदन के अध्याय-एक और पांच में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा आगे की-गई-कार्रवाई दर्शाने वाला विवरण।

12. रेल संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री अर्जुन राम मेघवाल ने 'रेल मंत्रालय की अनुदानों की मांगों—2014-15' के बारे में रेल संबंधी स्थायी समिति के तीसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में समिति का सातवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

13. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

डॉ॰ हिना विजयकुमार गावीत ने 'अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) का कार्यकरण' के बारे में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति का 87वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

14. मंत्रियों द्वारा विवरण

(1) गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री ने निम्नलिखित के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे।

(एक) गृह मंत्रालय से संबंधित 'दिल्ली पुलिस का कार्यकरण' के बारे में गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति के 176वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(दो) गृह मंत्रालय से संबंधित 'जम्मू और कश्मीर के प्रवासियों का पुनर्वास' के बारे में गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति के 179वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई पर समिति के 184वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(2) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2015-16) के बारे में कृषि संबंधी स्थायी समिति के 8वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक विवरण सभा पटल पर रखा।

*अपराह्न 12.07 बजे

15. भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार (संशोधन) दूसरा विधेयक, 2015 पर संयुक्त समिति के प्रतिवेदन से संबंधित प्रस्ताव— समय का बढ़ाया जाना

श्री एस॰एस॰ अहलुवालिया ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि यह सभा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार (संशोधन) दूसरा विधेयक, 2015 पर संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय अगले सत्र (अर्थात् शीतकालीन सत्र, 2015) के प्रथम सप्ताह के अंतिम दिवस तक बढ़ाती है।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

*(*व्यवधान के कारण लोक सभा* 1.03 *बजे स्थगित हुई और* 2.15 *बजे पुन: समवेत हुई*)

अपराह्न 2.15 बजे

16. नियम 377 के अधीन मामले

(1) श्री अजय मिश्रा टेनी ने उत्तर प्रदेश के खीरी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में नेपाल से निकलने वाली नदियों से होने वाले मृदा उपरदन को रोकने हेतु तटबंध बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में एक मामला उठाया।

(2) श्री निशिकांत दुबे ने झारखंड के संथाल परगना एवं इसके समीपवर्ती क्षेत्रों में सूखे की स्थिति से निपटने के लिए उपचारक कदम उठाए जाने की आवश्यकता के बारे में एक मामला उठाया।

---

*अपराह्न 12.09 बजे से अपराह्न 1.03 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

(3) श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया ने राजस्थान के भीलवाडा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में स्थानीय लोगों को खनन क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में एक मामला उठाया।

(4) श्री लक्ष्मी नारायण यादव ने मध्य प्रदेश के सागर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में खुरई–राहतगढ़ बस स्टाप के निकट रेलवे उपरी पुल के डिजाइन में संशोधन किए जाने की आवश्यकता के बारे में एक मामला उठाया।

(5) श्रीमती दर्शना विक्रम **जरदोश** ने प्राकृतिक हीरे की आड़ में कृत्रिम हीरे के अनुचित व्यापार को रोके जाने की आवश्यकता के बारे में एक मामला उठाया।

(6) श्री प्रेम सिंह चंदूमाजरा ने अनिवासी भारतीयों को पासपोर्ट, वीजा और कौंसुलेट जनरल ऑफिस के संबंध में पेश आ रही समस्याओं का समाधान किए जाने की आवश्यकता के बारे में एक मामला उठाया।

(7) श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय ने झारखंड के पाकुड़ जिले में पैनम कोल माइन्स लिमिटेड द्वारा कथित अनियमितताओं की, जिनके कारण राजकोष को राजस्व की भारी हानि हुई है, की जांच किए जाने की आवश्यकता के बारे में एक मामला उठाया।

(8) श्री विनोद कुमार सोनकर ने उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को राज्य सिविल और पुलिस सेवा के अधिकारियों के स्थानान्तरण संबंधी मुद्दे का समाधान किए जाने की आवश्यकता के बारे में एक मामला उठाया।

(9) श्री अर्जुन राम मेघवाल ने राजस्थान के बीकानेर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में स्वच्छता से जुड़े संगठनों को संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के तहत निधियां जारी किए जाने की अनुमति दिए जाने की आवश्यकता के बारे में एक मामला उठाया।

(10) डॉ॰ भोला सिंह ने बिहार के बेगुसराय संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पक्षी विहार के कवड़ झील में कृषि गतिविधि की अनुमति दिए जाने की आवश्यकता के बारे में एक मामला उठाया।

(11) श्री राजेन्द्र अग्रवाल ने उत्तर प्रदेश में हापुड़ में कृषि विज्ञान केन्द्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में एक मामला उठाया।

(12) श्री चन्द्र प्रकाश जोशी ने राजस्थान के किशनगढ़ से अहमदाबाद के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 79 को छह लेन में बदले जाने की आवश्यकता के बारे में एक मामला उठाया।

(13) श्री सी॰आर॰ चौधरी ने राजस्थान में किसानों को बीज, सिंचाई और सौर ऊर्जा उपकरणों पर राज सहायता दिए जाने की आवश्यकता के बारे में एक मामला उठाया।

(14) श्री प्रहलाद जोशी ने कर्नाटक में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 63 के हुबली-गुडग खंड पर समपार संख्या-1 पर रोडओवर ब्रिज का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में एक मामला उठाया।

(15) डॉ॰ किरीट सोमैया ने मुम्बई के भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र के संवेदनशील जोन में निर्माण क्रियाकलापों पर प्रतिबंध लगाये जाने की आवश्यकता के बारे में एक मामला उठाया।

(16) श्री सी॰ गोपालकृष्णन ने ऊटी में एक मल्टीस्पेशलिटी अस्पताल खोले जाने की आवश्यकता के बारे में एक मामला उठाया।

(17) डॉ॰ जे॰ जयवर्धन ने कावेरी मैनेजमेंट बोर्ड और कावेरी वॉटर रेगुलेशन कमेटी का गठन किए जाने की आवश्यकता के बारे में एक मामला उठाया।

(18) डॉ॰ कुलमणि सामल ने ओडिशा के क्योंझर, जयपोर और खांडापाड़ा में उपक्षेत्रीय विज्ञान केन्द्र स्थापित किए जाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाने की आवश्यकता के बारे में एक मामला उठाया।

(19) श्री विनायक भाऊराव राउत ने देश में महुआरों के कल्याण हेतु उपाय किए जाने की आवश्यकता के बारे में एक मामला उठाया।

(20) श्री एम॰ मुरली मोहन ने आन्ध्र प्रदेश के राजामुन्दरी में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 16 के मोरामपुरी खंड पर उपरिपुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में एक मामला उठाया।

(21) श्री दुष्यंत चौटाला ने केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बलों द्वारा दी जाने वाली सेवाओं को उचित महत्व दिए जाने की आवश्यकता के बारे में एक मामला उठाया।

(22) श्रीमती अनुप्रिया पटेल ने उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में लालडिग्गी मोहल्ला स्थित अर्बन कोओपरेटिव बैंक के लेन-देन पर आरबीआई द्वारा लगाए गए प्रतिबंध के मुद्दे को सुलझाए जाने की आवश्यकता के बारे में एक मामला उठाया।

(23) प्रो॰ रिचर्ड हेय ने माहे-थलस्सेरी बाईपास रोड (राष्ट्रीय राजमार्ग 17), केरल का शीघ्र निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में एक मामला उठाया।

(24) डॉ॰ किरीट पी॰ सोलंकी ने देश में गौहत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने तथा गौ संवर्धन तथा गौ संरक्षण हेतु प्रभावी कदम उठाए जाने की आवश्यकता के बारे में एक मामला उठाया।

अपराह्न 3.00 बजे

17. नियम 193 के अधीन चर्चा

श्री अर्जुन राम मेघवाल ने इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) विवाद और तत्संबंधी मुद्दों से उत्पन्न विषयों पर चर्चा उठाई।

(व्यवधान के कारण लोक सभा अपराह्न 3.09 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 3.30 बजे पुन: समवेत हुई)

अपराह्न 3.30 बजे

श्री अर्जुन राम मेघवाल का भाषण अपूर्ण रहा।

चर्चा पूरी नहीं हुई।

अपराह्न 3.38 बजे

18. नियम 193 के अधीन चर्चा

अनुमत समय	:	2 घंटे
लिया गया समय	:	1 घंटा 45 मिनट
शेष	:	15 मिनट

डॉ॰ रमेश पोखरियाल 'निशंक' द्वारा 5 अगस्त, 2015 को उठाई गई संधारणीय विकास लक्ष्य के बारे में आगे चर्चा, जारी रही।

श्री प्रह्लाद सिंह पटेल ने अपना भाषण पुन: आरंभ किया तथा उनका भाषण अपूर्ण रहा।

चर्चा पूरी नहीं हुई।

(व्यवधान के कारण लोक सभा अपराह्न 3.40 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 4.00 बजे पुन: समवेत हुई)

(लगातार व्यवधान के कारण लोक सभा पूरे दिन के लिए स्थगित हुई।)

अपराह्न 4.08 बजे

(व्यवधान के कारण लोक सभा बुधवार, 12 *अगस्त,* 2015 *के*
पूर्वाह्न 11.00 *बजे तक के लिए स्थगित हुई।)*

अनूप मिश्र
महासचिव

GMGIPMRND—2232LS(S3)—11-08-2015.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

बुधवार, 12 अगस्त, 2015/21 श्रावण, 1937 (शक)

संख्या 106

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. निधन संबंधी उल्लेख

अध्यक्ष ने सातवीं लोक सभा के सदस्य श्री बालेश्वर राम तथा नौवीं और बारहवीं लोक सभा के सदस्य श्री जगन्नाथ सिंह के निधन के बारे में उल्लेख किया।

तत्पश्चात्, सदस्यगण दिवंगत आत्माओं के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

पूर्वाह्न 11.17 बजे

2. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 323—325 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 326—342 के मौखिक उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

3. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 3681—3910 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

(*व्यवधान के कारण लोक सभा अपराह्न* 12.07 *बजे स्थगित हुई और अपराह्न* 12.30 *बजे पुन: समवेत हुई।*)

अपराह्न 12.30 बजे

4. स्थगन प्रस्ताव

अध्यक्ष ने श्री मल्लिकार्जुन खरगे तथा अन्य द्वारा ''एक भगोड़े को सहायता प्रदान करने में केन्द्रीय मंत्री की कथित संलिप्तता और उनके द्वारा उसकी स्वीकृति तथा संबंधित कृत्यों और कार्रवाइयों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई और इस संबंध में सरकार के रुख'' के बारे में सूचना दिए जाने पर स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए अपनी सम्मति दी।

तद्नुसार, श्री मल्लिकार्जुन खरगे ने प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए सभा की अनुमति मांगी। चूंकि इस अनुमति का विरोध नहीं किया गया अत: अध्यक्ष ने सभा को सूचित किया कि इसके लिए अनुमति दी जाती है तथा निदेश दिया कि सभा पटल पर पत्रों के रखे जाने के पश्चात् यह प्रस्ताव लिया जाए।

अपराह्न 12.37 बजे

5. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 469 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) कंपनी (रजिस्ट्रेशन कार्यालय और फीस) दूसरा संशोधन नियम, 2015 जो 30 मई, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 438(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) कंपनी (प्रभारों का रजिस्ट्रेशन) दूसरा संशोधन नियम, 2015 जो 30 मई, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 440(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) कंपनी (लाभांश की संदायगी की घोषणा) दूसरा संशोधन नियम, 2015 जो 30 मई, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 441(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) कंपनी (शेयर पूंजी और ऋण पत्र) दूसरा संशोधन नियम, 2015 जो 30 मई, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 439(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(2) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 463 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) सा॰का॰नि॰ 464(अ) जो 5 जून, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 462 के अंतर्गत निजी कंपनियों को छूट दिए जाने के बारे में है।

(दो) सा॰का॰नि॰ 465(अ) जो 5 जून, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 462 के अंतर्गत निधियों को छूट दिए जाने के बारे में है।

(तीन) सा॰का॰नि॰ 466(अ) जो 5 जून, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 462 के अंतर्गत धारा 8 कंपनियों को छूट दिए जाने के बारे में है।

(चार) सा॰का॰नि॰ 463(अ) जो 5 जून, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 462 के अंतर्गत सरकारी कंपनियों को छूट दिए जाने के बारे में है।

(3) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 458 की उपधारा (2) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 333(अ) जो 29 अप्रैल, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसमें निदेश दिया गया है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 458 के उपबंध इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से सीमित दायित्व साझेदारी के लिए लागू होंगे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अधीन 12 अगस्त, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना संख्या 45/2015-सी॰शु॰, जिसका आशय अध्याय 72 के अंतर्गत आने वाले विनिर्दिष्ट माल पर 2.5 प्रतिशत आधारभूत सीमा-शुल्क को बढ़ाना है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(5) पथ विक्रेता (आजीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन) अधिनियम, 2014 की धारा 36 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) दादर और नगर हवेली संघ राज्यक्षेत्र पथ विक्रेता (आजीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन) नियम, 2015 जो 28 जुलाई, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 583(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) अंडमान निकोबार द्वीप समूह संघ राज्यक्षेत्र पथ विक्रेता (आजीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन) नियम, 2015 जो 28 जुलाई, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 584(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) दमन और दीव संघ राज्यक्षेत्र पथ विक्रेता (आजीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन) नियम, 2015 जो 28 जुलाई, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 585(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र पथ विक्रेता (आजीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन) नियम, 2015 जो 28 जुलाई, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 586(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) लक्षद्वीप संघ राज्यक्षेत्र पथ विक्रेता (आजीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन) नियम, 2015 जो 28 जुलाई, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 587(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 की धारा 10 की उपधारा (1) के अंतर्गत तथा उक्त अधिनियम के नियम 13 के खण्ड च(क) के अनुसरण में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी माल (अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण की अपेक्षाएं) आदेश, 2012 जो 19 मई, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1324(अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अंतर्गत भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड, इस्पात मंत्रालय, में आधुनिकीकरण और विस्तार संबंधी कार्यनिष्पादन लेखापरीक्षा के संबंध में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक—संघ सरकार (वाणिज्यिक) के प्रतिवेदन (2015 का संख्यांक 23) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) शिक्षु अधिनियम, 1961 की धारा 37 की उपधारा (3) के अंतर्गत शिक्षु (संशोधन) नियम, 2015 जो 18 जून, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 502(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड तथा परमाणु ऊर्जा विभाग के बीच वर्ष 2015-2016 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(दो) इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड तथा परमाणु ऊर्जा विभाग के बीच वर्ष 2015-2016 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(तीन) इंडियन रेअर अर्थ्स लिमिटेड तथा परमाणु ऊर्जा विभाग के बीच वर्ष 2015-2016 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(चार) न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड तथा परमाणु ऊर्जा विभाग के बीच वर्ष 2015-2016 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(पांच) भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड तथा परमाणु ऊर्जा विभाग के बीच वर्ष 2015-2016 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(11) नॉर्थ ईस्टर्न हैंडीक्राफ्ट्स एण्ड हैंडलूम्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड तथा उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्रालय के बीच वर्ष 2015-2016 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 की धारा 37 की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2015 जो 1 मई, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 357(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण (प्रक्रिया) नियम, 2015 जो 26 मई, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 428(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(13) सूचना का अधिकार, 2005 की धारा 29 की उपधारा (1) के अंतर्गत केन्द्रीय सूचना आयोग (स्टेनोग्राफर ग्रेड 'डी') भर्ती नियम, 2015 जो 6 जुलाई, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 540(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

*(14) (एक) एक्जोम सर्व शिक्षा अभियान मिशन, गुवाहाटी के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एक्जोम सर्व शिक्षा अभियान मिशन, गुवाहाटी के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

*(15) उपर्युक्त (14) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

---

*सायं 6.26 बजे।

*(16) (एक) उत्तराखण्ड सर्व शिक्षा अभियान, देहरादून के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) उत्तराखण्ड सर्व शिक्षा अभियान, देहरादून के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

*(17) उपर्युक्त (16) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

*(18) (एक) यू॰पी॰ एजुकेशन फॉर ऑल प्रोजेक्ट बोर्ड (सर्व शिक्षा अभियान), लखनऊ के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) यू॰पी॰ एजुकेशन फॉर ऑल प्रोजेक्ट बोर्ड (सर्व शिक्षा अभियान), लखनऊ के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

*(19) उपर्युक्त (18) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

*(20) (एक) सर्व शिक्षा अभियान नागालैंड, कोहिमा के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सर्व शिक्षा अभियान नागालैंड, कोहिमा के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

*(21) उपर्युक्त (20) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

*(22) (एक) सर्व शिक्षा अभियान आंध्र प्रदेश, हैदराबाद के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सर्व शिक्षा अभियान आंध्र प्रदेश, हैदराबाद के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

---

*सायं 6.26 बजे।

*(23) उपर्युक्त (22) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

*(24) (एक) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान अरुणाचल प्रदेश, ईटानगर के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान अरुणाचल प्रदेश, ईटानगर के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

*(25) उपर्युक्त (24) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

*(26) (एक) वेस्ट बंगाल सोसायटी फॉर राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, कोलकाता के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) वेस्ट बंगाल सोसायटी फॉर राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, कोलकाता के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

*(27) उपर्युक्त (26) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

*(28) (एक) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान केरल, त्रिवेंद्रम के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान केरल, त्रिवेंद्रम के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

*(29) उपर्युक्त (28) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

*(30) (एक) सर्व शिक्षा अभियान समिति कर्नाटक, बेंगलुरू के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

---

*सायं 6.26 बजे।

(दो) सर्व शिक्षा अभियान समिति कर्नाटक, बेंगलुरू के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

*(31) उपर्युक्त (30) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

*(32) (एक) महिला समाख्या उत्तराखण्ड, देहरादून के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) महिला समाख्या उत्तराखण्ड, देहरादून के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

*(33) उपर्युक्त (32) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

*(34) (एक) छत्तीसगढ़ महिला समाख्या सोसायटी, रायपुर के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) छत्तीसगढ़ महिला समाख्या सोसायटी, रायपुर के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

*(35) उपर्युक्त (34) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

*(36) (एक) आंध्र प्रदेश महिला समता सोसायटी, सिकंदराबाद के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) आंध्र प्रदेश महिला समता सोसायटी, सिकंदराबाद के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

*(37) उपर्युक्त (36) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

---

*सायं 6.26 बजे।

*(38) (एक) सर्व शिक्षा अभियान स्टेट मिशन अथॉरिटी मणिपुर, इम्फाल के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सर्व शिक्षा अभियान स्टेट मिशन अथॉरिटी मणिपुर, इम्फाल के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

*(39) उपर्युक्त (38) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(40) (एक) प्रोजेक्ट ऑफ हिस्ट्री ऑफ इंडियन साइंस, फिलॉस्फी एण्ड कल्चर, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) प्रोजेक्ट ऑफ हिस्ट्री ऑफ इंडियन साइंस, फिलॉस्फी एण्ड कल्चर, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(41) उपर्युक्त (40) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(42) (एक) इंडियन काउंसिल ऑफ फिलॉसोफिकल रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन काउंसिल ऑफ फिलॉसोफिकल रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(43) उपर्युक्त (42) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(44) (एक) अटल बिहारी वाजपेयी इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इंफार्मेशन टेक्नोलॉजी एण्ड मैनेजमेंट, ग्वालियर के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

---

*सायं 6.26 बजे।

(दो) अटल बिहारी वाजपेयी इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इंफार्मेशन टेक्नोलॉजी एण्ड मैनेजमेंट, ग्वालियर के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षित प्रतिवेदन।

(तीन) अटल बिहारी वाजपेयी इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इंफार्मेशन टेक्नोलॉजी एण्ड मैनेजमेंट, ग्वालियर के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(45) उपर्युक्त (44) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(46) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इंफार्मेशन टेक्नोलॉजी, इलाहाबाद के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इंफार्मेशन टेक्नोलॉजी, इलाहाबाद के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इंफार्मेशन टेक्नोलॉजी, इलाहाबाद के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(47) उपर्युक्त (46) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(48) (एक) डॉ॰ बी॰आर॰ अम्बेडकर नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जालंधर के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) डॉ॰ बी॰आर॰ अम्बेडकर नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जालंधर के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(49) उपर्युक्त (48) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(50) (एक) नेशनल काउंसिल फॉर प्रोमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल काउंसिल फॉर प्रोमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नेशनल काउंसिल फॉर प्रोमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(51) उपर्युक्त (50) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(52) (एक) मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्टिट्यूट फॉर टेक्नोलॉजी, इलाहाबाद के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्टिट्यूट फॉर टेक्नोलॉजी, इलाहाबाद के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(53) उपर्युक्त (52) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(54) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडी, शिमला के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडी, शिमला के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(55) उपर्युक्त (54) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(56) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अरुणाचल प्रदेश, यूपिया के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अरुणाचल प्रदेश, यूपिया के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(57) उपर्युक्त (56) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(58) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट काशीपुर, काशीपुर के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट काशीपुर, काशीपुर के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(59) उपर्युक्त (58) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(60) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कोझीकोड, कोझीकोड के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कोझीकोड, कोझीकोड के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(61) उपर्युक्त (60) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(62) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट शिलांग, शिलांग के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट शिलांग, शिलांग के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(63) उपर्युक्त (62) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(64) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट रोहतक, रोहतक के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट रोहतक, रोहतक के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(65) उपर्युक्त (64) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(66) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट तिरुचिरापल्ली, तिरुचिरापल्ली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट तिरुचिरापल्ली, तिरुचिरापल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(67) उपर्युक्त (66) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(68) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मणिपुर, मणिपुर के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मणिपुर, मणिपुर के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(69) उपर्युक्त (68) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(70) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट रांची, रांची के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट रांची, रांची के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(71) उपर्युक्त (70) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(72) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, पटना के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, पटना के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(73) उपर्युक्त (72) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(74) (एक) स्कूल ऑफ प्लानिंग एण्ड आर्किटेक्चर, विजयवाडा के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) स्कूल ऑफ प्लानिंग एण्ड आर्किटेक्चर, विजयवाडा के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(75) उपर्युक्त (74) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(76) (एक) इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(77) उपर्युक्त (76) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(78) (एक) इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(79) उपर्युक्त (78) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(80) (एक) इंडियन स्कूल ऑफ माइन्स, धनबाद के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन स्कूल ऑफ माइन्स, धनबाद के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(81) उपर्युक्त (80) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(82) ऑरोविल्ले फाउंडेशन (समूह 'क') भर्ती नियम, 2014 जो 12 अप्रैल, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 72 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), तथा उसका शुद्धिपत्र जो 1 अप्रैल, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 244(अ) में दिया हुआ है।

(83) उपर्युक्त (82) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(84) (एक) साइंस एण्ड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) साइंस एण्ड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(85) उपर्युक्त (84) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

6. राज्य सभा से संदेश

महासचिव ने राज्य सभा से प्राप्त इस संदेश की सूचना दी कि 5 अगस्त, 2015 को हुई अपनी बैठक में राज्य सभा ने दोनों सभाओं की अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति की पहली बैठक की तारीख से एक वर्ष के कार्यकाल के लिए समिति के साथ सहयोजित होने का प्रस्ताव स्वीकृत किया तथा उस समिति में कार्य करने के लिए राज्य सभा के निम्नलिखित 10 सदस्यों को निर्वाचित किया गया है:—

1. श्री राम नारायण डूडी
2. श्री चूनीभाई कांजीभाई गोहेल

3. श्री बी॰के॰ हरिप्रसाद
4. श्री अहमद हसन
5. श्री विशम्भर प्रसाद निषाद
6. श्री वी॰ हनुमंत राव
7. श्री राजपाल सिंह सैनी
8. श्रीमती विजिला संध्यानाथ
9. श्री अश्क अली तक
10. श्री राम नाथ ठाकुर

7. गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का प्रतिवेदन

डॉ॰ एम॰ तंबिदुरै ने गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का चौदहवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

8. अधीनस्थ विधान संबंधी समिति के प्रतिवेदन

श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी ने अधीनस्थ विधान संबंधी समिति का छठा, सातवां, आठवां और नौवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

9. लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन

श्री पी॰पी॰ चौधरी ने लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति का तीसरा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

10. श्रम संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

डॉ॰ वीरेन्द्र कुमार ने श्रम संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया:—

(1) 'शहरी हाटों की समीक्षा' नौवां प्रतिवेदन।

(2) 'राउरकेला इस्पात संयंत्र के मृत कर्मकारों के विधिक उत्तराधिकारियों का कल्याण-एक मामलापरक अध्ययन' के बारे में समिति के 37वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी दसवां प्रतिवेदन।

11. रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्रीमती अंजु बाला ने रसायन और उर्वरक मंत्रालय (भेषज विभाग) से संबंधित 'राष्ट्रीय भेषज शिक्षा और अनुसंधान संस्थान का कार्यकरण' विषय पर रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति का बारहवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

12. ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री अजय मिश्रा टेनी ने ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया:—

(1) ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) की 'अनुदानों की मांगों (2014-2015)' के पहले प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई कार्रवाई संबंधी दसवां प्रतिवेदन।

(2) ग्रामीण विकास मंत्रालय (भू-संसाधन विभाग) की 'अनुदानों की मांगों (2014-2015)' के दूसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 11वां प्रतिवेदन।

(3) पंचायती राज मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगों (2014-2015)' के बारे में तीसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 12वां प्रतिवेदन।

(4) पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगों (2014-2015)' के बारे में चौथे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 13वां प्रतिवेदन।

(5) 'महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा), 2005' के बारे में 42वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 14वां प्रतिवेदन।

(6) 'पंचायती राज संस्थाओं का क्षमता निर्माण' के बारे में 45वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 15वां प्रतिवेदन।

13. कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री राकेश सिंह ने कोयला मंत्रालय से संबंधित 'कोयला/लिग्नाइट खनन क्षेत्रों में निवासियों/कर्मकारों के लिए संरक्षा, स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाएं' विषय पर कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति का 14वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

14. कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के विवरण

20. श्री राकेश सिंह ने कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के अध्याय एक और पांच में अंतर्विष्ट सिफारिशों के संबंध में सरकार द्वारा प्रस्तुत निम्नलिखित की-गई-कार्रवाई संबंधी विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी:—

(1) कोयला मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगों (2013-2014)' के बारे में 33वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के संबंध में कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति का 44वां प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा)।

(2) खान मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगों (2013-14)' के बारे में 34वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की की-गई-कार्यवाही के संबंध में कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति का 45वां प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा)।

(3) इस्पात मंत्रालय से संबंधित 'सरकारी क्षेत्र की इस्पात कंपनियों में कर्मकारों की सेवा शर्तें' के बारे में 51वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के संबंध में कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति का पांचवां प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा)।

(4) इस्पात मंत्रालय से संबंधित 'सरकारी क्षेत्र की इस्पात कंपनियों द्वारा इस्पात का विपणन और ढुलाई' के बारे में 52वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के संबंध में कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति का छठा प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा)।

15. सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री कुंवर भारतेन्द्र ने 'वक्फ संपत्ति (अनधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) विधेयक, 2014' के बारे में सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति (2014-15) का 20वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

16. वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री बोधसिंह भगत ने भारत में रबड़ उद्योग के बारे में वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति का 119वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

17. विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री दद्दन मिश्रा ने 'नीलगिरि के पर्यावरण मुद्दों' पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति का 268वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

18. परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री कुंवर हरिवंश सिंह ने राष्ट्रीय जलमार्ग विधेयक, 2015 के बारे में परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति का 223वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

19. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(1) ग्रामीण विकास मंत्री, आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री; और संसदीय कार्य मंत्री ने शहरी विकास मंत्रालय से संबंधित दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) का कार्यकरण, ''विशेष रूप से दिल्ली में सस्ते मकान और दिल्ली में अनधिकृत कॉलोनियों के नियमितीकरण में इसकी भूमिका के संदर्भ में, तथा उससे संबंधित विषयों'' के बारे में शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति के 31वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य सभा पटल पर रखा।

(2) अल्पसंख्यक कार्य मंत्री ने अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय से संबंधित ''प्रधानमंत्री के नए 15 सूत्री कार्यक्रम का कार्यान्वयन'' के बारे में सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति के 46वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य सभा पटल पर रखा।

(3) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) की ओर से उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार; प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत मंत्रालय में राज्य मंत्री, परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री और अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2014-15) के बारे में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति के पहले प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य सभा पटल पर रखा।

(4) कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री ने कृषि और सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2014-15) के बारे में कृषि संबंधी स्थायी समिति के तीसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य सभा पटल पर रखा।

(5) सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री ने निम्नलिखित के बारे में वक्तव्य सभा पटल पर रखा—

(1) वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2015-16) के बारे में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति के 257वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(2) वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2015-16) के बारे में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति के 258वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(6) सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय से संबंधित 'पेड न्यूज से संबंधित मुद्दों' के बारे में सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के 47वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य सभा पटल पर रखा।

20. प्रस्ताव

श्री अर्जुन राम मेघवाल ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि यह सभा 11 अगस्त, 2015 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के 21वें प्रतिवेदन से सहमत है।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 12.46 बजे

21. स्थगन प्रस्ताव

लिया गया समय: 4 घंटे 47 मिनट

अपराह्न 12.46 बजे श्री मल्लिकार्जुन खरगे ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि सभा अब स्थगित हो।''

(लोक सभा मध्याह्न भोज के लिए अपराह्न 1.46 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 2.46 बजे पुन: समवेत हुई)

अपराह्न 2.46 बजे

श्री मल्लिकार्जुन खरगे ने अपना भाषण पुन: आरंभ किया:—

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया—

1. श्रीमती सुषमा स्वराज
2. डॉ॰ पी॰ वेणुगोपाल
3. श्री दिनेश त्रिवेदी
4. श्री भर्तृहरि महताब
5. श्री आनंदराव अडसुल
6. श्री थोटा नरसिम्हम
7. श्री ए॰पी॰ जितेन्द्र रेड्डी
8. श्री पी॰ करूणाकरण
9. श्री मेकापति राजमोहन रेड्डी
10. श्री प्रेम सिंह चंदुमाजरा
11. श्री तारिक अनवर
12. श्री भगवंत मान
13. श्री ई॰टी॰ मोहम्मद बशीर
14. श्री असादुद्दीन ओवैसी
15. श्रीमती अनुप्रिया पटेल
16. श्री दुष्यंत चौटाला
17. श्री एन॰के॰ प्रेमचन्द्रन
18. श्री चिराग पासवान
19. श्री राहुल गांधी
20. श्री अरुण जेटली
21. श्री एम॰ वेंकैय्या नायडू

चूंकि प्रस्ताव पेश करने वाले सभा में उपस्थित नहीं थे, प्रस्ताव पर मतदान हुआ और प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

सायं 6.26 बजे

22. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे:—

(1) श्रीमती रीती पाठक द्वारा ललितपुर–सिंगरौली रेल परियोजना के निर्माण में तेजी लाए जाने तथा सिंगरौली से दिल्ली और भोपाल तक सीधी ट्रेन चलाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(2) श्रीमती जयश्रीबेन के॰ पटेल द्वारा गाय और गाय प्रजातियों के संरक्षण के लिए उचित उपाय किए जाने तथा गौहत्या तथा गौमांस के निर्यात और तस्करी पर संपूर्ण प्रतिबंध लगाए जाने हेतु कठोर विधि तैयार किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(3) श्री ए॰टी॰ नाना पाटील द्वारा अनुकंपा के आधार पर रोजगार प्रदान किए जाने हेतु एक पारदर्शी नीति तैयार किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(4) श्री योगी आदित्यनाथ द्वारा अवैध बुचड़खानों को बंद किए जाने तथा उत्तर प्रदेश के कोने–कोने में गौमांस की खुली बिक्री जो लोगों के स्वास्थ्य के लिए गंभीर संकट बनी हुई है, को बंद किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(5) श्री रवीन्द्र कुशवाहा द्वारा उत्तर प्रदेश देवरिया जिले के गन्ना कृषकों और कर्मकारों के हितों का संरक्षण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(6) श्री जगदम्बिका पाल द्वारा उत्तर प्रदेश में गन्ना कृषकों को बकाया रकम के भुगतान में तेजी लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(7) श्री कीर्ति वर्धन सिंह द्वारा उत्तर प्रदेश के गौंड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में चीनी मिलों द्वारा गन्ना कृषकों के बकायों का भुगतान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(8) श्री बी॰ श्रीरामूलू द्वारा कर्नाटक के बेल्लारी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के कुडलगी तालुक को फ्लूरायड रहित पानी प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(9) डॉ॰ उदित राज द्वारा सरकारी विभागों के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कल्याण संघों को अपनी शिकायतें प्रस्तुत करने के लिए प्रबंधन के साथ बैठक करने की अनुमति दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(10) मेजर जनरल भुवन चन्द्र खण्डूड़ी, एवीएसएम (सेवानिवृत्त) द्वारा उत्तराखण्ड के चमोली जिले में केन्द्रीय विद्यालय गोपेश्वर के लिए एक स्थायी स्कूल इमारत का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(11) श्री शरद त्रिपाठी द्वारा उत्तर प्रदेश के संत कबीरनगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में ऐसे व्यथित किसान जिनकी फसल अतिवर्षा और ओलावृष्टि के कारण नष्ट हुई है, को वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(12) श्री देवेन्द्र सिंह भोले द्वारा उत्तर प्रदेश के अकबरपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में ऐसे सभी व्यथित किसान जिनकी फसल अतिवर्षा और ओलावृष्टि के कारण नष्ट हुई है, को वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(13) श्री कामाख्या प्रसाद तासा द्वारा आसाम के शिवसागर जिले के पुरातन स्मारकों का संरक्षण किए जाने हेतु कदम उठाए जाने तथा उसे एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(14) श्री पी॰ कुमार द्वारा नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी, तिरुचिरापल्ली के नॉन-टीचिंग नॉन-मस्टर रोल कर्मचारियों की सेवाओं को विनियमित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(15) श्री आर॰ गोपालकृष्णन द्वारा तमिलनाडु के मदुरई शहर में आउटर रिंग रोड के निर्माण को शीघ्र पूरा किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(16) श्री कलिकेश नारायण सिंह देव द्वारा जेनेक्सपर्ट टीबी टेस्ट मशीनों की खरीद में तेजी लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(17) श्री गजानन कीर्तिकर द्वारा एअर इंडिया कार्यालय को मुम्बई से दिल्ली स्थानांतरित किए जाने के निर्णय की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(18) श्री पी॰ श्रीनिवास रेड्डी द्वारा कोयला खान कर्मकारों के कल्याण के लिए कोयला खान पेंशन स्कीम, 1988 का पुनरीक्षण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(19) एडवोकेट जॉएस जॉर्ज द्वारा केरल में इलायची कृषकों द्वारा सामना की जा रही समस्याओं के बारे में।

सायं 6.27 बजे

23. नियम 193 के अधीन चर्चा

अनुमत समय : 2 घंटे
लिया गया समय : 1 घंटा 46 मिनट
शेष : 14 मिनट

डॉ॰ रमेश पोखरियाल 'निशंक' द्वारा 5 अगस्त, 2015 को संधारणीय विकास लक्ष्य के बारे में उठाई गई चर्चा पर आगे बहस जारी रही।

श्री प्रह्लाद सिंह पटेल ने अपना भाषण पुन: आरंभ किया तथा उनका भाषण अपूर्ण रहा।

चर्चा पूरी नही हुई।

सायं 6.28 बजे

(व्यवधान के कारण, लोक सभा गुरुवार, 13 अगस्त, 2015 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

अनूप मिश्र
महासचिव

GMGIPMRND—2255LS(S3)—12-08-2015.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

गुरुवार, 13 अगस्त, 2015/22 श्रावण, 1937 (शक)

संख्या 107

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 343—347 के मौखिक उत्तर दिए गए।

तारांकित प्रश्न संख्या 348—362 के मौखिक उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 3911—4140 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) (एक) नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) खाद्य निगम अधिनियम, 1964 की धारा 45 की उपधारा (5) के अंतर्गत भारतीय खाद्य निगम (कर्मचारिवृंद) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2015 जो 29 मई, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या ईपी॰36(1)/2004 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) गर्भधारण-पूर्व और प्रसव-पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 की धारा 34 के अंतर्गत गर्भधारण-पूर्व और प्रसव-पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) संशोधन नियम, 2015 जो 28 जनवरी, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 60(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) (एक) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना के वर्ष 2012-2013 और 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदनों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना के वर्ष 2012-2013 और 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) (एक) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ऋषिकेश के वर्ष 2012-2013 और 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदनों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ऋषिकेश के वर्ष 2012-2013 और 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) उपर्युक्त (8) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) (एक) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, भोपाल के वर्ष 2012-2013 और 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदनों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, भोपाल के वर्ष 2012-2013 और 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) उपर्युक्त (10) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) (एक) ऑल इंडिया इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, रायपुर के वर्ष 2012-2013 और वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) ऑल इंडिया इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, रायपुर के वर्ष 2012-2013 और वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) उपर्युक्त (12) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) (एक) ऑल इंडिया इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, भुवनेश्वर के वर्ष 2012-2013 और वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) ऑल इंडिया इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, भुवनेश्वर के वर्ष 2012-2013 और वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(15) उपर्युक्त (14) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) (एक) ऑल इंडिया इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, जोधपुर के वर्ष 2012-2013 और वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) ऑल इंडिया इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, जोधपुर के वर्ष 2012-2013 और वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(17) उपर्युक्त (16) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) (एक) हज समिति ऑफ इंडिया के वर्ष 2014-2015 के प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) हज समिति ऑफ इंडिया के वर्ष 2014-2015 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(19) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) नेशनल जूट मेनुफैक्चर्स कारपोरेशन लिमिटेड तथा वस्त्र मंत्रालय के बीच वर्ष 2015-2016 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) कॉटन कारपोरेशन ऑफ लिमिटेड तथा वस्त्र मंत्रालय के बीच वर्ष 2015-2016 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(20) राष्ट्रीय जूट बोर्ड अधिनियम, 2008 की धारा 3 की उप-धारा (1) के अधीन जारी अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1675(अ) जो 23 जून, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा राष्ट्रीय जूट बोर्ड को 29 सितम्बर, 2014 से दो वर्ष की समयावधि के लिए पुनर्गठित किया गया है की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(21) जूट पैकेज सामग्री (वस्तु पैकिंग अनिवार्य प्रयोग) अधिनियम, 1987 की धारा 3 की उपधारा (2) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1676(अ) जो 23 जून, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा जूट पैकेज सामग्री को वर्ष 2014-2015 के लिए अर्थात् 30.6.2016 तक अधिसूचना में यथानिर्दिष्ट न्यूनतम प्रतिशतता में आपूर्ति या वितरण हेतु अनिवार्य किया गया ह की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(22) वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 63 के साथ पठित धारा 5क की उप-धारा (2) और (3) के अधीन जारी अधिसूचना सं॰ का॰आ॰ 3111(अ) जो 10 दिसम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा राष्ट्रीय

वन्य जीव बोर्ड नियम, 2013 में कतिपय संशोधन किए गए हैं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(23) उपर्युक्त (22) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(24) (एक) नेशनल पावर ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट, फरीदाबाद के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल पावर ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट, फरीदाबाद के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(25) उपर्युक्त (24) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(26) (एक) ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिसिएंसी, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिसिएंसी, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(27) उपर्युक्त (26) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(28) एनटीपीसी लिमिटेड तथा विद्युत मंत्रालय के बीच वर्ष 2015-2016 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(29) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) जम्मू एण्ड कश्मीर डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, जम्मू के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) जम्मू एण्ड कश्मीर डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, जम्मू का वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(30) उपर्युक्त (29) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(31) कमराजर लिमिटेड तथा पोत परिवहन मंत्रालय के बीच वर्ष 2014-15 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(32) महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 124 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) सा॰का॰नि॰ 393(अ) जो 11 जून, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा मंगलोर पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, ज्येष्ठता और पदोन्नति) संशोधन विनियम, 2014 को अनुमोदित किया गया है।

(दो) सा॰का॰नि॰ 626(अ) जो 29 जून, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा मंगलोर पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, ज्येष्ठता और पदोन्नति) संशोधन विनियम, 2014 को अनुमोदित किया गया है।

(तीन) सा॰का॰नि॰ 243(अ) जो 1 अप्रैल, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा जवाहर नेहरू पत्तन न्याय कर्मचाराी (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) संशोधन विनियम, 2013 को अनुमोदित किया गया है।

(33) उपर्युक्त (32) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले तीन विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(34) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 10 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) का॰आ॰ 891(अ) जो 26 मार्च, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 (गोमती चौराहा से उदयपुर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(दो) का॰आ॰ 500(अ) जो 21 फरवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 758 (राजसमंद से भीलवाड़ा खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(तीन) का॰आ॰ 435(अ) जो 18 फरवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तथा जिसके द्वारा 19 जून, 2013 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1756(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(चार) का॰आ॰ 844(अ) जो 20 मार्च, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तथा जिसके द्वारा 23 मई, 2013 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1338(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(पांच) का॰आ॰ 786(अ) जो 18 मार्च, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो झारखंड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 33 और 6 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(छह) का॰आ॰ 669(अ) जो 4 मार्च, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 77 (मुजफ्फरपुर-सोबरसा खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(सात) का॰आ॰ 953(अ) जो 7 अप्रैल, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो झारखंड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 23 (आईटीआई मोड चास से चारगी खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(आठ) का॰आ॰ 952(अ) जो 7 अप्रैल, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पश्चिम बंगाल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31डी के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(नौ) का॰आ॰ 1068(अ) जो 23 अप्रैल, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो झारखंड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 (औरंगाबाद से बरवा-अड्डा खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(दस) का॰आ॰ 948(अ) जो 7 अप्रैल, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 107 (महेश खुंट सोनबरसा-राज-सहरसा-मधेपुरा-पूर्णिया खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(ग्यारह) का॰आ॰ 1067(अ) जो 23 अप्रैल, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो झारखंड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 23 (चास-बोकारो-गोला-रामगढ़ खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(बारह) का॰आ॰ 1273(अ) जो 13 मई, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो झारखंड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 33 (बरही-हजारीबाग खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(तेरह) का॰आ॰ 1046(अ) जो 17 अप्रैल, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो झारखंड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 (औरंगाबाद से बरवा-अड्डा खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(चौदह) का॰आ॰ 1066(अ) जो 23 अप्रैल, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो झारखंड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 (औरंगाबाद से बरवा-अड्डा खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(पंद्रह) का॰आ॰ 1195(अ) जो 7 अप्रैल, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 107 (महेश खुंट सोनबरसा-राज-सहरसा-मधेपुरा-पूर्णिया खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(सोलह) का॰आ॰ 785(अ) जो 18 मार्च, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथ जिसके द्वारा 1 जुलाई, 2014 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1675(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(सत्रह) का॰आ॰ 1325(अ) जो 19 मई, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 27 जनवरी, 2014 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 251(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(अठारह) का॰आ॰ 659(अ) जो 4 मार्च, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 18 फरवरी, 2014 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 440(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(उन्नीस) का॰आ॰ 1091(अ) जो 27 अप्रैल, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जो झारखंड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 (औरंगाबाद से बरवा-अड्डा खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(बीस) का॰आ॰ 1264(अ) जो 12 मई, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में प्रस्तावित वडोदरा–मुबई एक्सप्रेस (वडोदरा मुंबई खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(इक्कीस) का॰आ॰ 791(अ) जो 18 मार्च, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 ई (गिर सोमनाथ खण्ड का भाग) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(बाईस) का॰आ॰ 667(अ) जो 4 मार्च, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 ई (गिर सोमनाथ खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(तेईस) का॰आ॰ 961(अ) जो 7 अप्रैल, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 ई (गिर सोमनाथ खण्ड का भाग) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(चौबीस) का॰आ॰ 751(अ) जो 13 मार्च, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 ई (गिर सोमनाथ खण्ड का भाग) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(पच्चीस) का॰आ॰ 1263(अ) जो 12 मई, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में प्रस्तावित वडोदरा–मुंबई एक्सप्रेस (वडोदरा मुंबई खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण,, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(छब्बीस) का॰आ॰ 766(अ) जो 16 मार्च, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 ई (गिर सोमनाथ खण्ड का भाग) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(सत्ताईस) का॰आ॰ 672(अ) जो 4 मार्च, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं॰ 8ङ(भावनगर खंड का भाग) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(अट्ठाईस) का॰आ॰ 670(अ) जो 4 मार्च, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं॰ 8ङ(भावनगर खंड का भाग) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(उनतीस) का॰आ॰ 784(अ) जो 18 मार्च, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं॰ 8 (अहमदाबाद-बड़ोदरा खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(तीस) का॰आ॰ 793(अ) जो 18 मार्च, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं॰ 8ङ(गिर सोमनाथ खंड का भाग) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(इकतीस) का॰आ॰ 792(अ) जो 18 मार्च, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं॰ 8ङ(गिर सोमनाथ खंड का भाग) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(बत्तीस) का॰आ॰ 788(अ) जो 18 मार्च, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं॰ 59 (अहमदाबाद-गुजरात/मध्य प्रदेश सीमा खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(तैंतीस) का॰आ॰ 519(अ) जो 16 फरवरी, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं॰ 8ङ(गिर सोमनाथ खंड का भाग) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(चौंतीस) का॰आ॰ 959(अ) जो 7 अप्रैल, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं॰ 15 (फलोडी–जैसलमेर खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(पैंतीस) का॰आ॰ 958(अ) जो 7 अप्रैल, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं॰ 15 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(छत्तीस) का॰आ॰ 1193(अ) जो 6 मई, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं॰ 758 (भीलवाड़ा से लाडपुरा खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(सैंतीस) का॰आ॰ 708(अ) जो 10 मार्च, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं॰ 112 (जोधपुर–बाड़मेर खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(अड़तीस) का॰आ॰ 1043(अ) जो 17 अप्रैल, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं॰ 11क (दौसा–मनोहरपुर खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(उन्तालीस) का॰आ॰ 1131(अ) जो 29 मई, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं॰ 758 (भीलवाड़ा से लाडपुरा खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(चालीस) का॰आ॰ 1239(अ) जो 8 मई, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं॰ 8 (गोमती चौराहा से उदयपुर खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(इकतालीस) का॰आ॰ 648(अ) जो 3 मार्च, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं॰ 65 (राजगढ़

खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(बयालीस) का॰आ॰ 668(अ) जो 4 मार्च, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं॰ 758 (भीलवाड़ा से लाडपुरा खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(तेंतालीस) का॰आ॰ 261(अ) जो 28 जनवरी, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं॰ 758 (भीलवाड़ा से लाडपुरा खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(चवालीस) का॰आ॰ 1042(अ) जो 17 अप्रैल, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं॰ 11क (दौसा-लालसोट-कोथुन खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(पैंतालीस) का॰आ॰ 1044(अ) जो 17 अप्रैल, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं॰ 11क (दौसा-लालसोट-कोथुन खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(छियालीस) का॰आ॰ 1090(अ) जो 27 अप्रैल, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं॰ 123 (ऊंचा नागला-धौलपुर खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(सैंतालीस) का॰आ॰ 585(अ) जो 20 फरवरी, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं॰ 8 (गौमती चौराहा से उदयपुर खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(अड़तालीस) का॰आ॰ 364(अ) जो 5 फरवरी, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं॰ 65 (सालासर से नागौर खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(उनचास) का॰आ॰ 1236(अ) जो 8 मई, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं॰ 8 (गोमती चौराहा से उदयपुर खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(पचास) का॰आ॰ 392(अ) जो 6 फरवरी, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं॰ 758 (राजसमन्द–भीलवाड़ा खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(इक्यावन) का॰आ॰ 1241(अ) जो 8 मई, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं॰ 123 (ऊंचा नांगला–धौलपुर खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(बावन) का॰आ॰ 1271(अ) जो 13 मई, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसमें 8 अक्तूबर, 2013 की अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 3071(अ) का शुद्धिपत्र दिया हुआ है।

(तिरपन) का॰आ॰ 563(अ) जो 18 फरवरी, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं॰ 65 (सालासर से नागौर खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(चौवन) का॰आ॰ 246(अ) जो 28 जनवरी, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं॰ 65 (सालासर–फतेहपुर–अंबाला खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(36) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उप–धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेज़ी संस्करण)—

(एक) 31.3.2015 को समाप्त हुई तिमाही के लिए भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक लिमिटेड इक्विटी शेयरधारकों को आईआईबीआई का स्वैच्छिक परिसमापन कोलकाता के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) 31.3.2015 को समाप्त हुई तिमाही के लिए भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक लिमिटेड इक्विटी शेयरधारकों को आईआईबीआई का स्वैच्छिक परिसमापन

कोलकाता का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(37) भारतीय कुटीर उद्योग विकास बोर्ड अधिनियम, 1989 की धारा 52 की उपधारा (3) के अंतर्गत भारतीय कुटीर उद्योग विकास बोर्ड (कर्मचारी) (संशोधन) विनियम, 2015 जो 22 जून, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ॰सं॰ एचआरवी सं॰ 1231/स्टाफ जनरल (2) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(38) काला धन (अप्रकटित विदेशी आय और आस्तियां) और कर अधिरोपण अधिनियम, 2015 की धारा 86 की उपधारा (2) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1790 (अ) जो 1 जुलाई, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा काला धन (अप्रकटित विदेशी आय और आस्तियां) और कर अधिरोपण अधिनियम, 2015 के आरंभ होने की प्रभावी तारीख में संशोधन करने वाला आदेश अधिसूचित किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याखात्मक ज्ञापन।

(39) काला धन (अप्रकटित विदेशी आय और आस्तियां) और कर अधिरोपण अधिनियम, 2015 की धारा 63 की उपधारा (59) और उपधारा (1) के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1791 (अ) जो 1 जुलाई, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा किसी व्यक्ति द्वारा भारत के बाहर स्थित अप्रकटित आस्तियों के संबंध में घोषणा किए जाने अथवा उसके पूर्व की तारीख तथा इस प्रकार घोषित भारत के बाहर स्थित अप्रकटित आस्तियों के लिए व्यक्ति द्वारा कर और शस्ति की संदायगी किए जाने अथवा उसके पूर्व की तारीख को अधिसूचित किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(40) काला धन (अप्रकटित विदेशी आय और आस्तियां) और कर अधिरोपण अधिनियम, 2015 की धारा 85 की उपधारा (4) के अंतर्गत काला धना (अप्रकटित विदेशी आय और आस्तियां) और कर अधिरोपण नियम, 2015 जो 2 जुलाई, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 529(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(41) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 54 की उपधारा (4) के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक सामान्य (संशोधन) विनियम, 2015 जो 6 जुलाई, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या डीजीबीए/एकाउंट/बीएएएस सं॰ 18/62-01.022/2015-16 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(42) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 30 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (दूसरा संशोधन) नियम, 2014 जो 22 अगस्त, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 611(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) तीसरा संशोधन नियम, 2014 जो 19 नवम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 819(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(43) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 26क, प्रतिभूति संविदा (विनियम) अधिनियम, 1956 की धारा 26क और निक्षेपागार अधिनियम, 1996 की धारा 22ग के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1618(अ) जो 17 जून, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा न्यायालय संख्या 22, सिटी सिविल और सत्र न्यायालय मुंबई को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, 1992 की धारा 11ग में उल्लिखित प्रयोजनों से नामित न्यायालय के रूप में तथा विशेष न्यायालय के रूप में नामित किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(44) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 26क, प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 26क और निक्षेपागार अधिनियम, 1996 की धारा 22ग के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) का॰आ॰ 1784 (अ) जो 1 जुलाई, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा प्रधान जिला और सत्र न्यायालय, चेन्नई को उपर्युक्त अधिनियमों के अधीन विशेष न्यायालय नामित किया गया है।

(दो) का॰आ॰ 1132(अ) जो 11 अप्रैल, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा पंचम विशेष न्यायालय, कलकत्ता को उपर्युक्त अधिनियमों के अधीन विशेष न्यायालय नामित किया गया है।

(तीन) का॰आ॰ 1060(अ) जो 21 अप्रैल, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उनचालिसवा सत्र न्यायालय, सिटी सिविल कोर्ट

बृहत्त मुंबई को उपर्युक्त अधिनियमों के अधीन विशेष न्यायालय नामित किया गया है।

(45) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 31 के अंतर्गत भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रक्रिया तथा निर्णयन अधिकारी द्वारा शास्तियां अध्यारोपित किया जाना) संशोधन नियम, 2015 जो 28 मई, 2015 के भारत के राजपत्र में सा॰का॰नि॰ 430 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(46) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 11ग की उपधारा (8) के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 678(अ) जो 5 मार्च, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा कोर्ट संख्या 39 सिटी सिविल कोर्ट, मुंबई को उक्त अधिनियम की उक्त धारा में यथावर्णित प्रयोजनों के लिए नामित न्यायालय के रूप में पदाभिहित किया गया है, की एक प्रति(हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(47) प्रतिभूति विधि (संशोधन) अधिनियम, 2014 की धारा 1 उपधारा (4) के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 2287(अ) जो 8 सितम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 8 सितम्बर, 2014 को उक्त अधिनियम की धारा 6 से 15, धारा 25 से 32 और धारा 41 से 47 के उपबंधों के लागू होने की तारीख के रूप में नियत किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(48) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) अधिसूचना संख्या 63/2015-सी॰शु॰ (एन॰टी॰) जो 18 जून, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) अधिसूचना संख्या 52/2015-सी॰शु॰ (एन॰टी॰) जो 4 जून, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा

भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) अधिसूचना संख्या 68/2015-सी॰शु॰ (एन॰टी॰) जो 16 जुलाई, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) अधिसूचना संख्या 66/2015-सी॰शु॰ (एन॰टी॰) जो 2 जुलाई, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

4. राज्य सभा से संदेश

महासचिव ने राज्य सभा से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना दी:—

(एक) कि राज्य सभा को 4 अगस्त, 2015 को लोक सभा द्वारा पारित विनियोग (रेल) संख्यांक 3 विधेयक, 2015 के संबंध में लोक सभा को कोई सिफारिश नहीं करनी है।

(दो) कि राज्य सभा को लोक सभा द्वारा 5 अगस्त, 2015 को पारित विनियोग (संख्यांक 3) विधेयक, 2015 के संबंध में लोक सभा को कोई सिफारिश नहीं करनी है।

5. गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति बैठकों के कार्यवाही सारांश

डॉ॰ एम॰ तंबिदुरै ने चालू सत्र के दौरान हुई गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति की बारहवीं से चौदहवीं बैठकों के कार्यवाही-सारांश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

6. प्राक्कलन समिति का प्रतिवेदन

डॉ॰ मुरली मनोहर जोशी ने कृषि मंत्रालय (कृषि और सहकारिता विभाग) से संबंधित 'आर्गेनिक कृषि संबंधी राष्ट्रीय परियोजना' विषय पर प्राक्कलन समिति (2015-16) का नौवां प्रतिवदेन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

7. लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन

श्री भर्तृहरि महताब ने लोक लेखा समिति (2015-16) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया:—

(1) 2011-12 के सी एण्ड एजी प्रतिवेदन संख्यांक 7 पर आधारित ''भारतीय तटरक्षक की भूमिका और कार्यकरण'' विषय पर 21वां प्रतिवेदन।

(2) 2013 के सी एण्ड एजी प्रतिवेदन संख्यांक 19 के पैरा 6.3 पर आधारित ''सीजीएचएस में एलोपैथिक दवाओं की खरीद'' विषय पर 22वां प्रतिवदेन।

(3) 2014 के सी एण्ड एजी प्रतिवेदन संख्यांक 11 पर आधारित ''भारतीय सीमा-शुल्क इलेक्ट्रॉनिक डाटा अंत:परिवर्तन प्रणाली (आईसीईएस 1.5)'' विषय पर 23वां प्रतिवेदन।

(4) ''पदार्थ मद सहायतानुदान और इमदाद के प्रावधान को बढ़ाया जाना'' विषय पर समिति के 83वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 24वां प्रतिवेदन।

8. लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन

श्री पी॰पी॰ चौधरी ने लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति का चौथा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

9. अन्य पिछड़ा वर्गों के कल्याण संबंधी समिति के प्रतिवेदन

श्री गणेश सिंह ने अन्य पिछड़ा वर्गों के कल्याण संबंधी समिति (2014-15) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया:—

(1) श्रम और रोजगार मंत्रालय से संबंधित 'कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए रोजगार में आरक्षण और कल्याणकारी उपाय' पर दूसरा प्रतिवदेन।

(2) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से संबंधित 'चिकित्सा संस्थाओं में अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए लागू की जा रही आरक्षण नीति की समीक्षा' पर तीसरा प्रतिवेदन।

10. सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति (2014-15) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया:—

(1) संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (डाक विभाग) से संबंधित 'डाक विभाग में व्यापार विकास और विपणन रणनीति' विषय पर 11वां प्रतिवेदन।

(2) सूचना और प्रसारण मंत्रालय से संबंधित 'पेड न्यूज से संबंधित मुद्दे' विषय पर समिति के 47वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 12वां प्रतिवेदन।

(3) संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (दूरसंचार विभाग) से संबंधित 'दूससंचार टॉवर स्थापित किए जाने हेतु मानदंड इसके हानिकार प्रभाव तथा दूरसंचार सुविधाओं के विस्तार में संरक्षा मानकों की स्थापना' विषय पर समिति के 53वें (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 13वां प्रतिवेदन।

(4) संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (डाक विभाग) की अनुदानों की मांगों (2014-15) पर समिति के पहले प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 14वां प्रतिवेदन।

(5) संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (दूरसंचार विभाग) की अनुदानों की मांगों (2014-15) पर समिति के तीसरे प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 15वां प्रतिवेदन।

(6) सूचना और प्रसारण मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2014-15) पर समिति के चौथे प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 16वां प्रतिवेदन।

11. रक्षा संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

मेजर जनरल भुवन चन्द्र खण्डूड़ी, एवीएसएम (सेवानिवृत्त) ने रक्षा संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

(1) 'सीमाओं पर आक्रमण, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के साथ समन्वय और सड़क, वायु तथा रेल मार्ग से सीमा संपर्क एवं सैन्य बलों का संकट अवबोध तथा तैयारी' के बारे में समिति के 22वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 10वां प्रतिवेदन।

(2) थल सेना (मांग संख्या 22) पर रक्षा मंत्रालय की वर्ष 2014-15 की अनुदानों की मांगों के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति (16वीं लोक सभा) के तीसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति का 11वां प्रतिवेदन।

12. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री प्रहलाद जोशी ने 'इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल और जैव डीजल नीति' विषय पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति (2014-15) का सातवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

13. रेल संबंधी स्थायी समिति के विवरण

श्री अर्जुन राम मेघवाल ने रेल संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:—

(1) 'गत पाँच वर्षों के दौरान बड़ी रेल दुर्घटनाएं—कारण और उपचारी उपाय' विषय पर रेल संबंधी स्थायी समिति के 21वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में समिति (16वीं लोक सभा) के पहले प्रतिवेदन के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई।

(2) 'उत्तर-पूर्व क्षेत्र की परियोजनाओं पर विशेष बल देते हुए निर्माणाधीन और लंबित रेल परियोजनाएं' के बारे में समिति के 25वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में रेल संबंधी स्थायी समिति (16वीं लोक सभा) के दूसरे प्रतिवेदन के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई।

14. मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

डॉ॰ भागीरथ प्रसाद ने 'राष्ट्रीय क्रीड़ा विकास निधि का कार्यनिष्पादन और खिलाड़ियों की भर्ती तथा उनका प्रोन्नयन भाग-I' के बारे में मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति का 270वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

15. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्रीमती रंजनबेन भट्ट ने 'केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) का कार्यकरण' विषय पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति के 71वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में समिति का 88वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

16. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(1) जल संसाधन, नदी विकास और गंगा जीर्णोद्धार मंत्री ने जल संसाधन, नदी विकास और गंगा जीर्णोद्धार मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2014-15) के बारे में

जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति के पहले प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखा।

(2) विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ने कोयला मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2014-15) के बारे में कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के पहले प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखा।

(3) वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ने वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से संबंधित 'भारत व्यापार संवर्धन संगठन का कार्यकरण' के बारे में वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति के 114वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी समिति के 116वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखा।

(4) संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री ने निम्नलिखित के बारे में वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा—

(एक) संस्कृति मंत्रालय से संबंधित 'दिल्ली में विभिन्न स्मारकों, राष्ट्रीय संग्रहालय का रखरखाव तथा अन्य महत्वपूर्ण विषयों' पर परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के 211वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(दो) संस्कृति मंत्रालय से संबंधित 'दिल्ली में विभिन्न स्मारकों, राष्ट्रीय संग्रहालय का रखरखाव तथा अन्य महत्वपूर्ण विषयों' पर परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के 211वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई पर समिति के 216वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

अपराह्न 12.11 बजे

17. सरकारी विधेयक—पुर:स्थापित

(एक) उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्तें) संशोधन विधेयक, 2015 *।*

(दो) भारतीय न्यास (संशोधन) विधेयक, 2015 *।*

अपराह्न 12.12 बजे

18. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों द्वारा नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे:—

(1) श्री पी॰पी॰ चौधरी द्वारा मामलों के त्वरित निपटान हेतु विशेष न्यायालयों की स्थापना किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(2) श्रीमती रमा देवी द्वारा भोजपुरी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(3) श्री डी॰एस॰ राठौड़ द्वारा मैट्रिमोनियल वेबसाईट्स के लिए नियम एवं विनियम बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(4) श्री सुमेधानन्द सरस्वती द्वारा राजस्थान में विशेष रूप से सीकर, झुंझुनू और चुरू जिलों में बावड़ियों का पुनरूद्धार किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(5) श्री लल्लू सिंह द्वारा देश में सभी के लिए आजीविका सुनिश्चित करने के लिए श्रमोन्मुखी विनिर्माण क्षेत्र पर पर्याप्त बल देते हुए आर्थिक नीति पर पुन: ध्यान दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(6) श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी शाह द्वारा उत्तराखंड के टिहरी जिले में डोबरा-चाँटी पुल के निर्माण में तेजी लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(7) श्री ओम बिरला द्वारा राजस्थान के कोटा शहर में कुकिंग की गैस की आपूर्ति हेतु पाईपलाइन बिछाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(8) डॉ॰ मनोज राजोरिया द्वारा स्वच्छता के क्षेत्र में कार्य कर रहे लोगों को मान्यता देने के लिए पुरस्कार शुरू किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(9) श्री राजेश वर्मा द्वारा सीतापुर और बहराईच को जोड़ने के लिए घाघरा नदी पर पुल के निर्माण में तेजी लाए जाने और इस प्रयोजन हेतु धन उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(10) श्री चिन्तामन नावाशा वांगा द्वारा वसाई नगरपालिका क्षेत्र में पाईप गैस की आपूर्ति किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(11) श्रीमती आर॰ वनरोजा द्वारा तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 66 की मरम्मत किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(12) श्री के॰एन॰ रामचन्द्रन द्वारा मुल्लापेरियार बांध में जलस्तर बढ़ाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(13) श्री राहुल शेवाले द्वारा मुम्बई सेंट्रल रेलवे स्टेशन का नाम 19वीं शताब्दी के मुम्बई के सामाजिक कार्यकर्ता और शिक्षाविद श्री जगन्नाथ शंकर सेठ के नाम पर रखे जाने की आवश्यकता के बारे में।

(14) श्री जैदेव गल्ला द्वारा आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 की धारा 50 और 56 में विसंगतियों को दूर किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराह्न 12.14 बजे

19. विदाई संबंधी उल्लेख

16वीं लोक सभा के 5वें सत्र के समापन पर अध्यक्ष ने विदाई संबंधी उल्लेख किया।

अपराह्न 12.22 बजे

20. राष्ट्रीय गीत

राष्ट्रीय गीत की धुन बजाई गई।

अपराह्न 12.23 बजे

(*लोक सभा अपराह्न* 12.23 *बजे अनिश्चित काल के लिए स्थगित हुई।*)

अनूप मिश्र
महासचिव

GMGIPMRND—2270LS(S3)—13-08-2015.